



चुनाव और हिन्दुत्व
किसी के लिए ज़रूरी,
किसी के लिए मजबूरी

कॉप-26 : क्या तापमान को
1.5° तक रखने में मदद करेगा ?

नया
खतरा



मूल्य 30/-

दिसंबर, 2021

आयलैंड इंडिया

परिवर्तन की चाह.. संवाद की चाह

अब दिन आन वाल ह...



मोदी सरकार

कृषि क़ानूनों पर हार

हिंदुत्व पर शर-राष्ट्रीयता को धार





CLAT 2022

How to Crack CLAT 2022 in the First Attempt?

CLAT- UG & PG

CLAT Comprehensive Program 2022-2023

Live Lectures

Recording of Live Lectures

Doubt Sessions

Regular Mock Tests

Very Impressive Results

Fully updated Assignment

One to One Mentoring Sessions

English / हिन्दी
Medium
Hostel Facility

Study
Material &
Test Series

New ONLINE/OFFLINE Batches in English/Hindi medium

CAREER LAW

A Premium Institute for CLAT

India's Best Law Institution

Powered By:



EDUCATIONAL SOCIETY

A Legacy of 25 Years

H.O. : 301/A,37,38,39, Ansal Building, Behind Safal Dairy, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-9

Contact : 9891186435, 9811069629, 9015912244, 011-27654588

Website : www.careerplusonline.com / www.careerplusgroup.com



कॉप-26 : क्या तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने में मदद करेगा?



जानलेवा प्रदूषण की चादर में लिपटी दिल्ली



यदि दवाएँ कारगर नहीं रहीं तो साधारण रोग भी हो जाएँगे घातक



कुपोषित विकास एवं कुपोषण की त्रासदी



कंगना विवाद के बहाने ...



कृषि कानून वापसी मुद्दा विहीन विपक्ष



रसायन मुक्त कृषि की ओर कितना बढ़ेंगे हम ?



चुनाव और हिन्दुत्व किसी के लिए जरूरी, किसी के लिए मजबूरी



अफगानिस्तान पर भारत की पहल

हमारे बारे में

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की गहरी संवाद की गह

वर्ष- 13

अंक- 4

संपादक

अनुज कुमार अग्रवाल

प्रबंध संपादक

डॉ. सारिका अग्रवाल

विशिष्ट संपादक

अमित त्यागी

विशेष संवाददाता

शरीफ भारती, आदित्य गोयल,

डॉ. यशवंत चौधरी, डॉ. अर्चना पाटिल

उप संपादक

नेहा जैन

मुख्य प्रबंधक (डिजिटल मीडिया)

सम्यक अग्रवाल

मुख्य प्रबंधक (विज्ञापन, वितरण एवं प्रसार)

विजय कुमार

जन सम्पर्क अधिकारी

पंकज कुशवाहा

ब्यूरोचीफ

उत्तर प्रदेश - एस.पी. सिंह

मध्य प्रदेश - संजीव चोकोटिया

राजस्थान - रामस्वरूप रावतसरे

बिहार - नंद शर्मा

दिल्ली - जितेन्द्र तिवारी

डिजाइन एवं ग्राफिक्स

विकास, मनीष, दीपक, रजत

मुख्य कार्यालय : 301/ए, 37-38-39

अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स

मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन : 011-27652829, 08860787583

फैक्स : 011-27654588

ई-मेल : dialogueindia@yahoo.in

dialogueindia.in@gmail.com

ई-पत्रिका : www.dialogueindia.in

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा

स्टेलेंट प्रिंट एन पैक, ए-1, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स,

झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली से मुद्रित एवं 301,

37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स,

मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित

© सर्वाधिकार सुरक्षित

दिसंबर, 2021 माह के लिए प्रकाशित

- डायलॉग इंडिया में प्रकाशित सभी लेख एवं सामग्री लेखकों के स्वयं के हैं, इससे प्रकाशक व सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

ज

लवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रकोप ने मानव जीवन को चौराहे पर ला पटका है। मौसम, व्यापार, खेती, उद्योग, जीवन शैली, स्वास्थ्य और सोच सब दिशाहीन हो चले हैं। क्या सही और क्या गलत इसका निश्चय करना सबसे कठिन हो गया है। जिस आधुनिक तकनीक, जीडीपी आधारित अर्थव्यवस्था, बाजारवाद और उपभोक्तावाद के दम पर हुए विकास के मॉडल के आधार पर हम अपने आपको सबसे अधिक विकसित और आधुनिक मान चले थे, अब वे सब ही हमारे दुश्मन बन गए हैं। प्रकृति रोज रौद्र रूप धर दुनिया के किसी भी कोने में कहर बरपा देती है और हम ठगे से खड़े बर्बादी का मंजर देखते रह जाते हैं। दुनिया की सरकारें अपने विकास मॉडल से इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रही हैं जबकि उनको पता है कि विनाश का यह तांडव इसी विकास मॉडल के अंधाधुंध उपयोग के कारण हो रहा है। किंतु दुनिया की “एलीट क्लास” न तो अपनी गलती मानने को तैयार है और न ही सुधरने को। ग्लासगो में आयोजित सीओपी-26 का फिर से यही निष्कर्ष है कि जलवायु परिवर्तन का सौ प्रतिशत कारण मानवीय गतिविधियां ही हैं। जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग और मांसाहारी जीवन शैली के साथ ही विलासितापूर्ण जीवन शैली जीने वाले दुनिया की उच्च वर्गीय दस प्रतिशत आबादी ही सारी समस्याओं की जड़ है। अगर यह वर्ग अपनी जीवन शैली और सोच में बदलाव ले आए तो पृथ्वी व मानव जाति का अस्तित्व बच सकता है। किंतु यह वर्ग न सुधरने को तैयार है और न ही बदलने को। चूँकि यह वर्ग राजनीति, सरकार, उद्योग, व्यापार, सेवा, कृषि व अन्य सभी क्षेत्रों में हावी है इसीलिए नीति निर्माण व निर्णय प्रक्रिया इस वर्ग के हाथों में है। इस वर्ग की सोच

अनिश्चित भविष्य के बीच

है कि शेष 90% दुनिया ही समस्या की जड़ है, अगर वह निबट जाएगी तो जलवायु परिवर्तन की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए दुनिया को कोरोना दुश्क्र में फंसाया गया है। क्रमिक क्षरण का यह खेल बीमारी और मौत के साथ भय और अनिश्चितता की भयावह व अंधेरी दुनिया ले आया है। इस वैश्विक षड्यंत्र यानी “जैविक हथियार” के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में हर व्यक्ति को घेर लिया गया है। कोविड के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब ओमिक्रोन वेरिएंट ने सबको एक टांग पर खड़ा कर रखा है। बार बार के प्रतिबंधों और लॉकडाउन ने पूरी दुनिया की “सप्लाई-चेन” बिखर दी है और माँग-आपूर्ति का चक्र टूट गया है। मंदी, बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ तनाव, बीमारियां और मौत के बादल हर व्यक्ति के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। इस बीच सब कुछ डिजिटल किया जा रहा है, इंटरनेट आधारित कृत्रिम बुद्धि के प्रयोग से तो वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने पर जोर है। ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम अब जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं। एक ओर प्रकृति की मार व ग्लेशियर पिघलने से समुद्र तट घटते जा रहे हैं और बड़ी आबादी को हटाने व नई जगह बसाने की चुनौती व फसल चक्र बिगड़ने से खाद्यान्न संकट हर साल बढ़ता जानी है तो दूसरी ओर कोरोना व नई तकनीक व ईंधन के बढ़ते प्रयोग से बढ़ी मात्रा में बेरोजगारी बढ़नी तय है। हर नए दिन यह संकट और बढ़ा व विकराल रूप लेता जाएगा। जमीन व संसाधनों का संघर्ष दुनिया के अनेक देशों में असंतोष व संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता जाएगा। यह गृहयुद्ध व पड़ोसी देशों से युद्ध या महाशक्तियों के मध्य युद्ध तक कुछ भी हो सकता है।

आसन्न संकट के बीच भारत अजीब किस्म के सत्ता संघर्षों के बीच फँसा हुआ है। दुनिया की वर्तमान चुनौतियों व संकटों से परे भारत की राजनीति किसानों और

धर्म-जाति की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जनता व राजनेता सभी ज्ञानहीन, संज्ञाशून्य व दिशाहीन हो आत्मकेंद्रित हो चुके हैं। भारत में सीएए हो या किसान आंदोलन दोनों ही लगातार दो लोकसभा चुनाव हार चुकी कांग्रेस पार्टी की हार की हताशा का परिणाम थे। पहले में मुसलमान हथियार बने तो दूसरे में जाट (सिख व हिन्दू) किसान। सन् 2019 के लोकसभा चुनावों से पूर्व भी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही आंदोलन खड़ा करने का असफल प्रयास किया था। तो असली मुद्दा है सोनिया गांधी की कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार को अस्थिर कर “येन केन प्रकारेण” सत्ता में आना, चाहे इसके लिए देश को कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।

मोदी सरकार द्वारा यकायक तीनों कृषि कानूनों के वापस ले लेने के कारण कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष का पिछले ढाई सालों से चल रहा पहले सीएए और फिर किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता व विध्वंस का तांडव यकायक एक झटके में रुक सा गया है और टूटकर बिखर गया है और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराकर सत्ता में आने का भी। किंतु वे मानेंगे नहीं और अगले कुछ महीनों में फिर किसी एक मुद्दे को विवादित बनाकर देश को फिर अराजकता की भट्टी में झोंकने की कोशिश करेंगे ही। उनका साथ देने के लिए कट्टरपंथी मुस्लिम, सिख व ईसाइयों के साथ आंदोलन जीवी एनजीओ गैंग व नक्सली नेताओं की फौज के साथ साथ चीन व पाक का समर्थन है ही। सच तो यह है कि यह अल्पसंख्यकवाद बनाम बहुसंख्यकवाद व सेक्यूलरपंथी बनाम सनातन पंथी की लड़ाई है जिसमें सनातन पंथी बहुसंख्यकों ने खासी बढ़त बना ली है और सेक्यूलरपंथी अल्पसंख्यक अराजक आंदोलन की आड़ में मात्र खीज ही निकाल पा रहे हैं। विपक्ष आज भी नेतृत्व विहीन है और मुद्दे विहीन भी और उसको इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। उसको अंततः बहुसंख्यकों के हितों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा और “बांटो व राज करो” की नीति छोड़नी होगी अन्यथा उसके लिए केंद्र की सत्ता वापसी नामुमकिन ही रहेगी।

यह अप्रत्याशित उलटबांसी मोदी सरकार की कार्यशैली पर भी एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है। समय, काल, परिस्थितियों व परिणामों का गहराई से अध्ययन किए बिना किसी भी नीतिगत निर्णय को यकायक देश की जनता पर थोप देने की मोदी सरकार की कार्यशैली विवादों में है। वो चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सीएए हो या फिर लॉकडाउन मोदी यकायक क्रांतिकारी फैसले

देश की जनता पर थोप देते हैं और जनता हतप्रभ, हैरान व परेशान हो जाती है। अपनी लगातार जीत और लोकप्रियता की आड़ में उन्मादित होकर मनमाने कदम उठाने के कारण मोदी के प्रबल समर्थक भी उनसे विचलित होने लगे हैं। देश में कोरोना व लॉकडाउन के कारण आयी अराजकता, मौतों, महंगाई, बेरोजगारी व जीवन संघर्ष से आमजन वैसे ही परेशान है उस पर आंदोलन से उपजी अतिशय परेशानियाँ और नुकसान। सरकार के पास आश्वासनों व मुफ्त अनाज के अलावा इन समस्याओं का कोई समाधान न होने के कारण जनता दुःखी व नाराज है। मोदी के अपने हिंदुत्ववादी समर्थक व अंधभक्त भी बार बार हिंदुत्व के मुद्दों से भटकने व सनातन संस्कृति व धर्म का मात्र चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करने से भी निराश हैं। वे नहीं समझ पा रहे कि क्यों भारत में अश्लीलता, ड्रग्स, पोर्न, समलैंगिकता, यौन उत्पीड़न, बाजारवाद व पश्चिम का अंधानुकरण बढ़ता जा रहा है और चाह कर भी योग, आयुर्वेद, गाय, गंगा, ग्राम, मंदिर व गायत्री का महत्व स्थापित नहीं हो पा रहा। मोदी-शाह के अलावा भाजपा के अन्य लोकप्रिय नेताओं को व एनडीए के सहयोगी दलों को एक एक कर दरकिनार करना भी मोदी सरकार को भारी पड़ने लगा है। इस सभी का मिलाजुला प्रभाव ही है जिस कारण मोदी व भाजपा की लोकप्रियता बिखरने लगी और अपने आंतरिक सर्वे में इन सच्चाई को जान-समझ कर मोदी सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। उम्मीद है मोदी सरकार इस सबसे सबक लेगी।

बात कृषि सुधार की तो वर्तमान कृषि पद्धति से किसी का भला नहीं होने वाला। न किसान का, न जनता का और न ही सरकार का। “जैविक कृषि” और “शून्य लागत कृषि” ही वर्तमान कृषि, स्वास्थ्य व जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का इलाज है। जनता व विशेषज्ञ इस बात को बहुत पहले से जान समझ चुकी हैं, मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसको मान लिया है और अब बस विपक्ष व उनके पिढू तथाकथित किसान नेताओं को और मानना है, फिलहाल तो देश के किसान और कृषि दोनों का भविष्य अधर में लटक गया है तो बाकी जनता कौन सी सुखी रहने वाली है।

प्राकृतिक व कृत्रिम संकटों का सामना करने के लिए वैकल्पिक नीतियों व ढाँचे की हमारे पास कोई सोच व मॉडल नहीं है। पांच रा'यों में होने वाले चुनाव भी अप्रासंगिक मुद्दों व खोखले वादों पर ही लड़े जा रहे हैं। हिंदुत्व, सनातन संस्कृति व जड़ों की ओर लौटने की बात भी अब मुख्यधारा में है किंतु इनकी बात करने वालों का आचरण इस विचार के विपरीत अधिक है। ऐसे में आसन्न संकट और तीव्रता से आ जायें इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। यह लगभग निश्चित हो चुका है कि दुनिया व देश का समृद्ध 10% वर्ग अपने अस्तित्व व जीवन शैली के लिए शेष 90% वर्ग को शेने शेने लील जाएगा। अब इस भँवर से निकलना लगभग नामुमकिन सा ही दिख रहा है।

अनुज अग्रवाल
संपादक

कॉप-26

क्या वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में मदद करेगा?

● सुनीता नारायण एवं टीम

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कंफ्रेंस का 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज (कॉप-26) खत्म हो चुका है और दुनियाभर के देशों ने ग्लासो जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये समझौता वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने (जो जलवायु परिवर्तन के विध्वंसक परिणामों को रोकने के लिए जरूरी है) में मदद करेगा।

मेरा स्पष्ट विचार नहीं में है। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि इस समझौते में कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य आवश्यकता के स्तर से कम है, बल्कि इसलिए भी कह रही हूँ, क्योंकि कॉप-26 ने फिर एक बार अमीर और विकासशील देशों के बीच गहरे अविश्वास को जाहिर कर दिया है। इसमें ये स्वीकार करने के लिए बहुत कम प्रयास हुआ कि जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिए उस स्तर पर सहयोग की जरूरत है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया हो।

लेकिन फिर भी हमलोग कुछ राहत भरे संकेत देखने को उत्सुक हैं, अतः मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ग्लासो में हुए क्रॉफ्रेंस में हमने क्या हासिल किया। सच बात तो ये है कि दो वर्षों के बाद और कमरतोड़ कोविड-19



लॉकडाउन व

आर्थिक नुकसान के बावजूद ये स्वीकार करने के लिए पूरी दुनिया एक मंच पर आई कि जलवायु परिवर्तन का खतरा असली है और इसके लिए आपातकालीन परिवर्तनकारी कार्रवाई की जरूरत है।

हमलोग दुनिया भर में अजीबोगरीब व चरम मौसमी घटनाएँ व ऊर्जा कीमतों में इजाफा

देख रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि यहां से वापसी नहीं है। पृथ्वी को बाद में नहीं, बल्कि इस दशक के अंत तक उत्सर्जन में भारी कमी चाहिए।

हालांकि, ग्लासो जलवायु समझौते में सबसे बुनियादी और घातक गलती इसके पहले पेज में है। इसमें हालांकि उपेक्षापूर्ण ढंग से जलवायु न्याय की कुछ संकल्पनाओं के महत्व को रेखांकित किया गया है। मगर इसी बिन्दू से महात्वाकांक्षी व प्रभावी कार्रवाई का ढांचा धराशायी हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ?

जलवायु परिवर्तन भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम इस सच को मिटा नहीं सकते कि कुछ देश (अमरीका, यूरोपीय संघ-27, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस और अब चीन) तापमान में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिए जितने उत्सर्जन की आवश्यकता है, उस कार्बन बजट का 70 प्रतिशत हिस्सा इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन दुनिया की 70 प्रतिशत आबादी को अब भी विकास का अधिकार चाहिए। ये देश वृद्धि करेंगे, तो उत्सर्जन में इजाफा होगा और जो दुनिया को तापमान वृद्धि के विध्वंसक स्तर पर ले जाएगा।

इसी वजह से जलवायु न्याय कुछ के लिए अतिरिक्त संकल्पना नहीं, बल्कि प्रभावी और महात्वाकांक्षी समझौते के लिए शर्त है। समझदारी में कमी ही समस्या का मूल है। इसी वजह से जब एक समझौते पर आने के लिए

जलवायु वार्ता देर तक चल रही थी, तो दुर्घटनावश अब तक कोयले का इस्तेमाल बंद नहीं करने वाले यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण नियम न मानने वाले 'मूल निवासियों' की आलोचना करते देखे गये।

ये तब है जब पहले से विकसित देशों के एकमुश्त उत्सर्जन के कारण 'मूल निवासियों' की दुनिया तबाही से जूझ रही है, जिसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। ये शर्मिंदगी से कम नहीं है कि दुनिया इस सच से मुकर गई है कि उसे 'नुकसान और क्षति' पर काम करने की जरूरत थी और उसे वजनदार शब्दों व नई कमेटियों के वादों और विमर्शों से नहीं बल्कि नुकसान की भरपाई के लिए धन की जरूरत है।

जलवायु अनुकूलन की जरूरत के मामले में भी यही है। देशों को भीषण मौसमी प्रकोपों से निबटने के लिए उपाय ढूंढना होगा। ग्लासगो जलवायु समझौते की एकमात्र उपलब्धि - अगर आप उसे उपलब्धि कह सकते हैं, तो ये है कि ये समझौता अनुकूलन के लिए वित्तीय सहयोग की जरूरत को स्वीकार करता है और इसे दोहराता है। लेकिन, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है।

पहले से अमीर देशों ने विकासशील दुनिया के खर्च व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के खर्च के भुगतान को लेकर गंभीरता या इच्छा नहीं दिखाई। ग्लासगो जलवायु समझौता 'गहरे अफसोस के साथ' इस बात को दर्ज करता है कि विकसित मुल्कों द्वारा साल 2020 तक 100 अरब अमरीकी डालर जुटाने के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका। जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनेंस) को अब भी 'दान' के नैरेटिव का हिस्सा माना जाता है और सच कहा जाए, तो अमीर दुनिया पैसा देने को लेकर अब इच्छुक नहीं है।

लेकिन सच तो ये है कि ये फाइनेंस जलवायु न्याय के लिए है, जिसे कुछ के लिए लिखित रूप में महत्वपूर्ण के तौर पर खारिज कर दिया गया है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक समझौता ये मांग करता है कि जिन देशों ने समस्याएं उत्पन्न की हैं, जो देश वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का कारण हैं, उन्हें अपने योगदान के आधार पर बड़े स्तर पर उत्सर्जन में कमी लानी चाहिए।



बाकी दुनिया, जिन्होंने उत्सर्जन में कोई योगदान नहीं दिया है, उन्हें प्रगति का अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रगति में कर्बन उत्सर्जन कम हो, ये सुनिश्चित करने के लिए वित्त व टेक्नोलॉजी मुहैया कराये जाएंगे। ये एक दूसरे पर निर्भर इस दुनिया के सहकारी समझौते का हिस्सा है।

कॉप-26 के बाद, दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के भीतर रहने के आसपास भी नहीं है। सच बात ये है कि साल 2030 तक उत्सर्जन में 50% तक कटौती कर 2010 के स्तर पर लाने के लक्ष्य की जगह इस दशक में दुनिया भर में उत्सर्जन में इजाफा होगा। यहां सवाल ये नहीं है कि कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से हटाना चाहिए, लेकिन अलग-अलग और वास्तविक इरादे से ट्रांजिशन के लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

हम ऊर्जा संक्रमण का बोझ विकासशील देशों पर नहीं लाद सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के सबसे ज्यादा चपेट में हैं। जलवायु परिवर्तन अस्तित्व पर खतरा है और कॉप-26 को ये सीख देनी चाहिए कि दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए किंडरगार्टन डिप्लोमेसी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। **कॉप-26 : सौ महीने से कम समय बाकी, इन वजहों से हो सकती है नतीजे मिलने में दिक्कत**

भारत ने कोयले और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के मसौदे को 'फेज आउट' की बजाय हल्के और अपरिभाषित 'फेज डाउन' में डालने

का दबाव डाला

— द्वारा रीचर्ड महापात्रा

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (कॉप-26) के तहत 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच चलने वाला 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अपनी निर्धारित समय-सीमा से एक दिन आगे तक चला। वैश्विक जलवायु संकट से निपटने को अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए अंततः इसमें ग्लासगो जलवायु समझौता (जीसीपी) पर सहमति बनी।

अंतिम सत्र में 197 देशों द्वारा तैयार जीसीपी में जिन सिद्धांतों का पालन किया गया है, उनका मूल दो शब्दों में निहित है—संतुलित और सहमतिपूर्ण। कॉप-26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने सदस्य देशों से कहा भी, 'लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या पर्याप्त है, यह सवाल मेरे बजाय अपने आपसे पूछिए।'

जीसीपी का तीसरा प्रस्ताव शनिवार की सुबह जारी किया गया, हालांकि यह पहले से ज्यादा अलग नहीं था। एक के बाद एक सभी देशों से विचार-विमर्श के बाद जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के प्रयासों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए जिस मूलमंत्र पर जो दिया गया, वह था - संतुलित और सहमतिपूर्ण।

कोस्टा रिका के प्रतिनिधि के मुताबिक, 'हालांकि हम प्रस्ताव को आदर्श नहीं कह सकते लेकिन यह ऐसा है जिसे अमल में लाया जा सकता है। यह परिपूर्ण समझौता तो नहीं है



लेकिन हम इसके साथ चल सकते हैं।' जीसीपी को लेकर ज्यादातर देशों का यही रुख था।

जीसीपी का लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए 2030 तक धरती के तामपमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रोकना है, जैसा कि 2015 में पेरिस समझौते में तय हुआ था। यानी जलवायु के विनाशकारी होने से बचने और धरती को जीवन लायक बनाए रखने में अब सौ महीने से भी कम का वक्त बचा है।

जीसीपी में आह्वान किया गया कि 2030 तक सभी देशों को ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 45 फीसदी तक कम करना और अंततः पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2050 तक उत्सर्जन शून्य करना है।

निर्णायक जीसीपी के मुताबिक- ग्लासगो जलवायु समझौता यह भी मानता है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेजी से, गहरी और निरंतर कमी की जरूरत है, जिसमें 2010 के स्तर के सापेक्ष 2030 तक वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 45 प्रतिशत तक कम करना और 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन करना शामिल है। इसके साथ ही अन्य ग्रीनहाउस गैसों में भी भारी कमी लाई जाएगी।

हालांकि दुनिया इस लक्ष्य को हासिल करने के सही रास्ते पर नहीं है। गैर-लाभकारी संगठन, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर ने अपनी ताजा आकलन रिपोर्ट में पूर्वानुमान लगाया है कि उत्सर्जन में कमी के दावों के बावजूद धरती का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की आशंका

है। किसी भी वैज्ञानिक विश्लेषण के मुताबिक यह एक भयावह स्थिति होगी।

जीसीपी ने मानी धीमी प्रगति की बात- ग्लासगो जलवायु समझौता पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पर संश्लेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों को गंभीरता से ले रहा है। जिसके अनुसार सभी एनडीसी के कार्यान्वयन के आधार पर आकलन किया गया है कि 2030 में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन स्तर, 2010 से 13.7 फीसदी अधिक होने का अनुमान है।

कॉप- 26 में यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत मुख्यधारा में लाया गया 'नुकसान और हर्जाना' का मुद्दा सबसे विवादित रहा। यह मुद्दा पिछले बीस सालों में छोटे द्वीप वाले देशों के संगठन की इस मांग के बाद जोर पकड़ने लगा है, जिसके मुताबिक, समुद्र का स्तर बढ़ने से उन्हें भारी नुकसान हुआ है, जिसके लिए किंवदंति

देश जिम्मेदार हैं।

'नुकसान और हर्जाना' शब्द का इस्तेमाल यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत उस स्थिति के लिए किया जा रहा है, जिसमें मानवजनित जलवायु परिवर्तन से किसी को हानि पहुंचती हो। छोटे द्वीप वाले देशों जैसे असुरक्षित और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेही और हर्जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। हालांकि सम्मेलन में विकसित देशों ने इसका विरोध किया।

यहां तक कि कॉप-26 की शुरुआत में 'नुकसान और हर्जाना' इसके औपचारिक एजेंडे में भी नहीं था। वार्ताकारों ने सम्मेलन में जारी दूसरे मसौदे में एक समर्पित एजेंसी की स्थापना करके पहली बार इस मुद्दे को संबोधित करने का रास्ता तैयार किया। फिर भी मसौदे में जलवायु से जुड़े नुकसान और हर्जाने की भरपाई के लिए एक कोष स्थापित करने की बात को शामिल करने से रोक दिया गया।

इस तरह इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो सकी, हालांकि विकासशील देश मसौदे के इस प्रारूप से इससे खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि विकसित देश उनके द्वारा लाए जलवायु परिवर्तन के कारण हुए नुकसान की, हर्जाना देकर भरपाई करें।

जी-77 के साथ ही चीन समेत 130 देश चाहते थे कि यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत ऐसे कोष के निर्माण के लिए 'नुकसान और हर्जाना सुविधा' की स्थापना की जाए।

सहमति वाले समझौते में कहा गया- जीसीपी, उन विकासशील देशों में जो जलवायु परिवर्तन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं, और



प्रतिकूल प्रभावों से जुड़े नुकसान को टालने, कम करने के साथ-साथ वहां वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता-निर्माण जैसी कार्रवाई व समर्थन को बढ़ाने की आकस्मिक जरूरत को दोहराता है।

समझौते में विकसित देशों पर जिम्मेदारी भी डाली गई, इसमें कहा गया - जीसीपी, विकसित देशों की पार्टियों, वित्तीय तंत्र की संचालन संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं, अंतर-सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों व निजी स्रोतों सहित अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थानों से आग्रह करता है कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को झेलने वाले देशों को अतिरिक्त समर्थन दें।

इस मुद्दे पर 'बातचीत' की प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, समझौते में कहा गया - जीसीपी ने यह फैसला किया है कि प्रभावित होने वाले देश और अन्य देशों, महत्वपूर्ण संगठनों व साझीदारों के बीच बातचीत की प्रक्रिया जारी रहे। इसमें व तय करें कि जलवायु परिवर्तन से संवेदनशील देशों को होने नुकसान को कैसे कम किया जा सके और उनके हर्जाने का कैसे इंतजाम किया जाए।

गैर-लाभकारी संगठन, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के मोहम्मद एडोव के मुताबिक, 'इस समझौते में तो यह कहा गया है कि समुद्र का स्तर बढ़ने की वजह से अगर आपका घर बर्बाद हो गया है तो अमीर देश केवल नुकसान की जांच करने वाले विशेषज्ञ का भुगतान करेंगे, लेकिन आपका घर दोबारा बनाने के लिए आपको कुछ नहीं देंगे।'

इस मुद्दे पर बातचीत के लिए विशेष रास्ता निकालने के विचार-विमर्श गहमागहमी से भरे रहे। फिर इस पर सहमति बनी कि अगले सम्मेलन में 'नुकसान और हर्जाने' से संबंधित आर्थिक ढांचे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

दूसरा विवादित मुद्दा कोयले का उपयोग कम करने और जीवाश्म ईंधनों की सब्सिडी घटाने से जुड़ा था।

तीसरे मसौदे के मुताबिक - यह सम्मेलन कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा तंत्रों को तैयार करने के लिए सदस्य देशों और पार्टियों से विकास की गति तेज करने, तकनीक स्थापित करने और उसका विस्तार करने के साथ नई नीतियां बनाने का आह्वान करता है। कम उत्सर्जन वाले ऊर्जा तंत्रों को विकसित करने के साथ ही स्वच्छ बिजली उत्पादन और ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ाना होगा और कोयले का उपयोग कम करना होगा। सक्रमण के इस दौर में हमें जीवाश्म ईंधनों की सब्सिडी भी घटानी होगी।

हालांकि पेरिस समझौते में कोयला या गैस जैसे किसी विशेष ऊर्जा स्रोत का जिक्र नहीं किया गया था।

भारत ने एक विशिष्ट ऊर्जा स्रोत (कोयला) के इस संदर्भ का विरोध

किया, साथ ही उसने राष्ट्रीय विकास की सीधी रेखा चक्र का हवाला देते हुए जीवाश्म ईंधन को खत्म करने की समय सीमा का भी विरोध किया। भारत कार्बन बजट का उचित हिस्सा मांग रहा है और जीवाश्म ईंधन के 'जिम्मेदारी भरे उपयोग' को जारी रखने के लिए कहता आ रहा है। ईरान, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने भी इस संदर्भ और समय-सीमा का विरोध किया।

केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, 'कोई यह कैसे सोच सकता है कि विकासशील देश कोयले और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी के 'फेज आउट' पर राजी हो जाएंगे?'

उन्होंने मसौदे में यह जोड़ने का प्रस्ताव रखा कि इसे 'फेज आउट' की जगह 'फेज डाउन' किया जाए। साथ ही इसमें 'राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार' और 'गरीब के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए' टर्म

भी जोड़े जाएं। गौरतलब है कि 'फेज आउट' का मतलब किसी चीज को अचानक बाहर किए जाना है जबकि 'फेज डाउन' का मतलब धीरे-धीरे बाहर किए जाना है।

हालांकि अंतिम क्षणों में स्विट्जरलैंड और यूरोपीय संघ समेत कई देशों का नामर्जी के बाद किसी तरह अंतिम मसौदे में भारत के इन बदलावों को शामिल कर लिया गया। फिर भी आलोक वर्मा ने मसौदे को

हल्का बनाने के लिए बाकी देशों से माफी भी मागी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इसे संभव बनाएंगे।

सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की मदद के लिए तैयार किए जाने वाला 'अनुकूलन कोष' एक बार फिर मुद्दा बना। जीसीपी ने इसके लिए गहरा दुख प्रकट किया कि 2020 तक हर साल गरीब देशों को सौ अरब डॉलर दिए जाने का वादा पूरा नहीं किया गया।

जीसीपी ने कहा - 'विकसित देशों से आग्रह है कि वे सौ अरब डॉलर तत्काल जारी करें और अपने वादों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता के महत्व पर जोर दें।'

अंत में, जीसीपी ने वित्तीय संसाधनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए, विकसित देशों से 2025 तक उनके 'अनुकूलन कोष' के बजट को 2019 के स्तर से दोगुना करने आग्रह किया, जिससे विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के समझौते का पालन करने के लिए जरूरी कदम उठा सकें।

कॉप-26 की अन्य उपलब्धियां

मुख्य समझौते के अलावा कॉप- 26 में कई अन्य संकल्प- पत्र भी पेश किए गए। ये हैं -

वनोन्मूलन रोकने के लिए धरती के वनों का 85 फीसद हिस्सा घेरने वाले 105 देशों ने वनों और भूमि के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते



अगले पचास साल चलता रहेगा यह तांडव

जी हँ,

- 1) पराली का धुआँ अगले पचास साल तक आपका दम घोटता रह सकता है।
- 2) कोरोना के अलग अलग वेरिएंट, डेंगू, अलग अलग बुखार और इन्फेक्शन आपके अगले पचास साल तक ऐसे ही घेरे रहेंगे। आप बीमार, ज्यादा बीमार और बार बार बीमार होते रहेंगे और वेक्टर मौतें अब आम बात हो जाएगी।
- 3) अगले पचास साल ऐसे ही ग्लेशियर पिघलते रहेंगे और समुद्र तटों को निगलता रहेगा।
- 4) अगले पचास साल ऐसे ही जैव ईंधन (तेल, गैस, कोयला आदि) हमारी धरती का ताप बढ़ाते रहेंगे और ऐसे ही हम भोजन में मांस खाते रहेंगे। जिससे धरती उबलती रहेगी, आसमान से बेवक्त तूफानी बारिश और ज्यादा और ज्यादा बरसती रहेगी। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं चक्रवात, कहीं तूफान, कहीं भूकंप, कहीं बर्फबारी ज्यादा और ज्यादा आएं और कहीं जंगलों में आग ज्यादा और ज्यादा लगती रहेगी।
- 5) अगले पचास साल फसल चक्र बिगड़ा रहेगा, खाद्यान्न उत्पादन घटता जाएगा, भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी।
- 6) अगले पचास साल दुनिया में माइग्रेशन तेजी से बढ़ेगा क्योंकि



जमीन पानी में डूबती जाएगी और तटवर्ती लोगों के पास रहने के लिए जमीन ही नहीं बचेगी।

यह मैं नहीं कह रहा बल्कि क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लासगो में आयोजित 240 देशों के COP-26 सम्मेलन के निष्कर्ष हैं। जिसमें सन 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्व के स्तर पर लाने और धरती का तापमान 1.5 डिग्री से अधिक न बढ़ने देने के लिए संकल्प व्यक्त किया गया है। हो सकता है तब तक दुनिया कुछ टापुओं में बदल जाए और दुनिया की मात्र दस प्रतिशत आबादी ही शेष बचे। जबकि पर्यावरणविदों का मानना है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए 'दुनिया को 2050 तक शून्य उत्सर्जन के लिए, चीन को 2040 तक और ओईसीडी देशों को 2030 तक उत्सर्जन शून्य करना होगा। यही

कारण है कि शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य असमान है और जलवायु परिवर्तन से निपटने को अस्पष्ट एवं अप्रभावी बनाता है। तो सभी देश अपेक्षित बदलाव क्यों नहीं करना चाहते? क्या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और जीडीपी आधारित विकास के लालच ने मानवता को निगलने की तैयारी तो नहीं कर ली है? तो क्या दुनिया के नेता अपने अपने देशों की जनता को मौत के मुँह में धकेल रहे हैं?

- अनुज अग्रवाल

पर हस्ताक्षर किए। इसमें इन देशों ने वादा किया कि वे 2030 तक वनोन्मूलन और भूमि के क्षरण को रोकने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। यह संकल्प-पत्र, कॉप-26 की एक बड़ी उपलब्धि माना गया।

यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ समुदायों के वन-आधारित अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पोषित किया जाने वाला संकल्प-पत्र है, जिसमें दुनिया की लगभग 25 फीसदी आबादी शामिल है।

वन, हर साल जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग एक तिहाई हिस्सा अवशोषित करते हैं। लेकिन हम इन कार्बन सॉकने वाले वनों को हर मिनट 27 फुटबॉल पिचों के आकार के बराबर क्षेत्र की दर से खो रहे हैं।

मीथेन का उत्सर्जन घटाने के लिए- कम समय तक जीवित रहने वाले प्रदूषक के तौर

मीथेन, हाल के समय में ऐसी गैस के तौर पर उभरी है, जिसका उत्सर्जन कम करके धरती को पूर्व-औद्योगिक स्तर से ज्यादा गरम होने से रोका जा सके। कुछ साल पहले तक वैश्विक जलवायु वार्ताओं में सारा जोर कार्बन का उत्सर्जन कम पर रहता था और मीथेन को महत्व नहीं दिया जाता था।

दो नवंबर 2021 को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत चल रहा कॉप-26, हाल के समय में मीथेन की भूमिका को रेखांकित करना वाला पहला कार्यक्रम बना।

इस दिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में 105 देशों ने एक स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी वैश्विक मीथेन संकल्प-पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें उन्होंने वादा किया कि वे 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन में तीस फीसदी की कमी करेंगे।

जलवायु के प्रति लचीली स्वास्थ्य प्रणाली- कॉप-26 में 47 देशों के एक समूह ने जलवायु के प्रति लचीली और कम कार्बन वाली स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने का संकल्प लिया। यह संकल्प सम्मेलन के उस स्वास्थ्य कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसे कॉप-26 के अध्यक्ष के तौर पर यूनाइटेड किंगडम सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेल्थ केयर विदाउट हार्म और जलवायु के महारथी यूएनएफसीसीसी का समर्थन हासिल है।

जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और हिंसा के चलते 8.4 करोड़ लोग हुए विस्थापित

साल के शुरुआती छह महीनों के दौरान दुनियाभर में भड़की संघर्ष और हिंसा की आग ने 5.1 करोड़ लोगों को अपने ही देश में पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था

- ललित मौर्य

2021 के शुरुवाती छह महीनों में जनवरी

से जून के बीच दुनिया भर में करीब 8.4 करोड़ लोगों को जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और हिंसा के चलते विस्थापन की पीड़ा झेलनी पड़ी थी। यह जानकारी यूएन रिपयूजी एजेंसी यूएनएचसीआर द्वारा आज विस्थापितों पर जारी मिड-ईयर ट्रेडस रिपोर्ट में सामने आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक विस्थापितों की इस संख्या में दिसंबर के बाद से करीब 8.24 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह आंतरिक विस्थापन था। दुनिया भर के कई देशों, विशेष तौर पर अफ्रीका में जिस तरह से संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से हाल ही में बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा था।

यही नहीं रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इस साल के शुरुआती छह महीनों के दौरान दुनियाभर में भड़की संघर्ष और हिंसा की आग ने 5.1 करोड़ लोगों को अपने ही देश में पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिनमें से अधिकांश नए मामले अफ्रीका में सामने आए थे।

अकेले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगों में 13 लाख और इथियोपिया में 12 लाख लोग विस्थापित हुए थे। वहीं म्यांमार और अफगानिस्तान में भी हिंसा के चलते बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। यही नहीं 2021 की पहली छमाही के दौरान शरणार्थियों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई थी, जो 2.1 करोड़ पर पहुंच गई थी।

कॉप-26 - जलवायु प्रदर्शन रैंकिंग में भारत दसवें नंबर पर बरकरार

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत तय लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते पर है, लेकिन सही नीतियां जरूरी हैं


- जयंत बसु

नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों की घोषणा करने वाली प्रमुख उत्सर्जक अर्थव्यवस्थाओं ने इस साल अब तक जलवायु परिवर्तन की दिशा में खराब प्रदर्शन किया है। ऐसा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई) 2022 की रिपोर्ट में पाया गया है।

हालांकि भारत ने इस सूची में अपना दसवां स्थान बरकरार रखा है। वह जी-20 के बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप देशों में बना हुआ है।

यह रिपोर्ट दस नवंबर को क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (सीएएन) और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने गैर-लाभकारी संगठन जर्मन-वॉच के साथ मिलकर जारी की। गौरतलब है कि रिपोर्ट ऐसे समय में जारी हुई है, जब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन चल रहा है।

रिपोर्ट में बताया गया, 'एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के रूप में, पेरिस समझौते के कार्यान्वयन चरण के बारे में जानकारी प्रदान करने में सीसीपीआई की प्रमुख भूमिका है। इसने 2005 से कई देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का विश्लेषण किया है।'



इसके मुताबिक,

सीसीपीआई यूरोपीय देशों के साथ साठ अन्य देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जो मिलकर वैश्विक ग्रीनहाउस गैस-उत्सर्जन का 90 फीसद हिस्सा घेरते हैं।

सीसीपीआई 14 संकेतकों के साथ चार श्रेणियों को देखता है। जिसमें ग्रीनहाउस गैस-उत्सर्जन (कुल स्कोर का 40 फीसद), नवीकरणीय ऊर्जा (20 फीसद), ऊर्जा उपयोग (20 फीसद) और जलवायु नीति (20 फीसद) शामिल है।

बड़े उत्सर्जक देशों ने किया खराब प्रदर्शन

रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइंडन के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद जब अमेरिका

वैश्विक जलवायु वार्ता प्रक्रिया में दोबारा शामिल हुआ तो उसकी रैंकिंग में मामूली सुधार आया। फिलहाल 65 देशों की सूची में वह 55वें नंबर है, जिसे 'बहुत कम रैंकिंग' माना जाता है।

वहीं चीन 2020 की तुलना में चार स्थान नीचे खिसककर 37वें नंबर पर पहुंच गया है, जिसे 'कम रैंकिंग' में रखा गया है।

इसी तरह यूरोपीय संघ भी पिछले साल की तुलना में छह स्थान नीचे गिरकर 22वें नंबर पर आ गया है और 'मध्यम रैंकिंग' में है।

यूनाइटेड किंगडम ने सातवें स्थान के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि वह भी बीते साल की तुलना में दो स्थान नीचे खिसका है।

रिपोर्ट के मुताबिक, स्कैंडिनेवियाई देशों ने इस सूची में अच्छा प्रदर्शन किया। डेनमार्क ने जलवायु प्रदर्शन सूची में 76.92 फीसद स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, इसके बाद स्वीडन और नॉर्वे ने क्रमशः 74.46

फीसद और 73.62 फीसद स्कोर (उच्च रेटिंग) के साथ दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।

हालांकि बीते साल की तरह इस बार भी कोई भी देश इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका कि उसे 'बहुत उच्च रेटिंग' मिली हो, क्योंकि कोई भी देश 80 फीसद या उससे ज्यादा स्कोर नहीं कर सका।

सूची में कजाकिस्तान, सउदी अरब, ईरान, कनाडा और चीनी ताईपे अंतिम पांच स्थान पर रहे। ये सभी देश बीते साल की तुलना में कई स्थान नीचे खिसक गए।

सही राह पर भारत

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पिछले साल की तरह मजबूत प्रदर्शन बनाए रखा। रिपोर्ट ने ग्रीनहाउस गैस-उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति की श्रेणियों में भारत के प्रदर्शन को उच्च और नवीकरणीय ऊर्जा में मध्यम स्तर का दर्जा दिया है।

इसके मुताबिक, 'भारत पहले से ही अपने 2030 उत्सर्जन लक्ष्य (जो कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के परितुल्य के अनुकूल है) को पूरा करने की ओर अग्रसर है। इसके साथ ही वह गैर-जीवाश्म ईंधन के लिए 40 फीसद

हिस्सेदारी के अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य को प्राप्त करने के भी करीब है। इस प्रदर्शन के साथ ही भारत 2030 तक बिजली क्षमता, और ऊर्जा की तीव्रता में 33-35 फीसद की कमी के लक्ष्य को हासिल कर सकता है।

सीसीपीआई के एक भारतीय विशेषज्ञ के मुताबिक, 'नवीकरणीय लक्ष्यों में उल्लेखनीय सुधार और एनडीसी लक्ष्यों के कार्यान्वयन और उपलब्धि पर ध्यान देने से भारत ने इस साल भी सूची में मजबूत प्रदर्शन जारी रखा है।'

उन्होंने आगे कहा कि भारत की महत्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा नीतियों, जैसे कि 450 गीगावाट की अक्षय बिजली क्षमता के लक्ष्य और 2030 तक 30 फीसद इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी ने भी इसमें योगदान दिया।'

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में इससे पहले ही उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ कदमों की घोषणा की थी, जिसमें 2070 तक देश में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य शामिल था।

हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि भारत की कुछ नीतियां असंबद्ध हैं और उनमें दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विस्तार से नहीं बताया गया है।

उन्होंने कहा कि किसी भी भारत के किसी राज्य ने स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया है कि कोयला को उपयोग से बाहर करने के लिए उसके पास क्या योजना है। यही नहीं, 2015 में पेरिस समझौते के बाद से भारत ने कोयले से चलने वाली बिजली में वृद्धि भी की है।

सीसीपीआई टीम में शामिल एक अन्य विशेषज्ञ ने माना कि परिवहन क्षेत्र में और अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहल की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 'भारत को 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय पहलों में नवीकरणीय और उत्सर्जन तीव्रता पर अपनी घरेलू सफलता का लाभ उठाना चाहिए। उसे जलवायु की संवेदनशीलता, अनुकूलता और उसके लचीलेपन के निर्माण को

लेकर अपनी नीतियों को और मजबूत बनाना चाहिए। इसके साथ ही भारत को ऊर्जा संक्रमण में समानता और सामाजिक विकास को भी ज्यादा मजबूती से दर्शाना चाहिए।

1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से 30 गुना ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है दुनिया का अमीर वर्ग उसके विपरीत दुनिया के सबसे कमजोर तबके की करीब 50 फीसदी आबादी प्रति व्यक्ति उस सीमा से कई गुना कम उत्सर्जन कर रही है

आज जब सारी दुनिया जलवायु परिवर्तन के मामले में समानता की बात कह रही है, तो



ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अमीर वर्ग के पास प्रदूषण फैलाने का 'फ्री पास' है। हाल ही में ऑक्सफेम द्वारा जारी नई रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया की सबसे अमीर एक फीसदी आबादी प्रति व्यक्ति उतना उत्सर्जन कर रही है जिससे आगे चलकर 2030 में उनका प्रति व्यक्ति किया गया उत्सर्जन 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से करीब 30 गुना ज्यादा होगा।

वहीं इस वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली दुनिया की 10 फीसदी आबादी की बात करें तो वो इस लक्ष्य से करीब 9 गुना ज्यादा उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार होगी। हालांकि उसके विपरीत दुनिया के सबसे कमजोर तबके की करीब 50 फीसदी आबादी उस सीमा से कई गुना कम उत्सर्जन कर रही है।

जलवायु परिवर्तन के चलते सदी के अंत तक कमजोर देशों की करीब 63.9 फीसदी तक

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रभावित हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्रिश्चियन एंड द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट लॉस्ट एंड डैमेज्ड में यह बात कही गई है। इस अध्ययन में जलवायु परिवर्तन के उन विनाशकारी आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है जिसका असर दुनिया के सबसे गरीब देशों पर पड़ेगा।

यही नहीं इस रिपोर्ट में जलवायु में आ रहे बदलावों के चलते हो रहे नुकसान और क्षति से निपटने के उत्सर्जन में कटौती के लिए एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि ऐसा ही

चलता रहा तो मौजूदा जलवायु नीतियों के अंतर्गत 2050 तक 65 निर्धन देशों की जीडीपी औसतन 19.6 फीसदी घट जाएगी, जबकि सदी के अंत तक अर्थव्यवस्था को होने वाला यह नुकसान बढ़कर 63.9 फीसदी पर पहुंच जाएगा।

यही नहीं यदि तापमान में हो रही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित भी कर दिया जाए तो भी 2050 तक दुनिया के कमजोर देशों में जीडीपी को औसतन 13.1 फीसदी

का नुकसान होगा जो सदी के अंत तक बढ़कर 33.1 फीसदी पर पहुंच जाएगा। इसमें कोई शक नहीं की इन देशों की अर्थव्यवस्था आज की तुलना में सदी के अंत तक कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में जलवायु परिवर्तन का जीडीपी पर बढ़ता प्रभाव बढ़े खतरे की ओर इशारा करता है।

गौरतलब है कि यदि तापमान में मौजूदा रफ्तार से वृद्धि होती रही तो करीब 2.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का होना लगभग तय है, जोकि पेरिस समझौते के लक्ष्यों से कहीं ज्यादा है। ऐसे में उत्सर्जन में कमी करना कितना जरूरी है उसकी अहमियत आप खुद ही समझ सकते हैं।

भारत के नए जलवायु लक्ष्य- साहसिक, महत्वाकांक्षी और दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण पहले से ही कम उत्सर्जक होने के बावजूद

भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जो प्रतिबद्धता जताई है, उसने बड़े उत्सर्जकों खासकर चीन को उत्सर्जन में कमी के लिए मजबूर कर दिया है

– सुनीता नारायण

2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता से यह साफ है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब तेजी से काम शुरू कर देना चाहिए।

कॉप 26 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक रणनीति की घोषणा की – जिसे उन्होंने पंचामृत कहा है– इसमें शामिल है –

भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंचा देगा।

भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा से पूरा करेगा।

भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।

2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से भी कम कर देगा।

वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

भारत के जलवायु परिवर्तन के ये लक्ष्य प्रशंसनीय हैं और अब भारत ने समृद्ध दुनिया के पाले में गेंद डाल दी है कि अब उनकी बारी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारत का ऐतिहासिक



योगदान नहीं रहा है।

1870 से 2019 तक, भारत का उत्सर्जन वैश्विक कुल के मुकाबले 4 प्रतिशत तक बढ़ा है। हालांकि भारत को 2019 में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े प्रदूषक के रूप में जाना गया, लेकिन भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2.88 गीगाटन था, वहीं पहले नंबर पर रहे चीन का सीओ2 उत्सर्जन 10.6 गीगाटन था और अमेरिका का सीओ2 उत्सर्जन 5 गीगाटन था। ऐसे में इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वह भी जब, जब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने लाखों लोगों की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने की बहुत आवश्यकता है।

इसलिए, हर कोण से देखा जाए तो हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन वैश्विक लक्ष्यों को नहीं लेना था। यही कारण है कि भारत के लिए इसे हासिल करना न केवल

एक चुनौती है, बल्कि दुनिया के लिए भी इसका अनुसरण करना भी एक चुनौती है।

लेकिन, इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का क्या मतलब है? इस बारे में बात करते हैं –

2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता- क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा करेगा

भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2030 के लिए देश के ऊर्जा सम्मिश्रण के लिए एक अनुमान लगाया है। इसके अनुसार, बिजली उत्पादन के लिए गैर-जीवाश्म ऊर्जा की भारत की स्थापित क्षमता (सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु) 2019 में 134 गीगावाट थी, जो 2030 तक 522 गीगावाट हो जाएगी।

इसके लिए सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा को 140 गीगावाट तक जाने की आवश्यकता होगी।

इसके अनुसार 2030 तक कुल स्थापित क्षमता 817 गीगावाट और बिजली उत्पादन 2518 अरब यूनिट होगा।

सीईए के इस अनुमान को देखते हुए भारत 2030 तक अपनी 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को पूरा कर सकता है।

भारत अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा- भारत कोयला स्रोत में निवेश नहीं करने का इरादा रखता है

सीईए के अनुसार, 2019 में भारत अपने बिजली उत्पादन का 9.2 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पूरा कर रहा था। 2021 तक, अक्षय ऊर्जा क्षमता में 102 गीगावाट की वृद्धि के साथ उत्पादन



लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ गया। इसका मतलब है कि हमें 2030 तक 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

2030 में भारत की बिजली की आवश्यकता 2518 अरब यूनिट होने का अनुमान है और यदि हम अक्षय ऊर्जा से अपनी 50 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं, तो स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट से बढ़ाकर 700 गीगावाट करना होगा। यदि हम जलविद्युत को नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं – जैसा कि विश्व स्तर पर माना जाता है – तो हमें नई अक्षय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 630 गीगावाट करने की आवश्यकता होगी। यह निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है।

2030 के लिए भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए भारत को अपनी कोयला आधारित ऊर्जा पर रोक लगानी होगी। वर्तमान में, लगभग 60 गीगावाट क्षमता के कोयला ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन या पाइपलाइन में हैं। सीईए के अनुसार, 2030 तक भारत की कोयला क्षमता 266 गीगावाट हो जाएगी, जो निर्माणाधीन 38 गीगावाट के अतिरिक्त हैं। इसका मतलब है कि भारत ने कहा है कि वह इससे आगे अब नए कोयला संयंत्रों में निवेश नहीं करेगा।

भारत 2021-2030 तक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा- यह भी संभव है, साथ ही इसका पालन करने की

चुनौती भी दुनिया को दी गई है

भारत का वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ₂) उत्सर्जन (2021) 2.88 गीगा टन है। पिछले दशक 2010-2019 में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर के आधार पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार यदि सब कुछ सामान्य रहता है, तब 2030 तक भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 4.48 गीगाटन होगा। इस नए लक्ष्य के अनुसार, भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करेगा। यानी कि 2030 में हमारा उत्सर्जन 3.48 गीगाटन होगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपने उत्सर्जन में 22 फीसदी की कटौती करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

प्रति व्यक्ति की दृष्टि से- भारत का प्रति व्यक्ति सीओ₂ उत्सर्जन 2.98 टन होगा और इस नए लक्ष्य के अनुसार यह 2.31 टन प्रति व्यक्ति होगा। यदि आप दुनिया से इसकी तुलना करें, तो 2030 में अमेरिका का प्रति व्यक्ति सीओ₂ उत्सर्जन 9.42 टन, यूरोपीय संघ का 4.12, कॉप-26 का आयोजन कर रहे देश यूनाइटेड किंगडम का 2.7 और चीन का 8.88 टन होगा।

आईपीसीसी के अनुसार, 2030 में वैश्विक सीओ₂ उत्सर्जन 18.22 गीगाटन होना चाहिए ताकि दुनिया तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से नीचे रहे। यदि हम 2030 में वैश्विक जनसंख्या को लेते हैं और इसको विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि 2030 में पूरी दुनिया का सीओ₂ 2.14 टन प्रति व्यक्ति

होना चाहिए। भारत इस लक्ष्य तक पहुंच रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया को 2030 में जाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

कार्बन बजट के संदर्भ में- 2 नवंबर, 2021 को घोषित नई राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भागीदारी (एनडीसी) के तहत अब भारत आईपीसीसी के 400 गीगाटन कार्बन बजट का 9 प्रतिशत हासिल कर लेगा। आईपीसीसी का यह कार्बन बजट 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य हासिल करने के लिए रखा गया है। साथ ही, इसका लक्ष्य इस दशक (2020-30 तक) में विश्व उत्सर्जन का 8.4 प्रतिशत और 1870-2030 के बीच विश्व उत्सर्जन का 4.2 प्रतिशत हासिल करना भी है।

कार्बन की तीव्रता में 45% की कमी – भारत को इसे हासिल करने के लिए काफी काम करना होगा

कार्बन की तीव्रता (इंटेंसिटी) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के सीओ₂ के उत्सर्जन को मापती है और मांग करती है कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने पर इन्हें कम किया जाए। सीएसई के अनुसार, भारत ने 2005-2016 के बीच सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 25 प्रतिशत की कमी हासिल की है और 2030 तक 40 प्रतिशत से अधिक हासिल करने की राह पर है।

लेकिन इसका मतलब यह है कि भारत को परिवहन क्षेत्र, ऊर्जा आधारित औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से सीमेंट, लोहा और इस्पात, गैर-धातु खनिज, रसायन से उत्सर्जन को कम करने के लिए अधिक उपाय करने होंगे।

इसके लिए भारत को अपनी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की भी आवश्यकता होगी, ताकि हम वाहनों को नहीं, बल्कि लोगों को एक से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकें। इसके लिए हमारे शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में वृद्धि करनी होगी। इसके अलावा हमारे आवास की ताप क्षमता में भी सुधार करना होगा। वह सब हमारे हित में है।

2070 तक नेट जीरो- यह लक्ष्य विकसित देशों और चीन को अधिक महत्वाकांक्षी होने की चुनौती देता है

आईपीसीसी के अनुसार 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन आधा होना चाहिए और 2050 तक नेट जीरो (शुद्ध शून्य) तक पहुंच जाना चाहिए। चूंकि दुनिया में उत्सर्जन में भारी असमानता है, इसलिए ओईसीडी देशों को



2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है, जबकि चीन को 2040 और भारत और बाकी दुनिया को 2050 तक इस लक्ष्य तक पहुंचना होगा। हालांकि, नेट जीरो के लक्ष्य न केवल असमान हैं बल्कि महत्वकांक्षी भी नहीं हैं। इसके अनुसार ओईसीडी देशों ने नेट जीरो का अपना लक्ष्य 2050 और चीन ने 2060 घोषित किया है।

इसलिए, भारत का 2070 का नेट जीरो का लक्ष्य इसका ही विस्तार है और इसके खिलाफ तर्क नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, यह संयुक्त नेट जीरो लक्ष्य दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि से नीचे नहीं रख सकता है। इसका मतलब है कि ओईसीडी देशों को 2030 तक अपने उत्सर्जन में कमी लानी होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन, जिसका शेष बजट के 33 प्रतिशत पर कब्जा है, उसे इस दशक में अपने उत्सर्जन में भारी कमी करने के लिए कहा जाना चाहिए। अकेला चीन इस दशक में 126 गीगाटन उत्सर्जन करेगा।



भविष्य

भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तन को स्वीकार किया है, जिसे भविष्य के लिए डिजाइन किया जाएगा और यह नए जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के अनुरूप होगा। लेकिन जो बड़ा मुद्दा हमें चिंतित करने वाला है। वह, यह कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास समान हो और अपने ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए देश में गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। क्योंकि हमारे यहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्हें अभी भी अपने विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। अब, भविष्य में,

जैसा कि हमने खुद को प्रदूषण के बिना बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है, हमें गरीबों के लिए स्वच्छ, लेकिन सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने पर काम करना चाहिए।

चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर पहुंच कर वातावरण में जमा हो जाता है और औसतन 150 से 200 साल तक रहता है। और यही उत्सर्जन तापमान को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता है। भारत ने अब इस बोझ को आगे नहीं जोड़ने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

पहले से ही औद्योगिकीकरण की चपेट में आ चुकी पूरी दुनिया और खासकर चीन को प्रकृति का कर्ज चुकाना चाहिए। ऐसे में, प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना सही है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर फंड की आवश्यकता पड़ेगी। यह विडंबना ही है कि जलवायु परिवर्तन के लिए अब तक जो फंडिंग भी हुई है या हो रही है, वह पारदर्शी नहीं है और उसका सत्यापन भी नहीं होता।

सभी लेख साभार 'डाउन टू अर्थ' पोर्टल

शादी को पारिवारिक प्रसंग बनाइए

आज तक जितनी शादियों में मैं गया हूँ, उनमें से करीब 80% में दुल्हा- दुल्हन की शक्ल तक नहीं देखी... उनका नाम तक नहीं जानता था... विवाह समारोहों में जाना और वापस आना भी हो गया पर अधिकतर मे ख्याल तक नहीं आया और ना ही कभी देखने की कोशिश भी की कि स्टेज कहाँ सजा है, युगल कहाँ बैठा है... भारत में लगभग हर विवाह में हम 75% फालतू जनता को invitation देते हैं ... फालतू जनता वो है जिसे आपके विवाह में कोई रुचि नहीं..

जो आपका केवल नाम जानती है...
जो केवल आपके घर की लोकेशन जानती है..
जो केवल आपकी पद- प्रतिष्ठा जानती है..
और जो केवल एक वक्त के स्वादिष्ट और विविधता पूर्ण व्यंजनों का स्वाद लेने आती है...
ये होती है फालतू जनता...

विवाह कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है कि हर आते जाते राह चलते को रोक रोक कर प्रसाद दिया जाए...

केवल आपके रिश्तेदारों, कुछ बहुत घ्यश्रह्य मित्रों के अलावा आपके विवाह में किसी को रुचि नहीं होती...

ये ताम-झाम, पंडाल, झालर, सैकड़ों पकवान, आर्केस्ट्र, DJ, दहेज का मंहगा सामान एक संक्रामक बीमारी का काम करता है...



लोग आते हैं इसे देखते हैं और सोचते हैं कि मैं भी ऐसा ही इंतजाम करूँगा, बल्कि इससे बेहतर...

और लोग करते हैं... चाहे उनकी चमड़ी बिक जाए..

लोग 75% फालतू की जनता को show off करने में अपने जीवन भर की कमाई लुटा देते हैं.. लोन ले लेते हैं...

और उधर विवाह में आमंत्रित फालतू जनता, गेस्ट हाउस के gate से अंदर सीधे भोजन तक पहुंचकर, भोजन उदरस्थ करके, लिफाफा पकड़ा कर निकल लेती है...

आपके लाखों का ताम झाम उनकी आँखों में बस आधे घंटे के लिए ही पड़ता है...

पर आप उसकी किशतें जीवन भर चुकाते हो... इस अपव्यय और दिखावे को रोकना होगा...

विचार कीजिए



जानलेवा प्रदूषण की चादर में लिपटी दिल्ली

● ललित गर्ग

कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण जान और जहान दोनों ही खतरे में हैं। दिल्ली एवं एनसीआर की हवा में घुलते प्रदूषण का 'जहर' लगातार खतरनाक स्थिति में बना होना चिन्ता का बड़ा कारण है। प्रदूषण की अनेक बंदिशों एवं हिदायतों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण की बात खोखली साबित हुई। जबकि स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दिवाली की रात दिल्ली सहित आसपास के

शहरों में दमघोंटू प्रदूषण हो चुका था। पैमाने के हिसाब से देखें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खतरनाक स्तर को भी पार कर गया और नोएडा में तो एक हजार के आसपास तक दर्ज किया गया।

यह कैसा समाज है जहां व्यक्ति के लिए पर्यावरण, अपना स्वास्थ्य या दूसरों की सुविधा-असुविधा का कोई अर्थ नहीं है। जीवन-शैली ऐसी बन गयी है कि आदमी जीने के लिये सब कुछ करने लगा पर खुद जीने का अर्थ ही भूल गया, यही कारण है दिल्ली एवं एनसीआर की

जिन्दगी विषमताओं और विसंगतियों से घिरी होकर कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं देती। क्यों आदमी मृत्यु से नहीं डर रहा है? क्यों भयभीत नहीं है? दिल्ली की जनता दुख, दर्द और संवेदनहीनता के जटिल दौर से रूबरू है, प्रदूषण जैसी समस्याएं नये-नये मुखौटे ओढ़कर डराती है, भयभीत करती है। विडम्बना तो यह है कि दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों की सरकारें इस विकट होती समस्या का हल निकालने की बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप करती हैं, जानबूझकर प्रदूषण फैलाती हैं ताकि एक-दूसरे

वायु प्रदूषण - धुंध में शासन और बेदम लोग

खराब वायु गुणवत्ता के दुष्प्रभाव होते हैं। सितंबर 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुलासा किया कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में 70 लाख से अधिक असामयिक मौतों का कारण था। इनमें से करीब 25 फीसदी मौतें भारत में होती हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी-2019 के अनुमानों के अनुसार, वायु प्रदूषण भारत में 17 लाख से अधिक मौतों का कारण है-यानी एक घंटे में 1,900 से अधिक मौतें।

दो भारत हैं। एक वह जो वायु प्रदूषण के खतम होने का अंतहीन इंतजार कर रहा है और दूसरा वह, जो इस मुद्दे को हल करने में हमेशा से लगा रहा है और इसकी शर्मनाक बढ़ती पर पनप रहा है। शासन द्वारा कामकाज का परित्याग अब सरकारों की रणनीति का हिस्सा है। अप्रत्याशित रूप से बुधवार को देश के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि 'नौकरशाही जड़ता में चली गई है' और अदालतों के निर्देश की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास पहले खुद को त्रासदी और फिर तमाशे के रूप में दोहराता है। वायु प्रदूषण की कहानी केवल प्रणालीगत विफलताओं की झांकी है।

वर्ष 2000 में सरकार ने संसद में स्वीकार किया था कि 'महानगरों में वायु प्रदूषण आर्थिक गतिविधियों, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण में वृद्धि को प्रदर्शित करता है।' वर्ष 2008 में, सरकार ने संसद को सूचित किया कि केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा वायुमंडलीय वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है और उपायों की प्रभावकारिता निर्धारित करने के लिए आंकड़े प्रसारित किए जाते हैं।

आपको लगता होगा कि शुरुआती चेतावनियां और निगरानी मायने रखती हैं। लेकिन वर्ष 2015 में जाकर 'वायु आपातकाल' शब्द प्रचलन में आया। दिसंबर, 2015 में प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि अपशिष्ट (पराली) निपटान, कचरा जलाने, लैंडफिल, निर्माण, परिवहन उत्सर्जन आदि से पार्टिकुलेट सामग्री के उत्सर्जन और घातक स्तर, दोनों उत्पन्न करने वाले कारकों से निपटने के लिए वायु अधिनियम की धारा 18 के तहत 39 कदमों की घोषणा की।

यह योजना कैसी रही? इसका उत्तर है, निगरानी और कार्यान्वयन, दोनों ही उपाय पूरी तरह सफल नहीं हुए। वर्ष 2017 में स्कूल बंद करने पड़े, विदेशी राजनयिकों ने विरोध किया और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रोक दी गईं। वर्ष 2019 में आपातकालीन उपायों की घोषणा की गई और

क्रिकेट खिलाड़ियों ने मास्क पहनकर प्रशिक्षण लिया। वर्ष 2021 में एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान लागू है, फिर भी आपात स्थिति है।

दो दशक बाद ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बदला है। और एक बार फिर दो भारत हैं। एक दिल्ली है, जिस पर राष्ट्रीय राजनेता ध्यान देते हैं और दूसरा शेष भारत है, जो चुपचाप पीड़ित है। दिल्ली का खास भूगोल स्पष्ट रूप से एक राष्ट्रीय समस्या की भयावहता को उजागर करता है।

अगस्त, 2021 में सरकार ने 1,114 निगरानी केंद्रों का आंकड़ा संसद में साझा किया, जो बताता है कि 132 शहर पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) के स्तर के मामले में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक पर खरा नहीं उतरते। इनमें से 17 शहर उत्तर प्रदेश के हैं और 23 महाराष्ट्र के। दिल्ली, कानपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अमृतसर, लुधियाना, आगरा जैसे 50 से अधिक शहरों ने 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर पीएम स्तर की सूचना दी, जो कि 31 माइक्रोग्राम/एम3 के स्वीकार्य मानक से तीन गुना अधिक है। रविवार को उत्तर प्रदेश के 37 से अधिक शहरों में पीएम 10 का स्तर 100 से अधिक दर्ज किया गया, जो कि पीएम के सामान्य स्तर का तीन गुना है।

खराब वायु गुणवत्ता के दुष्प्रभाव होते हैं। सितंबर 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुलासा किया कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में 70 लाख से अधिक असामयिक मौतों का कारण था। इनमें से करीब 25 फीसदी मौतें भारत में होती हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी-2019 के अनुमानों के अनुसार, वायु प्रदूषण भारत में 17 लाख से अधिक मौतों का कारण है-यानी एक घंटे में 1,900 से अधिक मौतें।

वर्ष 1998 के बाद से पेश किए गए सबूतों के बावजूद एक के बाद एक आने वाली सरकार ने प्रदूषण और मौतों के संबंध को नकारने का काम किया है। जैसा कि अगस्त, 2021 में संसद में फिर बताया गया कि 'खासकर वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु/बीमारी का सीधा संबंध स्थापित करने के लिए देश में कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।'

हवा की गुणवत्ता जमीनी स्तर पर नीतियों के फासले को दर्शाती है। अनिवार्य रूप से, यह सभी क्षेत्रों में नीतियों और क्षमता निर्माण को साथ लाने का आह्वान करता है, ताकि गैसों के उत्सर्जन और पार्टिकुलेट मैटर के उत्पादन,

दोनों को कम किया जा सके। मसलन, पराली निपटान कृषि उपज को प्रभावित करता है, पर किसानों को विकल्पों की आवश्यकता होती है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बनाने (पराली को दूसरे क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में उपयोग) के लिए स्टार्ट-अप इको सिस्टम का लाभ क्यों नहीं उठाया जाता?

शहरीकरण (निर्माण के गंदे परिदृश्य से लेकर आवागमन की निरंकुशता तक) वायु प्रदूषण का एक स्पष्ट कारण है। क्या हर भारतीय को घंटों जाम में फंसने के लिए मजबूर होना चाहिए? व्यक्तिगत परिवहन की आवश्यकता जन परिवहन प्रणालियों की कमी के कारण होती है। अब कोमा में चले गए 'स्मार्ट सिटीज' पहल को फिर से आकार देने पर इसका समाधान निकल सकता है।

कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों पर शहरों की निर्भरता भी एक मुद्दा है। यदि संयंत्रों को बंद करना है, तो इनका विकल्प लाने की जरूरत है। अब जब भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, तो रूफटॉप सोलर को क्यों न प्रेरित करें, मेगावाट के बजाय प्रति/किलोवाट के संदर्भ में सोचें और घरों और शहरी वाणिज्यिक स्थानों के लिए ऑफ-ग्रिड समाधानों को प्रोत्साहित करें।

खराब वायु गुणवत्ता का नतीजा व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। इसका अर्थव्यवस्था की सेहत पर असर पड़ता है, नतीजतन संभावित विकास भी प्रभावित होता है। ब्रिटेन स्थित गैर-लाभकारी स्वच्छ वायु कोष, प्रबंधन फर्म डालबर्ग एडवाइजर्स और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक अध्ययन का अनुमान है कि वायु प्रदूषण के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत या लगभग सात लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होता है।

ऐसा नहीं है कि समस्या नई है या समाधान पता नहीं। सफलता के लिए स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति वाला चैंपियन चाहिए, जो स्वच्छ हवा के लिए संघर्ष करे। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि बारिश से हवा साफ हो सकती है। स्वच्छ हवा और अच्छे स्वास्थ्य का सार्वजनिक अधिकार मौसम की दया या वरुण देव की प्रार्थना पर नहीं छोड़ा जा सकता।

- शंकर अह्यर

श्वास लेने का अधिकार बहाल करें सरकार

दिल्ली-एनसीआर का एक्वआई स्तर पिछले कुछ दिनों से लगातार 500 से ऊपर चल रहा है और देश का राजधानी क्षेत्र गैस-चेंबर बन गया है। इंसान तो क्या ऐसे दम-घोटू वातावरण में जीव जंतु और पेड़-पौधों तक का जीवित रह पाना मुश्किल हो गया है। यह स्थिति सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है लगभग पूरे उत्तरभारत के हर शहर के यहीं हालात हैं। WHO के अनुसार श्वास में जहरीली प्रदूषित हवा और पीने में गन्दे (प्रदूषित) पानी के उपयोग से भारत में प्रतिवर्ष 40 लाख लोग असमय मौत के

आगोश में समा जाते हैं। इनमें से अधिकांशतय 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग होते हैं। यह जहरीली गैसें हमेशा बनती हैं और इन्सानों के फेफड़ों में पहुंच कर आस्ते आस्ते Slow-Poison का असर देते हुए मौत की ओर ले जाती हैं। आज प्रदूषण का जहर दुसरे दिनों की तुलना में कम पैदा हो रहा है मगर हवा की गति कम होने के कारण प्रदूषण का दम-घोटू जहर गैस-चेंबर बन कर सीधा प्रभाव डाल रहा है और इस जहर के आंकड़े आम लोगों की नजरों में आ गए हैं। इस जहर से बचने के लिए अमीरों ने अपने घरों में एयर-फिल्टर

लगा लिए हैं और गाड़ी में ऑक्सीजन का सिलेण्डर ले कर घूमते हैं मगर 95% आम इन्सान कैसे श्वास लेगे इसकी चिन्ता किसी को नहीं हैं।

तीन दशकों से जल और पर्यावरण पर शोध कर रहे विश्व के सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक श्याम सुन्दर राठी कहते हैं दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर एक्वआई स्तर में बड़ा फर्क स्पष्ट रूप से यह सन्देश देता है की दिल्ली के दम-घोटू जहरीले गैस-चेंबर के लिए स्थानीय प्रदूषण जिम्मेवार है। अगर किसानों के पराली जलाने से दिल्ली का एक्वआई स्तर 500 पहुंचता है तो जहाँ पराली जल रही है उस अंचल के हवा का एक्वआई स्तर 1000 के आसपास होना चाहिए था। जहाँ पराली जल रही है उस जगह का

एक्वआई स्तर सामान्य है तो दिल्ली जो कि पराली जलाने वाले स्थान से सैंकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर पराली जलाने से दिल्ली को कैसे इतना प्रदूषण का जहर दे सकता है। यह तो चालाक लोगों की पैंतरे बाजी और खुद को बचाने का बहाना है। जैसे बीरवल की कहानी में है, जिसमें अकबर द्वारा यह घोषणा की गई कि अगर कोई व्यक्ति सर्दी की रात में तालाब में खड़े होकर रात काट दे, तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। एक ब्राह्मण इसके लिए तैयार हो गया



और रातभर पानी में खड़ा रहा। जब सुबह उससे पूछा गया कि तुम इतनी ठंड में इस ठंडे पानी में, जिसमें कोई दिन में एक मिनट खड़ा नहीं रह सकता, कैसे खड़े रहे। तो ब्राह्मण ने कहा कि सामने वाले गाँव में एक दीया जल रहा था, मैं उसे देखता रहा और ईश्वर को याद करता रहा। बस फिर क्या था, दरबार में निर्णय लिया गया कि इस ब्राह्मण ने दीये से गरमी ली है, यह तो धूर्तता कर गया, इसलिए इसे इनाम नहीं, सजा दी जाए। कैसी मूर्खता है? यही कहानी दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण के मामले का एक भाग है। सरकार ने प्रदूषण को पराली जलाने से जोड़ 40 लाख लोगों की मौत के कारण को मजाक बना कर घोर अमानवीय होने का परिचय दिया है और

नागरिकों के जान माल की रक्षा करने की अपनी जिम्मेवारी से दूर भाग रही है। किसानों का पराली जलाना गलत है और हम इसकी वकालत नहीं कर रहे मगर दिल्ली के प्रदूषण स्तर बढ़ने के असली कारणों का सहीक आकलन कर वैज्ञानिक विधि से प्रदूषण को खत्म कर आम लोगों को दम-घोटू जहरीले गैस-चेंबर से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं।

प्रकृति और पंछी हमारे और सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते और अपने नियम कानूनों के अनुसार चलते हैं। 15 Oct से 14 Dec हेमन्त ऋतु का समय है जो शीत ऋतु से पहले आती है। इस ऋतु में दिन और रात के टेम्परेचर/तापमान में व्यवधान बहुत कम रहता है इस कारण हवा का प्रवाह धीमी गति से होता है। इस समय हवा में आद्रता भी पर्याप्त रहती है इस कारण प्रदूषण के सूक्ष्म कण आद्रता के साथ हवा में तैरने लगते और दम-घोटू गैस-चेंबर का माहौल बन जाता है। शीत ऋतु से पहले पेड़पौधों के पत्ते भी पक कर झड़ने लगते हैं इस

कारण जहरीली गैसों के सोखने की प्रक्रिया भी काफी धीमी गति से काम करती है। इस कारण परिस्थितियाँ और भी भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। अब बात रही दिल्ली में प्रदूषण की, तो जिस तरह से पंचार किया जाता है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, दिल्ली प्रदूषण का हब है, यह गलत है। प्रदूषण केवल दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की तो है, लेकिन उससे अधिक जिम्मेदारी भारत सरकार की है क्योंकि तकनीकी और आर्थिक रूप से केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सैंकड़ों गुणी सक्षम है। क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के नागरिक अलग अलग हैं इसलिए पूरी व्यवस्था को

संगठित होकर इससे निपटना चाहिए। केवल दिल्ली सरकार के सिर पर प्रदूषण का दोष मढ़ना ठीक नहीं है।

वैज्ञानिक राठी जी कहते हैं की दिल्ली की आबोहवा के निम्नमान के होने में बाहरी योगदान मात्र 5% और स्थानीय कारकों की भागीदारी 95% के आसपास है। स्थानीय कारणों में 50% का योगदान परिवहन से जुड़ा हुआ है। दिल्ली शहर के पलाई ओवर ब्रिजों की गलत डिजाइनिंग इसके लिए सबसे बड़ा कारण है और उनके कमजोर रखरखाव की व्यवस्था आग में घी डालने का काम करती है। सिर्फ इन को सुधारने और रखरखाव को ठीक करने से परिवहन से जुड़ा हुआ 50% तक प्रदूषण कम हो जाएगा। दूसरा नम्बर उद्योगों के निकलने वाले धुएँ का है जो लगभग 25% के आसपास है और इस प्रदूषण को साधारण से प्रयासों से 60% तक कम किया जा सकता है। बाकी बचे 25% की भागीदारी में एंविएशन, क्यूँके डेर में आगजनी, निर्माण कार्य, होटल वह यरौई ईंधन आदि है। इनसे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को भी 50% कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर 60% प्रदूषण को 500 दिनों के अन्दर कम किया जा सकता है। दर असल प्रदूषण के स्तर को कम करने की सरकार और व्यवस्थाओं की इच्छा शक्ति बिलकुल नहीं है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने को प्रथमिकता दी जा रही है।

अगर सरकार चाहें तो सर्वकालीन महानतम वैज्ञानिक प्रदूषण को समान्य करने के लिए 500 दिनों का Action Plan देने में सक्षम हैं मगर इसका निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा। क्या नागरिकों के श्वास लेने का अधिकार छीन लिया जाए या उसे बहाल किया जाए। हमारे लिए पूर्वजों ने तोहफे में अनोको बेहतरीन सुविधाएँ प्रदान की है मगर आज की सरकारें हमें पीठ पर Oxygen का Cylinder बांधकर घर से बाहर निकलने की मजबूरी दे रही है।

श्याम सुंदर राठी



की छीछालेदर कर सके।

दिल्ली सहित उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्थिति में पहुँच गया है। हालत ये है कि अब सांस लेना मुश्किल हो गया है और लोगों को घरों में ही रहने को कहा जा रहा है। वैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में प्रदूषण की स्थिति पिछले कई सालों से खराब है और हर साल अक्तूबर से ही यह समस्या शुरू हो जाती है। इसका बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआँ है। पराली को भूलकर पटाखों का धुआँ सबको दिखाई दे रहा है, सच है कि पटाखों से प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन ज्यादा प्रदूषण बढ़ने का कारण लगातार जल रही पराली है। यह कैसी शासन-व्यवस्था है? यह कैसा अदालतों की अवमानना का मामला है? यह सभ्यता की निचली सीढ़ी है, जहाँ तनाव-ठहराव की स्थितियों के बीच हर व्यक्ति, शासन-प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के अपने दायित्वों से दूर होता जा रहा है। कहने को राष्ट्रीय हरित पंचाट (एनजीटी) से लेकर दिल्ली सरकार तक ने पटाखों पर पाबंदी लगा रखी थी, पर यह कवायद पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। कानून को एक तरफ रखते हुए लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े।

दिल्ली में प्रदूषण जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गयी है। हर कुछ समय बाद अलग-अलग वजहों से हवा की गुणवत्ता का स्तर 'बेहद खराब' की श्रेणी में दर्ज किया जाता है और सरकार की ओर से इस स्थिति में सुधार के लिए कई तरह के उपाय करने की घोषणा की जाती है। हो सकता है कि ऐसा होता भी हो, लेकिन सच यह है कि फिर कुछ समय बाद प्रदूषण का स्तर गहराने के साथ यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसकी असली जड़ क्या है और क्या सरकार की कोशिशें सही दिशा में हो पा रही हैं। इस विकट समस्या से मुक्ति के लिये ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहर वायु प्रदूषण की गंभीर मार झेल रहे हैं। इसका पता तब ज्यादा चलता है जब वैश्विक पर्यावरण संस्थान अपने वायु प्रदूषण सूचकांक में शहरों की स्थिति को बताते हैं। पिछले कई सालों से दुनिया के पहले बीस प्रदूषित शहरों में भारत के कई शहर दर्ज होते रहे हैं। जाहिर है, हम वायु प्रदूषण के दिनोंदिन गहराते संकट से निपट पाने में तो कामयाब हो नहीं पा रहे, बल्कि जानते-बूझते ऐसे काम करने में जरा नहीं हिचकिचा रहे जो हवा को जहरीला बना रहे हैं।

बात सरकार की अक्षमता की नहीं है। उन कारणों की शिनाख्त करने की है, जिनके चलते एक आम नागरिक पर्यावरण या उसके अपने स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर मंडरा रहे खतरों के बावजूद लगातार उदासीन एवं लापरवाह क्यों होता जा रहा है। इस हकीकत से तो कोई अनजान नहीं है कि लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों को बीमार बना रहा है। बुजुर्ग ही नहीं, बच्चों तक को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। ज्यादातर गंभीर बीमारियों का बड़ा कारण जहरीली हवा है। प्रदूषित हवा से कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी की बात हम पिछले कई सालों से सुन ही रहे हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि अभी कोरोना संकट से मुक्ति नहीं मिली है। कोरोना महामारी को पनपने का बड़ा कारण प्रदूषण ही है। डॉक्टर बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि वायु प्रदूषण ज्यादा होने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि प्रदूषित हवा में कोरोना विषाणु को बने रहने का मौका मिल जाता है और इससे संक्रमण कहीं ज्यादा तेजी फैल सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब

बंद हो पंजाब व हरियाणा में धान की रासायनिक खेती - मौलिक भारत

वो धान जो पंजाब व हरियाणा के किसान उगाते हैं-

1) यह हरित क्रांति का नतीजा है जब इन प्रदेशों में बहुफसली खेती को गेहूँ व धान की खेती में बदला गया और पूरे देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के नाम पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा एमएसपी पर खरीदा जाने लगा। सच्चाई यह है कि ये गेहूँ व धान जहर हैं क्योंकि उसमें जहरीले बीज, कीटनाशक और रासायनिक खाद मिली होती है। देश में कैंसर व अन्य रोग फैलाने के लिए यही जिम्मेदार हैं।

2) वो बहुत ज्यादा पानी की खपत करता है जिसके कारण इन प्रदेशों का भूजलस्तर बहुत नीचे जा चुका है। पंजाब और हरियाणा सरकारों ने यह कहते हुए अप्रैल में धान बोने पर प्रतिबंध लगा दिया कि इस समय धान बोने के लिए किसान बड़े-बड़े ट्रैक्टर चलाते हैं, जिससे ग्राउंडवॉटर सूख रहा है... अगर कोई किसान अप्रैल-मई में धान बोता है तो उस पर जुर्माना होता है... अब किसान जून के आखिर में बुआई के लिए विवश हैं, जिससे फसल देर से अर्थात् दिपावली के आसपास तैयार होने लगी।

3) उत्तर भारत में हवाओं का पैटर्न कैसे मौसम के साथ बदलता है... दिवाली तक हवा का बहाव उत्तर से दक्षिण की तरफ हो चुका होता है, जबकि मॉनसून के आखिर यानी सितंबर तक हवाएं पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही होती हैं... भारत के नक्शे में देखें तो पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्य दिल्ली से ऊपर की

तरफ यानी उत्तर में हैं। इस कारण धान की पराली को जब जलाया जाता है तो उसका धुआँ दिल्ली एनसीआर व आसपास के इलाकों में फैल कर इसे दमघोंटू गैस चेंबर में बदल देता है।

4) देश में वर्तमान में इतने धान व गेहूँ की आवश्यकता है ही नहीं फिर भी सरकार राजनीति के चक्कर में इन फसलों को एमएसपी पर खरीदने को मजबूर है। इसके बाद भी पिछले एक साल से किसान धरने पर बैठे हैं।

5) प्रश्न यह है कि जिस धान की आवश्यकता ही नहीं उसको उगाया ही क्यों जा रहा है? फिर उसकी पराली अलग से देश का दम घोंट रही है।

मौलिक भारत की भारत सरकार व हरियाणा- पंजाब की राज्य सरकारों से माँग है कि

1) इन दोनो प्रदेशों में धान की रासायनिक खेती पर प्रतिबंध लगाया जाए।

2) इन दोनो राज्यों में जैविक कृषि व बहुफसली कृषि अनिवार्य की जाए।

3) अगले दस साल किसानों को आय का जो भी नुकसान या कमी हो उसकी क्षतिपूर्ति की जाए।

अनुज अग्रवाल



जानते-बुझते भी हम ऐसी पहल करने से कतराते हैं जो हवा को खराब होने से बचा सकती है। मसला केवल पटाखों तक सीमित नहीं है। चाहे पुराने वाहनों का हो, या पराली जलाने का हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई एक राय नहीं बन पाना या इनके समाधान की दिशा में नहीं बढ़ पाना चिंता पैदा करता है। प्रदूषण से बचाव के लिए सिर्फ सरकारी प्रयासों से काम नहीं चलने वाला, इसके लिए जन-जन की जागरूकता कहीं ज्यादा जरूरी है।

दिल्ली के सामाजिक संरचना में बहुत कुछ बदला है, मूल्य, विचार, जीवन-शैली, वास्तुशिल्प, पर्यावरण सब में परिवर्तन है। आदमी ने जमी को इतनी ऊंची दीवारों से घेर कर तंगदिल बना दिया कि धूप और प्रकाश तो क्या, जीवन-हवा को भी भीतर आने के लिये रास्ते ढूँढ़ने पड़ते हैं। सुविधावाद हावी है तो कृत्रिम साधन नियति बन गये हैं। चारों तरफ भय एवं डर का माहौल है। यह भय केवल

प्रदूषण से ही नहीं, भ्रष्टाचारियों से, अपराध को मंडित करने वालों से, सत्ता का दुरुपयोग करने वालों से एवं अपने दायित्व एवं जिम्मेदारी से मुंह फेरने वाले अधिकारियों से भी है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अब भी ऐसे मुकाम पर हैं, जहां सड़क पर बाएं चलने या सार्वजनिक जगहों पर न थूकने जैसे कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए भी पुलिस की जरूरत पड़ती है। जो पुलिस अपने चरित्र पर अनेक दाग ओढ़े हैं, भला कैसे अपने दायित्वों का ईमानदारी एवं जिम्मेदारी से निर्वाह करेंगी?

मुश्किल यह है कि वायुमंडल के घनीभूत होने की वजह से जमीन से उठने वाली धूल, पराली की धुंध और वाहनों से निकलने वाले धुएं के छंटने की गुंजाइश नहीं बन पाती है। नतीजन, वायु में सूक्ष्म जहरीले तत्व घुलने लगते हैं और प्रदूषण के गहराने की दृष्टि से इसे खतरनाक माना जाता है। हमारा राष्ट्र एवं दिल्ली-सरकार नैतिक, आर्थिक, राजनैतिक और

सामाजिक एवं व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में मनोबल के दिवालिएपन के कगार पर खड़ी है। और हमारा नेतृत्व गौरवशाली परम्परा, विकास और हर प्रदूषण खतरों से मुकाबला करने के लिए तैयार है, का नारा देकर अपनी नेकनीयत का बखान करते रहते हैं। पर उनकी नेकनीयती की वास्तविकता किसी से भी छिपी नहीं है, देश की राजधानी और उसके आसपास जिस तरह प्रदूषण नियंत्रण की छीछालेदर होती रहती है, उससे यह सहज ही जाहिर हो गया है। कुछ समय से दिल्ली में सरकार की ओर से प्रदूषण की समस्या पर काबू करने के मकसद से चौराहों पर लगी लालबत्ती पर वाहनों को बंद करने का अभियान चलाया गया था। सवाल है कि ऐसे प्रतीकात्मक उपायों से प्रदूषण की समस्या का कोई दीर्घकालिक और ठोस हल निकाला जा सकेगा? ■

यदि दवाएँ कारगर नहीं रहीं तो साधारण रोग भी हो जाएँगे घातक

दवाओं के अनावश्यक उपयोग या दुरुपयोग के कारण, जो कीटाणु रोग जानते हैं, वह दवा प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेते हैं, और नतीजतन यह दवाएँ उन कीटाणुओं पर कारगर नहीं रहतीं। साधारण से रोग जिनका पक्का इलाज मुमकिन है वह तक लाइलाज हो सकते हैं।

● शोभा शुक्ला और बॉबी रमाकांत

शांत महामारी या सक्रिय ज्वालामुखी?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दवा-प्रतिरोधकता विभाग के निदेशक डॉ हेलेसस गेटाहुन ने कहा कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, या अन्य पैरासाइट। में जब आनुवंशिक परिवर्तन हो जाता है तब वह सामान्य दवाओं को बेअसर कर देता है। एंटीबायोटिक हो या एंटी-फंगल, एंटी-वायरल हो या एंटी-पैरासाइट, वह बेअसर हो जाती हैं और रोग के उपचार के लिए या तो नयी दवा चाहिए, और यदि नई दवा नहीं है तो रोग लाइलाज तक हो सकता है। इसीलिए दवा प्रतिरोधकता के कारणवश, न केवल संक्रामक रोग का फैलाव ज्यादा हो रहा है बल्कि रोगी, अत्यंत तीव्र रोग झेलता है और मृत्यु का खतरा भी अत्याधिक बढ़ जाता है।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ और भारत में एचआईवी पॉजिटिव लोगों की चिकित्सकीय देखभाल आरम्भ करने वाले सर्वप्रथम विशेषज्ञ डॉ ईश्वर गिलाडा ने कहा कि जब से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक की खोज ऐलेग्जेंडर फ्लेमिंग ने की है (पेनिसिलिन) तब से इन दवाओं ने अरबों लोगों की जीवन रक्षा की है। पर अब दवा प्रतिरोधकता के कारण खतरा मंडरा रहा है और गहरा रहा है कि अनेक दवाएँ कारगर ही न रहें और साधारण रोग तक लाइलाज हो जाएँ। एचआईवी पॉजिटिव लोग यदि एंटीरेट्रोवायरल दवा ले रहे हों और वायरल लोड नगण्य रहे, तो वह सामान्य रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। पर इन जीवन रक्षक एंटीरेट्रोवायरल दवाओं से एचआईवी वायरस



दवा प्रतिरोधक हो रहा है जिसके कारण चुनौतियां बढ़ रही हैं।

हालाँकि दवा प्रतिरोधकता से होने वाली मृत्यु के आँकड़े संतोषजनक ढंग से एकत्रित नहीं किए गए हैं परंतु कम-से-कम 7 लाख लोग हर साल इसके कारण तो मरते ही हैं। टीबी रोग बैक्टीरिया से होता है, और यह बैक्टीरिया अक्सर दवा प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेता है और सबसे प्रभावकारी दवाएँ, कारगर नहीं रहतीं। इसीलिए दवा प्रतिरोधक टीबी का इलाज बहुत लम्बा और महँगा हो जाता है जिसके परिणाम भी असंतोषजनक हैं। हालाँकि हर प्रकार की टीबी का इलाज सरकारी स्वास्थ्य सेवा में नि-शुल्क है। इसी तरह मलेरिया उत्पन्न करने वाला पैरासाइट भी आर्टीमिसिनिन दवा (जो एकमात्र कारगर दवा है) से दवा-प्रतिरोधकता उत्पन्न कर रहा है जिसके कारण ग्रेटर-मेकांग क्षेत्र में दवा

प्रतिरोधक मलेरिया एक चुनौती बन गयी है। अपुरीका के रवांडा में भी दवा प्रतिरोधक मलेरिया रिपोर्ट हुई है।

दवा प्रतिरोधक फंगल संक्रामक रोग (फफूंदीय रोग) भी बढ़ोतरी पर हैं। डॉ ईश्वर गिलाडा जो ऑर्गनाइज्ड मेडिसिन ऐकडेमिक गिल्ड के सचिव हैं और एड्स सॉसायटी ओफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने बताया कि सिप्रोफ्लोक्सासिन दवा जो निमोनिया, और पेशाब की नली में होने वाले संक्रमण, के इलाज में उपयोग होती है उसके प्रति अक्सर कीटाणु दवा प्रतिरोधक हो रहे हैं, जो एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है।

मानव-जनित त्रासदी है दवा प्रतिरोधकता

हालाँकि समय के साथ सामान्य रूप से भी दवा प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है परंतु अनेक ऐसे

मानव-जनित कारण हैं जो दवा प्रतिरोधकता के फैलाव में खतरनाक अत्यधिक तेजी ले आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ गेटाहुन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, पशु स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और खाद्य-सम्बन्धी स्थानों पर हर स्तर पर असंतोषजनक संक्रमण नियंत्रण, और साफ पानी और पर्याप्त स्वच्छता के न होने के कारण भी दवा प्रतिरोधकता बढ़ती रही है।

डॉ गेटाहुन ने बताया कि मानव स्वास्थ्य हो या पशु-पालन या कृषि, गुणात्मक दृष्टि से असंतोषजनक दवाओं, और दवाओं के अनुचित इस्तेमाल से भी दवा प्रतिरोधकता तीव्रता के साथ भीषण चुनौती प्रस्तुत कर रही है। उदाहरण के तौर पर, कोविड महामारी के नियंत्रण में एक शोध के अनुसार, सिर्फ 6.9% कोविड से संक्रमित लोगों को बैक्टीरिया के कारण संक्रमण था, पर 72% को एंटी-बैक्टीरियल दवा दी गयी। अनावश्यक दवा देने के कारण भी दवा प्रतिरोधकता बढ़ती रही है जिसका बीभत्स परिणाम भविष्य में भी देखने को मिलेगा।

दवा प्रतिरोधकता, मानव स्वास्थ्य, पशुपालन, और कृषि

मानव स्वास्थ्य हो या कृषि या पशुपालन आदि, इन क्षेत्रों में दवाओं के अनुचित या अनावश्यक उपयोग के लिए जिम्मेदार तो इंसान ही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की डॉ एलिजाबेथ टेलर ने कहा कि पशुपालन और कृषि

में कम समय में अधिक उत्पाद के लिए अक्सर दवाएँ उपयोग होती हैं जो अक्सर गुणात्मक दृष्टि से असंतोषजनक रहती हैं या अनावश्यक या अनुचित। डॉ टेलर ने उदाहरण दिया कि 'सिटरस' (संतरे आदि) की खेती में एंटीबायोटिक दवाओं (जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन) का छिड़काव होता है, या पुष्पों की खेती में एंटीफंगल दवाओं का उपयोग होता है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रतिरोधकता विकसित की हुई दवाएँ अक्सर पर्यावरण में रिस कर पहुँच जाती हैं। कृषि या अस्पताल में अत्यधिक दवाओं के उपयोग के कारणवश वहाँ से निकलने वाले कचरे आदि में, अक्सर चिंताजनक मात्रा में दवाएँ पायी गयी हैं। जो अंततः नदी में पहुँच सकती हैं जहाँ जनमानस नहाने, पीने, घरेलू इस्तेमाल आदि के लिए पानी लाते हैं। इससे दवा प्रतिरोधक रोग होने का खतरा भी बढ़ता है।

डॉ गेटाहुन ने सही कहा है कि एक ओर बेहतर दवाओं के लिए शोध तेज होना चाहिए पर दूसरी ओर, हमें यह सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए कि जो दवाएँ हमारे पास हैं वह बे-असर न हो जाएँ।

डॉ टेलर का आह्वान है कि खाद्य, पशुपालन और पशु-स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण से सम्बंधित सभी लोगों, संस्थाओं और विभागों को एकजुट हो कर दवा प्रतिरोधकता पर विराम लगाना होगा। यह

NFHS सर्वे भारत में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या हुई ज्यादा

नीति आयोग में स्वास्थ्य समिति के सदस्य, वी के पॉल ने कहा कि, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 से दिखाता है कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में और तेजी आ रही है। NFHS-5 में साल 2019-20 के दौरान हुए सर्वेक्षण के डेटा को इकट्ठा किया गया। इस दौरान लगभग 6.1 लाख घरों का सर्वेक्षण किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ये आंकड़े जारी किए। बता दें कि हस्त-बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक सर्वेक्षण है, जिसमें हर परिवार से सैंपल लिए जाते हैं।

राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक देश में पुरुषों के मुकाबले अब महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई है। सर्वे के ताजा आंकड़ों में कहा गया है कि भारत में अब 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएँ हैं। सर्वे में ये भी कहा गया है कि प्रजनन दर में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ये आंकड़े जारी किए। बता दें कि NFHS बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक सर्वेक्षण है, जिसमें हर परिवार से सैंपल लिए जाते हैं।

इन आंकड़ों से ये साफ है कि भारत में अब महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। जबकि इससे पहले हालात कुछ अलग थे। 1990 के दौर में हर 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या महज 927 थी।

साल 2005-06 में हुए तीसरे NHFS सर्वे में ये 1000-1000 के साथ बराबर हो गया। इसके बाद 2015-16 में चौथे सर्वे में इन आंकड़ों में फिर से गिरावट आ गई। 1000 पुरुषों के मुकाबले 991 महिलाएँ थीं। लेकिन पहली बार अब महिलाओं के अनुपात ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है।

महिला सशक्तिकरण के अच्छे संकेतकेंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक विकास शील ने कहा, 'जन्म के समय बेहतर लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है; भले ही वास्तविक तस्वीर जनगणना से सामने आएगी, हम अभी के परिणामों को देखते हुए कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण के हमारे उपायों ने हमें सही दिशा में आगे बढ़ाया है।'

NHFS के बाकी आंकड़ेसर्वे के कुछ और आंकड़ों के मुताबिक 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का हिस्सा, जो 2005-06 में 34.9% था, 2019-21 में घटकर 26.5% हो गया है। भारत अभी भी एक युवा देश है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार, एक महिला द्वारा अपने जीवनकाल में बच्चों को जन्म देने की औसत संख्या 2.2 से घटकर 2 हो गई है। जबकि गर्भ निरोधक प्रसार दर 54% से बढ़कर 67% हो गई है।

डेटा का पैमाना

NFHS-5 में साल 2019-20 के दौरान हुए सर्वेक्षण के डेटा को इकट्ठा किया गया। इस दौरान लगभग 6.1 लाख घरों का सर्वेक्षण किया गया है। हस्त-बड़े पैमाने पर किया जाने वाला एक सर्वेक्षण है, जिसमें हर परिवार से सैंपल लिए जाते हैं। बता दें कि पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-1) साल 1992-93 में आयोजित किया गया था।

**National Family
Health Survey
(NFHS-5)**



दक्षिण अफ्रीका से रिपोर्ट हुए 'ओमिक्रोन' कोरोना वाइरस के जिम्मेदार हैं अमीर देश

जब तक दुनिया की सारी पात्र आबादी को कोविड वैक्सीन की पूरी खुराक समय-बद्ध तरीके से नहीं लग जाती तब तक टीकाकरण से सम्भावित हर्ड इम्युनिटी (सामुदायिक प्रतिरोधकता) नहीं उत्पन्न होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च स्वास्थ्य एजेंसी है, उसने बारम्बार निवेदन किया कि 2021 के अंत तक किसी भी देश में, पूरी खुराक वैक्सीन लगाए हुए लोगों को बूस्टर टीका न लगे (और पहले ग़रीब देशों में पात्र लोगों को टीके की पहली खुराक लगे) पर अमीर देशों ने इस चेतावनी को नजरंदाज किया और अमीर देशों की जनता को बूस्टर लगायी। नतीजतन अनेक देशों में पहली खुराक तक अधिकांश जनता के नहीं लगी है और 2 देशों में तो 1 भी टीका अभी तक नहीं हुआ है (एरित्रिया और उत्तर कोरिया)।

कोरोना वाइरस का नया वेरियंट जिसे ओमिक्रोन या बी.1.529 कहा गया है

वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ और ऑर्गनायज़्ड मेडिसिन ऐकडेमिक गिल्ड के राष्ट्रीय सचिव डॉ ईश्वर गिलाडा ने कहा कि 24 नवम्बर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से कोरोना वाइरस का नया वेरियंट रिपोर्ट हुआ है जिसे आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'ओमिक्रोन' या बी.1.529 कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको 'वेरियंट ऑफ कन्सर्न' कहा है क्योंकि यह गम्भीर वाला वाइरस लग रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विशेष स्वतंत्र विशेषज्ञों के समूह जो कोरोना वाइरस के नए प्रकार पर निरंतर निगरानी रखता है, उसके अनुसार, ओमिक्रोन में 50 म्यूटेशन हैं (10 स्पाइक प्रोटीन में हैं) जो अत्यंत चिंताजनक हैं। ध्यान दें कि डेल्टा वेरियंट में 2 म्यूटेशन थे।

डॉ ईश्वर गिलाडा जो भारत के सर्वप्रथम चिकित्सकों में हैं जिन्होंने एचआईवी से संक्रमित लोगों की चिकित्सकीय देखभाल शुरू की थी जब पहला पॉजिटिव केस भारत में रिपोर्ट हुआ था, ने बताया कि यह नए प्रकार का कोरोना वाइरस अधिक संक्रामक है और वैक्सीन भी इस पर संभवतः कम कारगर रहेगी। हालांकि इस नए प्रकार के कोरोना वाइरस से अधिक गम्भीर परिणाम होंगे या मृत्यु अधिक होगी या नहीं, यह अभी ज्ञात नहीं है। ओमिक्रोन ग्रीक वर्णमाला का भाग है जैसे कि अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा, एप्सिलॉन आदि। जब

तीसरी कोरोना की लहर के आसार कम हो रहे थे और लोग और सरकार कोविड नियंत्रण पर ढिलाई दिखा रही थी, जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि कोविड उपयुक्त व्यवहार अब जरूरी नहीं रहा, तब यह नया खतरा मंडराने लगा है।

ऑर्गनायज़्ड मेडिसिन ऐकडेमिक गिल्ड के डॉ ईश्वर गिलाडा और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सुनीला गर्ग ने सीएनएस (सिटिजन न्यूज़ सर्विस) से कहा कि 'डेल्टा' वेरियंट (कोरोना वाइरस का 'डेल्टा' प्रकार जिसे बी-1.617 भी कहा गया था) महाराष्ट्र के अमरावती से रिपोर्ट हुआ था जिसमें दो म्यूटेशन थे (ई484कियु और एल452आर)। जनवरी 2021 तक डेल्टा वेरियंट सिर्फ 1 प्रतिशत रिपोर्ट हुआ था परंतु जून 2021 तक वह भारत में 99% संक्रमण का जिम्मेदार बन गया था। अगस्त 2021 तक डेल्टा वेरियंट 100 से अधिक देशों से रिपोर्ट हुआ था। जिस तरह से कोविड संक्रमण से बचाव के तरीके हम लोग सख्ती से लागू नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमें डेल्टा वेरियंट की अप्रैल-जून की हदय विदारक तबाही स्मरण नहीं रही।

डॉ ईश्वर गिलाडा ने कहा कि यदि कोरोना नियंत्रण को अधिक प्रभावकारी करना है तो आवश्यकता है कुशल सुनियोजित नीतियों की जिसमें विभिन्न वर्गों की भागेदारी हो, और हर स्तर पर सभी वर्ग पूर्ण समर्पण से एकजुट हो कर कोरोना नियंत्रण के साथ-साथ स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को सशक्त करने में लगे।


ऑर्गनायज़्ड मेडिसिन ऐकडेमिक गिल्ड जो चिकित्सकीय विशेषज्ञों की 15 संस्थाओं का समूह है, उसने सरकार को यह सुझाव दिए हैं-

सिर्फ दक्षिण अफ्रीका, बेलजियम, इसराइल और हंग कांग ही नहीं परंतु सभी देशों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्री के आवागमन पर रोक लगे। हम लोग हवाई मार्ग खुला रख कर पहले भारी कीमत चुका चुके हैं जब सिर्फ चंद देशों की आने वाली फ्लाइट पर रोक लगी थी (जैसे कि चीन, सिंगापुर, थाइलैंड आदि)।

कोविड टीकाकरण की रफ़्तार में अनेक गुना अधिक तेजी आए जिससे कि सभी पात्र लोगों को पूरी खुराक लगे और जिनकी दूसरी खुराक नहीं लगी है वह भी समोचित ढंग से लगे। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच जो समय अवधि है उसे घटाने की अत्यंत आवश्यकता है। जाइ-कोव-डी वैक्सीन जिसे अगस्त 2021 में सरकार ने संस्तुति दे दी थी, उसे 12-17 साल की उम्र के लोगों के लिए

बिना विलम्ब टीकाकरण में लगना शुरू होना चाहिए। भारत में 6 वैक्सीन सरकार द्वारा संस्तुति प्राप्त हैं पर लग सिर्फ 3 रही हैं। सभी संस्तुति प्राप्त वैक्सीन पूरी उमता से निर्मित हो और टीकाकरण कार्यक्रम में लगनी शुरू हों।

भारत देश को ग़रीब और माध्यम आय वाले देशों को वैक्सीन निर्यात करना शुरू करना चाहिए क्योंकि कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि दुनिया की सभी पात्र आबादी का पूरा टीकाकरण हो (न कि सिर्फ हमारे देश की पात्र आबादी का)। वर्तमान में अफ्रीका के अनेक देशों में टीकाकरण का दर सिर्फ 5 प्रतिशत या उससे भी कम है इसलिए



वहाँ पर वैक्सीन की मदद पहुँचना जरूरी है। यह विडम्बना ही कही जाएगी कि अमीर देश जैसे कि अमरीका और यूरोप के देशों ने वैक्सीन खुराक को बेकार जाने दिया है या बूस्टर की तरह अपनी आबादी को लगाई है पर ग़रीब और माध्यम आय वाले देशों को नहीं दी। इंग्लैंड ने हाल ही में 6 लाख वैक्सीन फेंकी क्योंकि वह रखे रखे ख़राब हो गयी थी।

सभी कोरोना नियंत्रण तरीकों का ठोस तरह से पालन होना चाहिए। सभी लोग मास्क ठीक से पहनें, दूरी बना कर के रखें (खासकर कि सामाजिक या राजनीतिक आयोजनों में, कार्यक्रम पर, धार्मिक आयोजन में, खेलकूद में, बाजार में, आदि)।

जीनोम सीक्वेंसिंग जाँच को नियमित करते रहना चाहिए जिससे कि किसी भी नए प्रकार के वाइरस की खबर बिना विलम्ब हो और ओमिक्रोन यदि आबादी में आ गया तो उसकी खबर भी तुरंत हो सके और उचित कदम उठाए जा सकें।

- बाँबी रमाकांत

कोरोना बढ़ने पर पाबंदियाँ लगीं तो यूरोप में प्रदर्शन क्यों होने लगे?

जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है अमेरिका व यूरोप में कोरोना की पाँचवीं लहर जोर मारने लगी है। मरीजों व मौत के जो आँकड़े वहाँ की सरकारें दे रही हैं सच्चाई उससे कई गुनी अधिक व भयावह हैं। भारत सहित दक्षिण एशिया इन दिनों डेंगू की आँधी में उड़ रहा है और इसमें बच्चे और युवा अधिक शिकार हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में मौतों के आँकड़े कोरोना जैसे होने लगे हैं। अभी यह कहर और एक महीने जारी रह सकता है यानि सर्दी बढ़ने तक। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी यानि मध्य दिसंबर तक फिर से कोरोना यूरोप व अमेरिका की तरह नई लहर लेकर जोर मारने लगेगा। कितनी घातक व भयावह हो सकती है यह आने वाली पहर यह अमेरिका व यूरोप की स्थिति देखकर अन्दाज लगा सकते हैं।

कोरोना वैक्सीन आने के बाद ऐसे हालात की कल्पना तो किसी ने नहीं की होगी जैसे हालात यूरोप में अब बन रहे हैं। कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कई देशों में तो हिंसा भी हो रही है। वह भी सिर्फ इसलिए कि कोरोना के मामले बढ़ने पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। कुछ देशों में तो इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि बिना वैक्सीन लगाए लोगों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। ये वे देश हैं जहाँ की आधी से ज्यादा आबादी वैक्सीन लगवा चुकी है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि बाकी लोग वैक्सीन लगवाने के इच्छुक नहीं हैं और उनमें टीके के प्रति हिचक है।

जिन देशों में बड़े पैमाने पर ऐसे विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और इटली जैसे देश शामिल हैं।

यूरोप में हाल में मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और हर रोज करीब तीन लाख कोरोना संक्रमण के नये मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज करीब 3400 लोगों की मौतें भी हो रही हैं। सिर्फ यूरोप में ही 65 लाख से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हैं। इंग्लैंड में हर रोज 44 हजार से ज्यादा मामले आ रहे हैं। जर्मनी में 40 हजार, रूस में 35 हजार, नीदरलैंड्स में 23 हजार, बेल्जियम व ऑस्ट्रिया में 13-13 हजार हर रोज पॉजिटिव केस आ रहे हैं।

इसी कारण कई देशों में नये सिरे से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं।

ऐसी ही पाबंदी के खिलाफ बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हजारों की संख्या में लोगों ने मार्च किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों पर आतिशबाजी की। पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार से बचाव किया।

दर्शनकारियों की आपत्ति यह है कि बिना टीका लगाए लोगों को रेस्तरां या बार जैसे स्थानों पर जाने से क्यों रोका जा रहा है।

इससे पहले नीदरलैंड्स में नए लॉकडाउन नियमों के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ था। पिछले हफ़ते ही राजधानी द हेग में लोगों ने पुलिस पर



आतिशबाजी की और साइकिल में आग लगा दी। विरोध प्रदर्शन के हिंसक होने पर पुलिस ने गोलियाँ चलाई।

ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और इटली में भी हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए क्योंकि उन लोगों में नए प्रतिबंधों से गुस्सा बढ़ गया है।

डब्ल्यूएचओ बेहद चिंतित

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि वह महाद्वीप पर बढ़ते कोरोनावायरस मामलों के बारे में बेहद चिंतित है। बीबीसी से बातचीत में डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. हंस वलूज ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो मार्च तक 5 लाख और मौतें हो सकती हैं।

यह चेतावनी तब आई है जब कई देशों में रिकॉर्ड-उच्च संक्रमण दर है और इसे नियंत्रित करने के लिए पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगाए गए हैं। पूरे महाद्वीप में कई सरकारें बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए नए प्रतिबंध ला रही हैं।

दुनिया के कई देशों में कोरोना का खतरा फिर से बढ़ रहा है। अमेरिका के कई राज्यों में

हालात इतने खराब हो रहे हैं जितने पिछले साल भी नहीं थे। 15 राज्यों में पिछले साल से ज्यादा आईसीयू बेडों पर कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। यूरोप के देशों में तो नयी लहर से स्थिति गंभीर होती जा रही है। कई देशों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं और सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर हिंसा हुई है। यूरोप के इन अधिकतर देशों में आधी आबादी से ज्यादा को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो क्या कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और भारत को भी सचेत होने की जरूरत है?

दुनिया के कई देशों में तो कोरोना के मौजूदा हालात यही संकेत देते हैं।

अमेरिका में स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 15 राज्यों में पुष्टि या संदिग्ध कोविड के मरीज एक साल पहले की तुलना में अधिक आईसीयू बेड पर भर्ती हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार आँकड़े बताते हैं कि कोलोराडो, मिनेसोटा और मिशिगन में कोरोना रोगियों से आईसीयू बेड के 41 प्रतिशत, 37 प्रतिशत और 34 प्रतिशत भरे हुए हैं।

पूरे अमेरिका में हर रोज अब फिर से 74 हजार से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं।

पिछले हफ्ते ही 1 लाख 10 हजार से ज्यादा संक्रमण के मामले आए थे। 19 नवंबर को करीब 1300 मरीजों की मौत हुई थी।

यूरोप में तो और भी बुरे हालात हैं। वहाँ हर रोज करीब तीन लाख कोरोना संक्रमण के नये मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज करीब 3400 लोगों की मौतें भी हो रही हैं। सिर्फ यूरोप में ही 65 लाख से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हैं। इंग्लैंड में हर रोज 44 हजार से ज्यादा मामले आ रहे हैं।

जर्मनी में 40 हजार, रूस में 35 हजार, नीदरलैंड्स में 23 हजार, बेल्जियम व ऑस्ट्रिया में 13-13 हजार हर रोज पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इसी कारण कई देशों में नये सिरे से पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं।

कोरोना के मामले बढ़ने पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। कुछ देशों में तो इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि बिना वैक्सीन लगाए लोगों पर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। ये वे देश हैं जहाँ की आधी से ज्यादा आबादी वैक्सीन लगवा चुकी है, लेकिन अब ख़बरें आ रही हैं कि बाकी लोग वैक्सीन लगवाने के इच्छुक नहीं हैं और उनमें टीके के प्रति हिचक है।

जिन देशों में बड़े पैमाने पर ऐसे विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, कोरिया और इटली जैसे देश शामिल हैं।

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि वह महाद्वीप पर बढ़ते कोरोनावायरस मामलों के बारे में बेहद चिंतित है। यह चेतावनी तब आई है जब कई देशों में रिकॉर्ड-उच्च संक्रमण दर है और इसे नियंत्रित करने के लिए पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगाए गए हैं।

ऐसे हालात उन देश में हैं जहाँ कोरोना वैक्सीन सबसे ज्यादा लगाई गई है। स्पेन में वयस्क आबादी के 80 फीसदी लोगों को दोनों खुराक लग गई है। इटली में 73 फीसदी, नीदरलैंड्स में 73 फीसदी, फ्रांस, यूके, जर्मनी व ऑस्ट्रिया में 64 फीसदी से ज्यादा आबादी को टीके लगाए जा चुके हैं। हालाँकि रूस इस मामले में पीछे है और उसकी वयस्क आबादी के सिर्फ 37 फीसदी लोगों को ही टीके लगे हैं।

इससे समझा जा सकता है कि जहाँ इतनी बड़ी आबादी को टीके लगने के बाद भी संक्रमण नियंत्रित नहीं है तो फिर भारत जैसे देशों के लिए यह कितनी ख़तरनाक स्थिति हो सकती है। साफ है कि न तो टीके लगाने में लापरवाही बरतने और न ही सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क जैसे बचाव के उपाय को छोड़ने का ख़तरा उठाया जा सकता है।

न केवल मानव स्वास्थ्य सुरक्षा के हित में है बल्कि पशु स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए भी अनिवार्य है।

दवा प्रतिरोधकता, खाद्य सुरक्षा, पशुपालन, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में क्या है सम्बन्ध?

जिस गैर-जिम्मेदारी और अनुचित तरीके से इंसान दवा का उपयोग कर रहा है उसके कारण रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु पर दवाएँ कारगर ही नहीं रहतीं - दवा प्रतिरोधकता (Antimicrobial Resistance/ रोगाणुरोध प्रतिरोधकता) उत्पन्न हो जाती है। दवा प्रतिरोधकता के कारण इलाज अन्य दवा से होता है (यदि अन्य दवा का विकल्प है तो), इलाज लम्बा-महंगा हो जाता है और अक्सर परिणाम भी असंतोषजनक रहते हैं, और मृत्यु तक होने का ख़तरा अत्यधिक बढ़ जाता है। यदि ऐसा रोग जिससे बचाव और जिसका पक्का इलाज मुमकिन है, वह लाइलाज हो जाए, तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा क्योंकि दवा प्रतिरोधकता का जिम्मेदार तो मूलतः इंसान ही है। वैज्ञानिक उपलब्धि में हमें जीवनरक्षक दवाएँ दी तो हैं पर गैर-जिम्मेदाराना और अनुचित ढंग से यदि हम उपयोग करेंगे तो इन दवाओं को खो देंगे और रोग लाइलाज तक हो सकते हैं।

पर क्या आप जानते हैं कि मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ, दवा प्रतिरोधकता का सम्बन्ध, पशुपालन, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण से भी है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दवा प्रतिरोधकता कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे डॉ हेल्सस गेटाहुन ने कहा कि इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संस्थान, वैश्विक पशु स्वास्थ्य संस्थान, और संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी की कि संयुक्त अभियान के जरिए दवा प्रतिरोधकता के ख़िलाफ़ लोग जागरूक हों और चेतें और प्रतिरोधकता को रोकें।

रोगाणुरोध प्रतिरोध या दवा प्रतिरोधकता न सिर्फ मानव स्वास्थ्य के लिए एक गम्भीर चुनौती बन गयी है वरण पशु स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के समक्ष भी एक जटिल समस्या है। क्योंकि इन सभी प्रकार की दवा प्रतिरोधकता को फैलाने में मनुष्य की केंद्रीय भूमिका है इसलिए संयुक्त रूप के अभियान से ही इसपर लगाम और अंततः विराम लग सकता है। इसीलिए डॉ हेल्सस गेटाहुन ने खाद्य, पशुपालन, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कार्य कर रही संस्थाओं को एकजुट करने का भरसक प्रयास किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के थोमस जोसेफ ने सही कहा है कि एक शताब्दी में हुए चिकित्सकीय अनुसंधानों को हम, दवा प्रतिरोधकता के कारण, पलटाने पर उतारू हैं। जो संक्रमण पहले दवाओं से ठीक होते थे अब वह लाइलाज होने की ओर फिसल रहे हैं। सर्जरी या शल्यचिकित्सा में ख़तरा पैदा हो रहा है क्योंकि दवा प्रतिरोधकता बढ़ोतरी पर है।

भारतीय चिकित्सकीय अनुसंधान परिषद की वरिष्ठ वैज्ञानिक शोधकर्ता डॉ कामिनी



तन और मन की संजीवनी है योग

'योग' शब्द संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ जुड़ना है। योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से सायुज्य होकर मन एवं शरीर तथा मानव एवं प्रकृति के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है। योग विभिन्न मुद्राओं में सिर्फ अभ्यास या संतुलन करना नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन पद्धति है। जो समय पर सोने- जगने व कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। जिससे स्वतः अनुशासन का भाव जागृत होता है। और अनुशासित व्यक्ति समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। योग का अर्थ संयम या संतुलन है। संयमित रहने से ऊर्जा का अनावश्यक व्यय नहीं होता है। संयम से शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ति के साथ-साथ स्वविवेक भी जागृत होता है और व्यक्ति अपनी क्षमता व ऊर्जा का समुचित उपयोग कर पाता है। योग के महत्व को देखते हुए गीता में कृष्ण ने कहा है 'योग में स्थित होते हुए सभी कर्म करो तो सफलता अवश्य मिलेगी' प्राचीन ऋषियों ने योग अभ्यास के द्वारा ही दुर्लभ सिद्धियाँ हासिल की थीं। जो सामान्य मनुष्य के लिए अपास थीं। ऋषि अगस्त्य ने योग बल से ही समुद्र को उदरस्थ कर लिया था।

भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण आने तक 6 माह तक योग बल से ही सरसेया पर विश्राम किया और मृत्यु को पास आने नहीं दिया था। भारत में योग की जड़ें लगभग 5000 साल पुरानी है। यहां की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में एक मुद्रा पर शिव की योग मुद्रा में प्राप्त प्रतिमा 2750 ईसा पूर्व भारत में योग विज्ञान का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। अतः शिव को प्रथम योग गुरु या आदि योगी की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। वैदिक संस्कृति में सूर्य उपासना को अधिक महत्व दिया गया जो आज सूर्य नमस्कार आसन के रूप में लोकप्रिय है। महर्षि पतंजलि ने तत्कालीन समाज में विद्यमान योग विज्ञान एवं योग मुद्राओं को योग सूत्र में संकलित किया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति के रूप में भिड़ है। इस काल में महावीर स्वामी के पंच महाव्रत और महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में योग साधना के तत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्मयोग के रूप में इसे विस्तार मिला। तथा व्यास ने योग सूत्र पर

महत्वपूर्ण टीका लिखी।

वर्तमान में संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस के आतंक से आक्रांत है। वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर मौत का कहर बनकर सामने आई है। इस लहर में शायद ही कोई सौभाग्यशाली परिवार हो जिसने अपने परिवारी जन या प्रिय जन को न खोया हो। इस के भय से सभी शारीरिक व मानसिक स्तर पर टूट गए। वायरस ने कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को आसानी से संक्रमित किया। वहीं मजबूत इम्यूनिटी वाले व्यक्ति बचे रहे। आज इस वायरस



का संक्रमण महामारी का रूप धारण कर चुका है। और तीसरी लहर हमारे सामने चुनौती बन कर जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ी है।

जीवन की कोई भी जंग बिना स्वस्थ तन व मन के नहीं जीती जा सकती। और यह तभी स्वस्थ रहता है जब हमारे नियंत्रण में होता है। प्रसिद्ध मानसिक स्वास्थ्य मर्मज्ञ मनोविज्ञानी बॉक चिसोल्म का कथन है 'बिना मानसिक स्वास्थ्य के सच्चा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता और बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मन को स्वस्थ नहीं रखा जा सकता' जीवन के संघर्ष में शरीर और मन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

आज इस महामारी के दौर में लगभग सभी लोग चाहे वह बच्चे हो या बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, कामगार दैनिक वेतन भोगी श्रमिक सभी तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। यह तनाव ही आगे चलकर अवसाद का रूप धारण करता है। और अवसाद के लक्षण शरीर पर पड़ते हैं तो चिह्नाना, झगड़ा करना, व्यग्र होकर इधर-उधर घूमना, किसी काम को बार-बार करना या

शारीरिक तापमान बढ़ जाना और सिर दर्द होने के रूप में हमारे सामने आता है। साथ ही स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति भी समय-समय पर कई शारीरिक बीमारियों से दो चार हाथ होता रहता है।

ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों को स्वस्थ रखने का उपाय योग में समाहित है। चिकित्सकों ने भी स्वीकार किया है आयुर्वेद और योग के सहयोग ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में चमत्कारी असर दिखाया है। यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल मैडिसिन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में उल्लेखित है 'ध्यान के साथ योग करने से बुढ़ापे को टालने और कई बीमारियों को आरंभ में रोकने में मदद मिलती है योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य का उपचार करने में सहयोगी है बल्कि भावनात्मक और मानसिक सेहत सुधारता है तथा अवसाद को कम रखता है' इसके महत्व को देखते हुए अमेरिका में अधिकारिक खेल के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया है।

कोरोनावायरस शरीर को तीन स्तरों पर प्रभावित करता है-घर में रहने के कारण तनाव चिंता एवं श्वसन तंत्र और प्रतिरोधक क्षमता को। योग का नियमित अभ्यास जहाँ एकाग्रता बढ़ता है, वहीं शरीर, दिमाग और आत्मा को स्वस्थ रखता है। तथा ओज व ऊर्जा को बढ़ाता है। स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होने के साथ-साथ नसों और नाड़ियों का शोधन होता है। और रोग से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। यह शरीर को अंदर और बाहर से वायरस से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है तथा मन का तनाव दूर करता है। प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होने से शरीर जल्दी संक्रमित नहीं होता है। ब्लड प्रेशर, थायरॉइड, डायबिटीज, कमर दर्द तथा घुटने के दर्द को भी योग के द्वारा नियंत्रित रखा जा सकता है।

आज कोरोनावायरस से जब सारा विश्व आक्रांत है चारों ओर नकारात्मक विचार प्रसारित हो रहे हैं ऐसे में योग से मानसिक रूप से मजबूत होकर विचारों को सकारात्मक दिशा में नियोजित किया जा सकता है।

कोरोना वायरस का प्रभाव श्वसन तंत्र पर होता है जिससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। ऐसे में कपालभाति प्राणायाम, प्राण-शक्ति में वृद्धि कर श्वसन तंत्र को सुदृढ़ कर सांस लेना आरामदायक बनाता है।

कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई टेंशन

अनुलोम-विलोम से सामान्य रूप से होने वाली सर्दी, खांसी, जुकाम में राहत मिलती है। तथा श्वसन क्रिया बेहतर होती है और प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। भस्त्रिका प्राणायाम से भी शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ बनी रहती हैं और श्वसन क्रिया से जुड़ी कोई भी बीमारी नहीं होती है। तथा प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ होती है। भ्रामरी ध्यान योग आत्म शक्ति को बढ़ाता है, जिससे अकेलापन व तनाव दूर होता है और व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है तथा प्रसन्न रहता है।

अनुचित खानपान, अनियमित दिनचर्या, फास्ट फूड, जंक फूड की ओर अग्रसर जीवन शैली से उत्पन्न मोटापा आज वैश्विक समस्या बन चुका है साथ ही कोरोनावायरस में अधिकतर घर लोग घरों में ही है तो अवकाश के काल में तरह-तरह के व्यंजन बनाकर उनका सेवन करने से तथा शारीरिक गतिशीलता घरों के अंदर सीमित हो जाने से शरीर में वसा की मात्रा बढ़ रही है। इस वसा को शरीर से दूर करने का उपाय योग में है। कई व्यायाम शरीर के विभिन्न अंगों की वसा को कम करने के लिए है। जिनमें कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जई प्राणायाम को जीवन पद्धति बनाकर असंतुलित वसा से छुटकारा पाया जा सकता है।

आधे घंटे तक प्रतिदिन व्यायाम करने से दिमाग में तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं और मस्तिष्क में खुशी बढ़ाने वाले हार्मोन ऑक्सिटोसिन का स्राव तेजी से होता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और मानसिक सेहत दुरुस्त रहती है। फेफड़े और शरीर के अन्य अंग भली प्रकार से काम करते हैं। वास्तव में योग तन और मन दोनों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करता है। यह सदियों से वैश्विक समुदाय को निरंतर स्वस्थ रहने का संदेश देता आ रहा है और आज भी इसकी उपयोगिता न सिर्फ अक्षुण्ण है अपितु इस कोरोना महामारी में बढ़ गयी है।

डॉ कामिनी वर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
झानपुर, भदोही, उत्तर प्रदेश

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि हाल ही में वीजा प्रतिबंधों में छूट और अंतरराष्ट्रीय यात्रा शुरू करने को ध्यान में रखते हुए इसका देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को बोलसवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग से आने-जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कठोर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग शुरू करने का निर्देश दिया है। इन देशों में नए कोरोनावायरस वेरिएंट 8.1.1529 के कई मामले सामने आए हैं। इसके काफी म्यूटेंट होने की जानकारी मिली है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) ने इसकी वैश्विक उपस्थिति की बात करते हुए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। साथ ही कहा है कि भारत को सख्त निगरानी रखने की जरूरत है।

अब NCDC के मुताबिक बोलसवाना (3 मामले), दक्षिण अफ्रीका (6 मामले) और हांगकांग (1 मामले) में सीओवीआईडी-19 वेरिएंट 8.1.1529 के मामले दर्ज किए गए हैं। इस वेरिएंट के काफी म्यूटेंट होने की आशंका भी जाहिर की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि हाल ही में वीजा प्रतिबंधों में छूट और अंतरराष्ट्रीय यात्रा शुरू करने को ध्यान में रखते हुए इसका देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है।

एसे देश में हो रही टेस्टिंग और मॉनिटरिंग

पत्र के अनुसार भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) और NCDC के जरिए देश में की जा रही है, जो INSACOG की नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य कोविड 19 के 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' के ट्रान्समिशन की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करना है।

देश में सीक्वेंसिंग के लिए कितनी लैब्स

INSACOG के पास 10 केंद्रीय लैब्स और 28 क्षेत्रीय लैब हैं। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न और इंटरनेट के लिए इस साल जनवरी से पॉजिटिव सैंपल्स की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। जिससे समय रहते नए वेरिएंट का पता लगाकर बचाव के उपाय किए जा सकें।

राज्यों से केंद्र ने ये भी कहा


भूषण ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए



कहा कि पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों के सैंपल्स INSACOG की लैब्स में तुरंत भेजे जाएं। पत्र में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के सैंपलों पर बारीकी से नजर रखी जाए और उनकी टेस्टिंग की जाए। इस वक्त देश में डेल्टा और इसके अन्य वेरिएंट चिंता की वजह बने हुए हैं। जो वायरस बेदम होता नजर आ रहा था, उसका दम अब एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। देश में 9 दिन के अंदर कोरोना संक्रमण से मौत की दर 121 फीसदी बढ़ गई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने 13 राज्यों को चिढ़ी लिखकर कम टेस्टिंग पर चिंता जताई है।

दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एके वाष्ण्ये का कहना है, 'कोई भी वायरस हो, वह अपना एंटीजनिक कैरेक्टर चेंज करता रहता है। यह हमने कोरोना के साथ होते हुए देखा है जैसे कोरोना के वक्त में ही जैसे अल्फा वायरस, उसके बाद बीटा वायरस और फिर डेल्टा वायरस आया। अब डेल्टा प्लस भी आ चुका है। यह न्यू वायरस है तो ये कैरेक्टर बदलता रहता है। इनमें सबसे ज्यादा इनफेक्शियस डेल्टा वायरस था, जिससे हमारे देश में काफी लोग प्रभावित हुए और दुर्भाग्य से काफी लोगों की मृत्यु भी हुई। अन्य देशों में भी यह डेल्टा वायरस फैला रहा है।'

डॉक्टर का ये भी कहना है, 'इस तरीके से कई बार वायरस म्यूटेंट होते होते ऐसी स्टेज बन जाती है जो कि हमारी नेचुरल इम्युनिटी है, उससे भी प्रभावित नहीं हो पाता, उसको भी डोज कर जाता है। तो यह चिंता हमेशा वायरस के बारे में बनी रहती है। चूंकि ये बीमारी या वायरस ही नया है तो आगे कैसे टर्न लेगा वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम लोगों को यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सिनेशन करा लें जिससे कि कुछ न कुछ इम्युनिटी सब में डेवलप हो और कोविड एप्रोपियेट बिहेवियर का पालन करें।'



वालिया ने कहा कि असंतोषजनक संक्रमण नियंत्रण के कारण, अक्सर दवाओं का अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना उपयोग किया जाता है जो सर्वदा अवांछित है। इसके कारण न केवल दवा प्रतिरोधक संक्रमण एक चुनौती बन रहे हैं बल्कि अस्पताल या स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां रोगी इलाज के लिए आते हैं, वहाँ से वह और उनके अभिभावक, एवं स्वास्थ्य कर्मी, दवा प्रतिरोधक रोगों से संक्रमित हो सकते हैं। भारत में इस आँकड़े को मापना जरूरी है कि अस्पताल या स्वास्थ्य व्यवस्था में दवा प्रतिरोधक संक्रमण कितनी बड़ी चुनौती है।

इसीलिए डॉ कामिनी वालिया भारत सरकार के भारतीय चिकित्सकीय अनुसंधान परिषद के जरिए, देश भर में दवा प्रतिरोधकता मापने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। यदि वैज्ञानिक ढंग से देश भर में निगरानी रखी जाएगी तो पनपती दवा प्रतिरोधकता का समय-रहते सही अनुमान लगेगा, नयी विकसित होती प्रतिरोधकता शीघ्र पता चलेगी, और उपयुक्त कारवायी हो सकेगी जिससे कि दवा प्रतिरोधकता पर विराम लग सके।

डॉ कामिनी वालिया ने कहा कि हमें सिर्फ अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा से दवा प्रतिरोधकता का पूरा अंदाजा नहीं लगेगा क्योंकि सामुदायिक स्तर पर भी ऐसे शोध की जरूरत है कि वहाँ दवा प्रतिरोधकता का स्तर क्या है।

भारतीय चिकित्सकीय अनुसंधान परिषद ने 2013 से विशेष अभियान शुरू किया कि देश भर में दवा प्रतिरोधकता पर निगरानी रखने के

लिए विशेष जाँच तंत्र बने जिसमें अनेक बड़े सरकारी अस्पताल, कुछ निजी अस्पताल और चिकित्सकीय जाँच सेवाएँ आदि शामिल हुईं।

इस देश भर में फैले शोध तंत्र के जरिए, वैज्ञानिक तरीके से 6 कीटाणु पर निगरानी रखी जाती है। इन 6 कीटाणु से सबसे अधिक दवा प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है।

भारतीय चिकित्सकीय अनुसंधान परिषद सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से दवा प्रतिरोधकता पर निगरानी ही नहीं रख रहा बल्कि अस्पताल एवं अन्य स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण भी दे रहा है कि कैसे दवा प्रतिरोधकता रोकी जाए और बेहतर सशक्त और प्रभावकारी संक्रमण नियंत्रण किया जाए।

डॉ कामिनी वालिया ने बताया कि 2020 में हुए भारतीय चिकित्सकीय अनुसंधान परिषद के शोध के अनुसार भारत में “ग्राम-निगेटिव” दवा प्रतिरोधक संक्रमण का अनुपात अत्याधिक है। उदाहरण के तौर पर ई-कोलाई से होने वाले संक्रमण 70% तक दवा प्रतिरोधक हैं और ए-बाउमेनाई संक्रमण (जो अस्पताल में अक्सर हो सकता है) से होने वाले संक्रमण में 70% तक दवा प्रतिरोधकता है जिसके कारण कार्बापीनम दवा जो उपचार के लिए अंतिम चरण में उपयोग होती है वह कारगर नहीं रहती।

एस-टाइफी कीटाणु, फ्लोरोकेनोलोन से अक्सर प्रतिरोधक पाए गए पर ऐम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, कोत्रिमेकसाजोल और सेफिजाईम दवाएँ इस पर 100% कारगर पायी गई। गौर करने की बात यह है कि एस-टाइफी

इन दवाओं से 1990 के दशक में प्रतिरोधक पाया गया था। क्योंकि यह दवाएँ इस पर कारगर नहीं रहीं इसीलिए इन दवाओं का उपयोग तब से कम हो गया जिसके कारण एस-टाइफी पर फिर से यह दवाएँ 100% कारगर हो गयी हैं। डॉ वालिया ने कहा कि यह अत्यंत जरूरी है कि दवाओं का जिम्मेदारी और उचित उपयोग ही हो।

भारतीय चिकित्सकीय अनुसंधान परिषद के शोध में चिंताजनक बात भी हैं। श्वास सम्बन्धी रोगों और अन्य रोगों के उपचार में उपयोग होने वाली दवा, फ़ैरोपीनम, से प्रतिरोधकता 6 साल (2009-2015) में 3% से बढ़ कर 40% हो गयी है क्योंकि इसका इतना अत्याधिक उपयोग होने लगा था।

कोविड और दवा प्रतिरोधकता

डॉ कामिनी वालिया ने बताया कि जो कोविड के रोगी लम्बे समय तक अस्पताल में रहे, उनके बेक्टेरिया और फूफंद के कीटाणु जाँच के लिए भेजे गए। नतीजे चौंकाने वाले आए क्योंकि 35% रोगियों को अनेक रोग थे जो विभिन्न प्रकार के कीटाणु से होते हैं, और 8.4% रोगियों को ऐसे रोग थे जो बेक्टेरिया और फूफंद से होते हैं। जिन रोगियों को कोविड दवा प्रतिरोधकता उत्पन्न हो गयी थी उनमें मृत्यु दर 60%-70% था। डॉ वालिया ने चेताया कि कोविड रोगी जो अस्पताल में भर्ती रहे अक्सर इन्हें अनेक विभिन्न प्रकार की दवाएँ दी गयीं जो विभिन्न कीटाणु के ख़िलाफ़ कारगर रहती हैं - इस तरह से दवा के गैर जिम्मेदाराना और अनुचित उपयोग से, आने वाले सालों में चिंताजनक दवा प्रतिरोधकता देख सकते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ हेलिसस गेटाहुन ने कहा कि प्रभावकारी संक्रमण नियंत्रण के जरिए दवा प्रतिरोधकता पर लगाम लग सकती है यदि स्वास्थ्य सेवा, पशुपालन केंद्र आदि, एवं खाद्य से जुड़े स्थान पर, स्वच्छता पर्याप्त और संतोषजनक रहेगी, और संक्रमण नियंत्रण सभी मापकों पर उच्चतम रहेगा, तो दवा प्रतिरोधकता पर भी अंकुश लगेगा। स्वच्छता रहेगी और संक्रमण नियंत्रण उच्चतम रहेगा तो संक्रमण कम फैलेंगे और इसीलिए दवा का उपयोग काम होगा और दवा प्रतिरोधकता भी कम होगी।

● ललित गर्ग



पोषण और भुखमरी से जुड़ी ताजा रिपोर्ट न केवल चौंकाने बल्कि सरकारों की नाकामी को उजागर करने वाली हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक ओर विकास और अर्थव्यवस्था की भावी सुखद तस्वीर की चमक की बात की जा रही हो और दूसरी ओर देश में बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या के गहराते जाने के आंकड़े सामने आएँ। जबकि अमूमन हर कुछ रोज बाद इस तरह की बातें शीर्ष स्तर से कही जाती रहती हैं कि बच्चे चूँकि भविष्य की उम्मीद और बुनियाद हैं, इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराने सहित बाकी मामलों में भी उनके जीवन-स्तर में बेहतर जरूरी है। लेकिन ताजा कुपोषण एवं भुखमरी के आंकड़े शासन-व्यवस्था की एक शर्मनाक विवशता है। लेकिन इस विवशता को कब तक ढोते रहेंगे और कब तक देश में कुपोषितों का आंकड़ा बढ़ता रहेगा, यह गंभीर एवं चिन्ताजनक स्थिति है। लेकिन ज्यादा चिन्ताजनक यह है कि तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कुपोषितों और भुखमरी का सामना करने वालों का आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले हर बार बढ़ा हुआ ही निकलता है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार देश में तैतीस लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से आधे से अधिक बच्चे अत्यंत कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। ये आंकड़े पिछले साल विकसित पोषण ऐप पर पंजीकृत किए गए, ताकि पोषण के नतीजों पर निगरानी रखी जा सके। फिलहाल आंगनवाड़ी व्यवस्था में शामिल करीब 8.19 करोड़ बच्चों में से चार फीसद से ज्यादा बच्चों को कुपोषित के दायरे में दर्ज किया गया है। लेकिन न सिर्फ यह संख्या अपने आप में चिन्ताजनक है, बल्कि इससे ज्यादा गंभीर पक्ष यह है कि पिछले साल नवंबर की तुलना में इस साल अक्तूबर में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की तादाद में इक्यानबे फीसद की बढ़ोतरी हो गई है। विचित्र यह भी है कि बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या जिन राज्यों में सबसे ज्यादा है, उनमें शीर्ष पर महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे पर गुजरात है। बाकी राज्यों में भी स्थिति परेशान करने वाली है, मगर यह हैरानी की बात है कि बिहार के



कुपोषित विकास एवं कुपोषण की ग्रासदी

मुकाबले महाराष्ट्र और गुजरात जैसे विकसित राज्यों में संसाधन और व्यवस्था की स्थिति ठीक होने के बावजूद बच्चों के बीच कुपोषण चिन्ताजनक स्तर पर है।

एक अन्य अध्ययन में कहा गया है कि भुखमरी एवं कुपोषण के खिलाफ दशकों से हुई प्रगति कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुई है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा भारत सहित पूरे विश्व में भूख, कुपोषण एवं बाल स्वास्थ्य पर चिन्ता व्यक्त की गई है। यह चिन्ताजनक स्थिति विश्व का कड़वा सच है लेकिन एक शर्मनाक सच भी है और इस शर्म से उबरना जरूरी है। रिपोर्टें बताती हैं कि ऐसी गंभीर समस्याओं से लड़ते हुए हम कहां से कहां पहुंचे हैं। इसी में एक बड़ा सवाल यह भी निकलता है कि जिन लक्ष्यों को लेकर दुनिया के देश सामूहिक तौर पर या अपने प्रयासों के दावे करते रहे, उनकी कामयाबी कितनी नगण्य एवं निराशाजनक है।

यह सवाल तो उठता ही रहेगा कि इन समस्याओं से जूझने वाले देश आखिर क्यों नहीं इनसे निपट पा रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण आबादी का बढ़ना भी है। गरीब के संतान ज्यादा होती है क्योंकि कुपोषण में आबादी ज्यादा बढ़ती है। विकसित राष्ट्रों में आबादी की बढ़त का अनुपात कम है, अविकसित और निर्धन राष्ट्रों की आबादी की बढ़त का अनुपात ज्यादा है। भुखमरी पर स्टैंडिंग टुगेदर फॉर न्यूट्रीशन

कंसोर्टियम ने आर्थिक और पोषण डाटा इकट्ठा किया, इस शोध का नेतृत्व करने वाले सासकिया ओसनदार्प अनुमान लगाते हैं कि जो महिलाएं अभी गर्भवती हैं वो ऐसे बच्चों को जन्म देंगी जो जन्म के पहले से ही कुपोषित हैं और ये बच्चे शुरू से ही कुपोषण के शिकार रहेंगे। एक पूरी पीढ़ी दांव पर है।'

हालत यह है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत एक सौ एक वें स्थान पर जा चुका है। ऐसे में यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तमाम बाधाओं के बीच अनिवार्य कार्यक्रमों को कैसे सुचारुरूप से संचालित करती है। वरना मौजूदा निराशाजनक तस्वीर के रहते हम किस कसौटी पर विश्व में एक बड़ी शक्ति होने का दावा कर सकेंगे? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कुपोषित बच्चों की मौजूदा समस्या विकास के दावों के सामने आईना बन कर खड़ी रहेगी। दरअसल, इस मसले पर हालात पहले ही संतोषजनक नहीं थे, लेकिन बीते एक साल के दौरान बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या ने तेजी से अपने पांव फैलाए हैं। यह स्थिति तब है जब देश में एकीकृत बाल विकास जैसी महत्वाकांक्षी योजना से लेकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन जैसे अन्य कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हालांकि बीते डेढ़ साल से ज्यादा समय से कोरोना महामारी की रोकथाम के क्रम में कई योजनाओं पर अमल में बाधाएं आई हैं। पूर्णबंदी के दौर में पहले ही करोड़ों लोग रोजी-रोजगार

से वंचित हुए और इससे उनके खानपान और पोषण पर गहरा असर पड़ा।

महामारी के डेढ़ साल में कुपोषण के मोर्चे पर हालात और दयनीय हुए हैं। अब इस संकट से निपटने की चुनौती और बड़ी हो गई है। सत्ताएं ठान लें तो हर नागरिक को पौष्टिक भोजन देना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बाधा शासन-व्यवस्थाओं में बढ़ता भ्रष्टाचार है। गलत जब गलत न लगे तो यह मानना चाहिए कि बीमारी गंभीर है। बीमार व्यवस्था से स्वस्थ शासन की उम्मीद कैसे संभव है? आर्थिक सुधारों के क्रियान्वयन के लगभग 30 वर्षों के बाद असमानता, भूख और कुपोषण की दर में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि समृद्धि के कुछ टापू भी अवश्य निर्मित हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड-19 के असर से पैदा हो

रहे आर्थिक एवं सामाजिक तनावों पर विस्तृत जानकारी हासिल की है। भारत को लेकर प्रकाशित आंकड़े चिंताजनक हैं। एक तरफ हम खाद्यान्न के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि अनाज का एक बड़ा हिस्सा निर्यात करते हैं। वहीं दूसरी ओर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कुपोषित आबादी भारत में है। भारत में महिलाओं की पचास फीसदी से अधिक आबादी एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित है। इसलिए ऐसे हालात में जन्म लेने वाले बच्चों का कम वजन होना लाजिमी है।

राइट टु फूड कैम्पेन नामक संस्था का विश्लेषण है कि पोषण गुणवत्ता में काफी कमी आई है और लॉकडाउन से पहले की तुलना में भोजन की मात्रा भी घट गई है। सवाल है कि अगर बच्चों में कुपोषण की समस्या चिंताजनक

स्तर पर बरकरार रही तो विकास और बदलाव के तमाम दावों के बीच हम कैसे भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं? भारत के साथ एक और विडम्बना है कि यहां एक तरफ विवाह-शादियों, पर्व-त्यौहारों एवं पारिवारिक आयोजनों में भोजन की बर्बादी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर भूखें लोगों के द्वारा भोजन की लूटपाट देखने को मिल रही है। भोजन की लूटपाट जहां मानवीय त्रासदी है, वही भोजन की बर्बादी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। एक तरफ करोड़ों लोग दाने-दाने को मोहताज हैं, कुपोषण के शिकार हैं, वहीं रोज लाखों टन भोजन की बर्बादी एक विडम्बना है। एक आदर्श समाज रचना की प्रथम आवश्यकता है अमीरी-गरीबी के बीच का फासला खत्म हो। खाने की बर्बादी रोकने की दिशा में 'निज पर शासन, फिर अनुशासन' एवं 'संयम ही जीवन है' जैसे उद्धोष को जीवनशैली से जोड़ना होगा। इन दिनों मारवाड़ी समाज में फिजुलखर्ची, वैभव प्रदर्शन एवं दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने एवं भोजन के आइटमों को सीमित करने के लिये आन्दोलन चल रहे हैं, जिनका भोजन की बर्बादी को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सरकार को भी शादियों में मेहमानों की संख्या के साथ ही परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या सीमित करने पर विचार करना चाहिए। दिखावा, प्रदर्शन और फिजुलखर्च पर प्रतिबंध की दृष्टि से विवाह समारोह अधिनियम, 2006 हमारे यहां बना हुआ है, लेकिन यह सख्ती से लागू नहीं होता, जिसे सख्ती से लागू करने की जरूरत है। धर्मगुरुओं व स्वयंसेवी संगठनों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। ■



मासूम बच्चों पर अपराध का बढ़ता दायरा

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़े के अनुसार देश में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों में 2019 की तुलना में 2020 में चार सौ फीसद की बढ़ोतरी हुई। इनमें से ज्यादातर मामले यौन कृत्यों में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से जुड़े हैं। बच्चों को भगवान का स्वरूप मानने वाले देश में बच्चों पर बढ़ते अपराध गंभीर चिन्ता का विषय है, यौन अपराध भारत के मौलिक विचारों



एवं सांस्कृतिक मूल्यों की भी असफलता है। यह देश के नैतिक विवेक का क्षरण है। बच्चे आमतौर पर सभी समाजों या समुदायों के सबसे ज्यादा संरक्षित और संवेदनशील हिस्से माने जाने के बावजूद उन पर अपराधों का बढ़ता साया देश के अभिन्न सिद्धांतों एवं नयी बन रही समाज-व्यवस्था पर जहां गंभीर सवाल खड़े करता है, वही



सरकार की लापरवाही को भी दर्शाता है।

कोरोना महामारी के असर ने हमारी जीवनशैली में व्यापक बदलाव किए हैं, उसमें तकनीक की बड़ी भूमिका रही है। विडंबना यह है कि तकनीक का हर स्तर पर इस्तेमाल बढ़ा, आनलाइन शिक्षा, आनलाइन भुगतान, आनलाइन खरीददारी एवं वर्क फ्रॉम हॉम की पांव पसार रही संस्कृति एवं अनिवार्यता ने हर घर एवं व्यक्ति को इंटरनेट का गुलाम बना दिया है, इंटरनेट पर जिस कदर निर्भरता बढ़ी, उसमें साइबर अपराध ने भी अपने पांव फैलाए। क्योंकि इंटरनेट की जरूरत को जिस तरह प्रोत्साहित किया गया, उसी अनुपात में उससे जुड़ी जरूरी समझ, सावधानी और प्रशिक्षण पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। नतीजतन, समाज का जो हिस्सा तकनीकों के उपयोग के दायरे में है, उसे इसके कुछ फायदे जरूर मिल रहे हैं, लेकिन उनमें से एक हिस्सा इंटरनेट पर अपराध करने वालों के निशाने पर भी है। बच्चे साइबर अपराधियों के सबसे आसान निशाना होते हैं। बच्चे के हाथों में मोबाइल, कंप्यूटर और एवं लेपटॉप थमा दिये गये हैं, यह हमारी विवशता भी है। बच्चों को इंटरनेट के दायरे में लाने से परेशानी नहीं है, परेशानी है उनके भीतर अपेक्षित जागरूकता और सावधानी का बोध नहीं पनपा पाने की। यही वजह है कि पढ़ाई-लिखाई और खुद से जुड़े अलग-अलग लोगों या समूहों से संवाद के लिए इंटरनेट पर उनकी निर्भरता के क्रम में वे इंटरनेट पर चलने वाली अवांछित गतिविधियों की चपेट में आए हैं। कुछ यौन अपराध से जुड़े गिरोह एवं साइबर अपराधी बच्चों को निशाना बनाते हैं। इंटरनेट पर बच्चों के खिलाफ अपराधों के जो स्वरूप सामने आए हैं, उसमें तकनीक के उचित प्रशिक्षण से लेकर हमारा सामाजिक बर्ताव भी जिम्मेदार है, विशेषतः अभिभावकों की लापरवाही। जिसमें बच्चों पर या तो जरूरत से ज्यादा दबाव डाला जाता है या फिर उनकी गतिविधियों के प्रति उदासीनता होती है।

कोरोना के संक्रमण, पूर्णबंदी की पृष्ठभूमि में तमाम गतिविधियों के लिए इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ी। पढ़ाई या किसी से संवाद के लिए स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर इंटरनेट खोले बच्चे यौन शोषण, अश्लील संदेशों के आदान-प्रदान, आनलाइन गेम और ठगी या पोर्नोग्राफी और साइबर धमकी जैसे जोखिम की जाल में कैसे

फंसे गए, यह लोगों को पता नहीं चला। इस जंजाल में फंसे अनेक बच्चों ने आत्महत्या तक की है या अन्य अपराध करने को प्रवृत्त हुए हैं।

हम बड़ों की दुनिया बच्चों के लिए दिनोंदिन बेरहम, लापरवाह एवं क्रूर होती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में हर रोज बच्चों के खिलाफ 350 अपराधों को अंजाम दिया जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अध्ययन के आधार पर बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था चाइल्ड राइट्स एंड यू (सीआरवाई यानी क्राई) ने कहा है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं। हम दावा भले ही करते हों कि समाज आधुनिकता के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आधुनिकता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं होता है। परिवार हमारे सामाजिक ढांचे की सबसे प्राथमिक व्यवस्था है, जो बच्चों को उचित एवं सुरक्षित परिवेश देने में विफल साबित हो रही है। यह आधुनिकता की हमारी अवधारणा को संशय के घेरे में खड़ा करता है।

विडंबना यह भी है कि हमारे समाज एवं पारिवारिक परिवेश में बच्चों की देखभाल और उनका भविष्य संवारने के नाम पर जिस तरह के दबाव बना दिया जाता है, उसमें कई बार बच्चे गैरजरूरी दबाव में आकर अभिभावकों से जरूरी संवाद करना भी अपेक्षित नहीं समझते और वे अपराध के शिकार होते जाते हैं या अपराध की अंधी सुरंगों में धंसते चले जाते हैं। इसका नतीजा इस खतरे के रूप में आता है कि अक्सर वे अवांछित गतिविधियां चलाने वालों के निशाने पर या उसकी जद में आ जाते हैं। तकनीक अपने आप में एक निरपेक्ष साधन होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जिस मकसद से किया जाएगा, उसके नतीजे भी उसी अनुरूप सामने आएंगे।

नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश में हर 20 मिनट पर एक दुष्कर्म होता है। हालांकि बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के कई कदम उठाये गये हैं। लेकिन इस दिशा में भी स्थिति सुधरती नहीं दिख रही। भारत

में बाल संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए कई प्रावधान निर्धारित हैं। पहला बाल अधिकार सम्मेलन के प्रावधानों के अनुरूप किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम) 2015, ऐसी देखभाल और आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भारत का मौलिक और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कानून है। यह बच्चों के सर्वोत्तम हित के मामले को संबोधित करते हुए बालकों के अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार आदि और सामाजिक पुनर्संरचना के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरा, बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा से निपटने के लिए पोक्सो कानून 2012 भारत के सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक है। यह कानून 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर यौन हमले के लिए जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसमें दोषी को आजीवन कारावास का प्रावधान है। तीसरा, अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013, इसके तहत कई नये यौन अपराधों को शामिल किया गया है। जैसे 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म के लिए दण्ड का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। नया भारत - सशक्त भारत निर्मित करते हुए समाज के रूपांतरण के साथ बाल अधिकारों के प्रति सम्मान और उनके संरक्षण के लिए एक नूतन दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिये समाज-निर्माताओं एवं धर्मगुरुओं के साथ-साथ राजनेताओं को भी जागरूक होना होगा। राजनीति के सभी जिम्मेदार तत्व अपनी पार्टियों के हित-संरक्षण एवं वोटों के स्वार्थ के लिये समय को संघर्ष में ही नहीं बितायें, बल्कि बच्चों के अपराधमुक्त जीवन को सुनिश्चित करने में भी लगाये। देश के बच्चों की टूटती सांसें को जीने की उम्मीदें एवं सुखद बचपन की जर्मां दें। इस वक्त सब कुछ बाद में, पहले बच्चों की रक्षा।

कंगना विवाद के बहाने ...

कं

गना विवाद का एक फायदा यह हुआ है कि बंटवारे के इतिहास को पढ़ने में जो हमें आलस लगता है और उसे शायद ही ठीक से पढ़ते हैं, उसे एक बार फिर खोद कर पढ़ने की जरूरत जरूर महसूस होती है।

आजादी जरूर मिली थी 15 अगस्त 1947 को, पर वह कितनी संप्रभु थी, वह जानने की जरूरत है, जिससे उस समय के निर्णयों पर पुनर्विचार किया जा सके और कंगना के वक्तव्य की सत्यता भी समझी जा सके।

1947 की आजादी एक भीख में मिली आजादी थी क्योंकि ब्रिटेन में लेबर पार्टी के प्रमुख क्लिमेंट एटली ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि दूसरे देशों को गुलाम बना कर रखना और उपनिवेशवाद गलत है और यदि ब्रिटेन में मेरी पार्टी सत्ता में आएगी तब मैं ब्रिटेन के सभी गुलाम देशों को आजाद कर दूंगा

और क्लिमेंट एटली जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तब 3 साल के अंदर उन्होंने लगभग 38 देशों को आजाद किया अब गूगल पर सर्च करेंगे तब पता चलेगा 38 देशों को आजादी दे दी

भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया के

अंदर दो डोमिनियन स्टेट बनाए गए थे जिनका गवर्नर जनरल ब्रिटेन के राजा द्वारा नियुक्त किए गए थे और तकनीकी तौर पर वह उनको रिपोर्ट करते थे।

भारत में मॉउन्टबेटन को वॉयसरॉय से गवर्नर जनरल की पदवी दे दी गयी और पाकिस्तान में जिन्नाह को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने किस टाइप की आजादी दी थी, उसके लिए जिन्नाह ने जो शपथ ग्रहण की थी उसका मजमून देखिए ..

In August 1947, King George VI appointed Mohammad Ali Jinnah as the Governor-General of Pakistan and authorised him to exercise and perform all the powers and duties as his representative in Pakistan. Mohammad Ali Jinnah took the following oath of office-

“I, Mohammad Ali Jinnah, do solemnly affirm true faith and allegiance to the Constitution of Pakistan as by law established and that I will be faithful to His Majesty King

George VI, in the office of Governor General of Pakistan.”

शपथ में एक तरफ पाकिस्तान के संविधान के प्रति स्वामिभक्ति भी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बादशाह किंग जॉर्ज षष्ठम के प्रति भी वही बात कही जा रही है। दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं। इसका मतलब पाकिस्तान कोई संप्रभु राष्ट्र नहीं था। बस अंग्रेज गवर्नर जनरल की जगह जिन्नाह आ गए थे। पाकिस्तान का संविधान तो 10 साल बाद बन पाया था।

आप गूगल पर मोनार्च ऑफ पाकिस्तान सर्च करके विस्तार से पढ़िए

अगर आप सोचते हैं कि यह सब लीगल मैटर रहा होगा, असली ताकत तो इन नेहरू, जिन्नाह के पास ही रही होगी तो भी आप गलत हैं।

सैनिक ताकत भी ब्रिटेन के ही हाथ में थी 1951 तक पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तानी आर्मी जनरल अयूब खान बने जनवरी 1951 में। उसके पहले के दो आर्मी चीफ पाकिस्तान में ब्रिटिश आर्मी वाले ही थे।

Frank Messervy

Frank Messervy was a British General who took charge of the Pakistan Army soon after the independence and served as the first Commander-in-Chief until February 10, 1948.

Douglas Gracey

Following Frank Messervy, Douglas Gracey became the second Commander-in-Chief of Pakistan on February 11, 1948, and ended his term on January 16, 1951

Ayub Khan

Ayub Khan replaced Douglas Gracey, as the first Pakistani to serve as Commander-in-Chief of Pakistan Army and later became the first Army General to serve as the

कंगना के तीन सवाल



गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों मरने दिया?

नेताजी बोस को क्यों सपोर्ट नहीं मिला?

एक अंग्रेज ने क्यों भारत का विभाजन करवा दिया?

President of Pakistan. He was just yx when he was given the task to lead Pakistan's Army and was the first Army general to impose the country's first Martial Law. After becoming president, he elevated himself to the post of Field Marshal Rank and occupied the post of Army Chief for | years. His tenure ended on October 27, 1958.


लगभग यही हाल गणतंत्र बनने तक भारत का भी था। यहां मॉउन्टबेटन साहब भी जॉर्ज षष्ठम की स्वामिभक्ति के नाम पर शपथ ग्रहण कर रहे थे और जिसका मतलब मोनार्क ऑफ इंडिया भी जॉर्ज षष्ठम ही थे, हमारे यहां राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के बनने तक।

I, Louis Francis Albert Victor Nicholas, Viscount Mountbatten of Burma, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King George VI, his heirs and successors according to law. I, Louis Francis Albert Victor Nicholas, Viscount Mountbatten of Burma, do swear that I will well(?) and truly serve His Majesty King George VI, his heirs and successors in the office of Governor General of India.

भारतीय सेना भी ब्रिटिश जनरलों के आधीन थी और पहले भारतीय जनरल के एम् करिअप्पा 15 जनवरी 1949 को सेना की चीफ बने थे।

डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने और देश वास्तविक तौर पर संप्रभु राष्ट्र तभी बना। पाकिस्तान को यह हासिल करने में 1956 हो गया क्योंकि उनका कोई संविधान तब तक नहीं बन पाया था।

इस तरह से देखा जाए तो करीब 3 साल तक भारत और 10 साल तक पाकिस्तान ब्रिटैन को ही रिपोर्ट कर रहा था, सेना, करेंसी सब कुछ उन्हीं के हिसाब से था। यह इसलिए भी जरूरी था जिससे भारत, पाकिस्तान में जो अंग्रेज काम कर रहे थे, व्यवसाय या नौकरी कर रहे थे, उनको सुरक्षित रूप से वापस जाने, अपनी जमीनें, पैसा, कंपनियां बेचने में सुविधा रहे अन्यथा उनका हाल अफगानिस्तान में भागते



अमेरिकी सैनिकों जैसा हो सकता था।

यह हमें इतिहास में कभी नहीं पढ़ाया गया कि देश सही अर्थों में 26 जनवरी 1950 को आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को सिर्फ आजादी देने का एक नाटक हुआ था। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नेहरू अंग्रेज बादशाह के गवर्नर जनरल माऊंटबेटन के मातहत थे और कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी सी बेहतर थी क्योंकि वहां कोई अंग्रेज गवर्नर जनरल नहीं था।

अब इतना जानने के बाद जरा सोचिए कि अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, वहां के राजा ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत की सेना पूरे कश्मीर को छुड़वाना चाहती थी तो उसे अचानक बीच में रोक कर हह में जाने का नेहरू का फैसला क्या सिर्फ उनका अपना फैसला था।

माऊंटबेटन साहब जनवरी 1948 तक गवर्नर जनरल थे और वही सेना की कमान भी संभाल रहे थे। और पाकिस्तान में भी ब्रिटिश आर्मी चीफ ही था लड़ने वाला। गिलगित स्काउट्स का जनरल तो एक अंग्रेज ही था जो बिना पाकिस्तान के कहे ही भारत की बजाए पाकिस्तान से मिल गया था।

मतलब 1947-48 का कश्मीर युद्ध ब्रिटैन का दायां हाथ बाएं हाथ से नूरा कुश्ती की तरह लड़ रहा था। उस युद्ध को ब्रिटैन चाहता तो आसानी से रोक सकता था। ब्रिटैन दिल से पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ था पर भारत में कांग्रेस को नियंत्रित कर के सेक्युलर संविधान

आदि बनवाने को निर्देशित कर रहा था।

15 अगस्त 1947 की आजादी के पूरे चलचित्र का निर्देशक ब्रिटैन था, जिनाह, नेहरू, गांधी सिर्फ अभिनेता थे।

बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि 1947 की आजादी ब्रिटैन की तरफ से आजादी के नाम पर सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। उनकी सोच यह थी कि 600 से ऊपर रियासतें जो स्वतंत्र कर दी गई थीं, वह और भारत पाकिस्तान के धार्मिक पचड़े के साथ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लोग साल दो साल में जब एक बड़े गृह युद्ध में फंस जाएंगे तब ब्रिटिश बादशाह फिर से अपना राज पूरे भारत पर कायम कर लेगा।

लेकिन वह हो न सका सरदार पटेल जैसे नेताओं की वजह से। हाँ, पाकिस्तान के रूप में उनको एक अपना हितैषी अड्डा बनाने के लिए जरूर मिल गया। कश्मीर समस्या को पैदा करने में ब्रिटैन का हाथ था और उसके लिए भारत में नेहरू जैसे अंग्रेज भक्त प्रधानमंत्री का होना आवश्यक था, जिनाह तो थे ही अंग्रेज भक्त।

अब आते हैं कंगना के वक्तव्य पर। उसमें अर्धसत्य है। 26 जनवरी 1950 तक तो भारत 99 प्रतिशत अंग्रेजों के ही आधीन था।

उसके बाद संविधान जो बनाया, उसमें अनुच्छेद 13(1) कहता है कि वह सभी कानून भी कानून बने रहेंगे जो आजादी से पहले से कानून हैं, जब तक वह भारतीय संविधान के विरोधी साबित न हो जाएं। क्यों डाला गया इस अनुच्छेद को।

अरे भाई, 5 साल के अंदर बिल्कुल नए

गलत क्या कह दिया कंगना ने?

कंगना के बयान पर इतना आगबबूला क्यों हो रहे हैं? डोंगी पाखंडी ?

रानी लक्ष्मीबाई से लेकर नेता जी सुभाषचंद्र बोस तक, 90 साल लंबे स्वतन्त्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव, रोशन सिंह, बिस्मिल अशाफाकउल्लाह सरीखे असंख्य अमर बलिदानियों समेत लगभग 7 लाख हिन्दूस्तानियों ने अंग्रेजों की बंदूकों की गोली खा कर या फांसी के फंदे को चूमकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन 7 लाख बलिदानियों में एक भी कांग्रेसी नेता शामिल नहीं था। लेकिन आजादी के बाद 67 सालों तक इस देश की कई पीढ़ियों को लगातार यह पढ़ाया, रटाया गया कि "दे दी हमें आजादी बिना खड़ा बिना ढाल..."

रानी लक्ष्मीबाई, से लेकर नेता जी सुभाषचंद्र बोस तक जिन 7 लाख बलिदानियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, क्या अंग्रेजों से वो बिना खड़ा, बिना ढाल के लड़ रहे थे ?

हो सकता है कांग्रेसी चमचों चाटुकारों को नहीं मालूम हो। लेकिन

नेताजी सुभाषचंद्र बोस और उनकी जिस आजाद हिंद फौज को केवल सारा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। उनकी वह फौज चरखा नहीं चलाती थी। सूत नहीं कातती थी। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास में अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जितना प्रसिद्ध हैं, उतना ही प्रसिद्ध उनका माऊजर भी है। भगतसिंह, उधम सिंह और मदनलाल दींगरा ने अंग्रेज आततायियों की खोपड़ी पर चरखा और सूत की गठरी पटक कर उनको मौत के घाट नहीं उतारा था। उन्हें परलोक पहुंचाने का पुण्य भगतसिंह, उधम सिंह और मदनलाल दींगरा की पिस्तौलों से बरसी बारूद के धमाकों ने किया था। अतः पूरे देश की आंखों में 67 साल तक सफेद झूठ की यह धूल क्यों झोंकी गयी कि "दे दी हमें आजादी बिना खड़ा बिना ढाल..." किसी आजाद देश की आजाद सरकार अपने देश, अपने देशवासियों के साथ ऐसा छल फरेब, ऐसी धोखाधड़ी नहीं

करती। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया ?

यहां कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ जो यह संदेश देते हैं कि कंगना ने जो कहा सही कहा।

किसी देश को आजादी मिलने के बाद उस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी व्यक्ति को भीख में नहीं दी जाती। लेकिन यह सर्वज्ञात तथ्य है कि नेहरू को वह कुर्सी भीख में ही दी गयी थी। तत्कालीन कांग्रेस की सभी 15 राज्य कमेटियों में से 12 राज्य कमेटियों ने 25 अप्रैल 1946 को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में नेहरू नहीं सरदार पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा था। शेष तीन राज्य कमेटियों ने किसी भी नाम का



प्रस्ताव नहीं रखा था। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी ने कितने शांतिर हथकंडों दांवपेंचों के द्वारा नेहरू को प्रधानमंत्री का पद भीख में दे दिया था, इसका विस्तार से वर्णन 25 अप्रैल 1946 को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की उस बैठक में उपस्थित रहे आचार्य जेबी कपलानी ने अपनी किताब "गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स" में तथा मौलाना आजाद ने अपने किताब "इंडिया विंस फ्रीडम" में किया है। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया ?

आज कंगना के खिलाफ गरज बरस रहे लंपटों, कांग्रेसी चाटुकारों को यह बताना जरूरी है कि 25 अप्रैल 1946 को कांग्रेस कार्यसमिति की वह बैठक जब हुई थी उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आजाद ही था। 15 अगस्त 1947 को देश जब आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी आचार्य जेबी कपलानी के ही पास थी।

किसी आजाद देश की आजाद सरकार का प्रधानमंत्री देश की आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह सरीखे ज्ञात अज्ञात 7 लाख बलिदानियों की उपेक्षा तिरस्कार अपमान नहीं करता है। उन बलिदानियों के बजाय देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "भारत रत्न" से खुद को खुद ही सम्मानित नहीं करता। लेकिन नेहरू ने यही कुकर्म किया था। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया ?

किसी आजाद देश की आजाद सरकार के शासनकाल में विश्वविख्यात क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की बेसहारा विधवा मां जगानी देवी, जंगलों में लकड़ियां बीन कर, गोबर के उपले बनाकर बेच के अपना पेट भरने को मजबूर नहीं होती। अमर शहीद उधम सिंह का पौत्र अपनी दो वक्त की रोटी के लिए अपने सिर पर ईंटें ढोने की मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन नेहरू के शासनकाल में यह

जघन्य पाप हुआ। लगातार 3 सालों तक यह पाप हुआ, तबतक हुआ जबतक जगानी देवी जी की 1950 में मृत्यु नहीं हो गयी। शहीद उधम सिंह का पौत्र तो यूपीए शासनकाल में भी सिर पर ईंटें ढोने की मजदूरी ही कर रहा था। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया ?

जिसकी बहन आजादी की लड़ाई में जेल जाने का डोंग कर के जेल के सुपरिटेण्डेंट के साथ उसकी कार में बैठकर अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए सिनेमा हॉल जाया करती थी। अपनी उस बहन को किसी आजाद देश की आजाद सरकार का प्रधानमंत्री भारत का हाईकमिश्नर / राजदूत बनाकर लंदन मास्को वाशिंगटन समेत दुनिया के कई देशों में सम्मानित कराने का पाप नहीं करता। लेकिन नेहरू ने आजादी की लड़ाई के नाम पर देश के साथ यह वृणित दगाबाजी करने वाली अपनी उस बहन के लिए देश के साथ यह पाप किया

था। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया. ?

किसी आजाद देश की आजाद सरकार का प्रधानमंत्री क्या सरकारी खजाने से करोड़ों की रकम खर्च कर के अपनी मां के नाम पर मेडिकल कॉलेज समेत दर्जनों संस्थान बनवाता है? नेहरू ने ऐसा ही किया। लेकिन उसी नेहरू के शासनकाल में अमर बलिदानी चन्द्रशेखर आजाद की मां की 2 फुट की प्रतिमा अपने पैसों से लगाने की कोशिश जब कूट देशभक्तों ने की तो उसी प्रधानमंत्री नेहरू की सरकार ने पुलिस की गोलियों की बरसात कर के तीन देशभक्तों को मौत के घाट उतरवा दिया, दर्जनों को अंधमरा कर के अस्पताल भिजवा दिया। आजादी मिलने के बाद यह सरकारी पाप हुआ। खुलेआम बेखौफ हुआ। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया. ?

किसी आजाद देश की आजाद सरकार के शासनकाल में आजाद, भगत, बिस्मिल, अशाफाक सरीखे महान क्रांतिकारियों को सरकारी पाठ्यपुस्तकों में आतंकवादी नहीं लिखा जाता। लेकिन यह पाप इस देश में हुआ इन्के की चोट पर, खुलेआम बेखौफ हुआ। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया. ?

किसी आजाद देश की आजाद सरकार के शासनकाल में बटुकेश्वर दत्त सरीखे महान क्रांतिकारी से सरकार उसके क्रांतिकारी होने का प्रमाणपत्र मांगने का दुस्साहस, पाप नहीं कर सकती। लेकिन आजादी मिलने के बाद यह पाप हुआ। नेहरू के शासनकाल में ही हुआ। अतः कंगना ने गलत क्या कह दिया. ?

आजाद भगत अशाफाक के यनिष्ठ साथी सहयोगी रहे बटुकेश्वर दत्त, मन्मथनाथ गुप्त, दुर्गा भाभी, शचींद्र नाथ बख्शी, शचींद्र नाथ सान्याल, रामकृष्ण खत्री सरीखे दर्जनों महान क्रांतिकारियों में से किसी को भी अगर पद्मश्री सरीखे सम्मान के योग्य भी नहीं समझे जाने का कुकर्म किया गया, इन्के की चोट पर खुलेआम किया गया तो Kangana Ranaut ने गलत क्या कह दिया. ?



कानून आजाद भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाने में क्या दिक्कत थी। सांसद, विधायक, मंत्री सिर्फ मलाई खाने के लिए बनना था।

अगर देश में 4000 कानून गुलामी के समय के चल रहे थे तो कायदे से एक आयोग बना कर उनको संविधान सम्मत हैं या नहीं यह परीक्षण कर के उनको निरस्त कर देना चाहिए था 5 साल के अंदर लेकिन वह सभी कानून अभी भी मौजूद हैं। उनमें से एक कानून यह भी था कि ब्रिटेन का राजा भारत का सम्राट है।

ऐसे ही 1800 कानून मोदी सरकार ने 2018 में निरस्त किए थे। आज जो भी देश में लचर कानून व्यवस्था है वह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमने 90 प्रतिशत ब्रिटिश कानूनों को ही प्रचलन में रखा हुआ है और जिनको बदले जाने के कोई आसार नहीं हैं।

पुलिस, नौकरशाही भी यथावत रख ली गयी, उनके तौर तरीके सुधारने के लिए बीसियों आयोग बने पर हुआ कुछ नहीं। इसलिए आजादी के पहले का प्रशासनिक तंत्र वैसे ही काम कर रहा है, बस गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों ने ले ली है।

चूंकि हम सभी अंग्रेजी कानूनों और व्यवस्थाओं को बनाए हुए हैं, तो इसका अर्थ तो यही हुआ की उनका शासन ठीक था और हम उसे ही अच्छा समझते हैं। फिर किस बात की आजादी मिली है? जी हाँ, 25 प्रतिशत आजादी है, गला फाड़ कर चिछाने की, धरना, प्रदर्शन की, रेल, सड़क, हवाई जहाज बंद करने की, सड़क पर कब्जा जमाने की, भारत बंद करने की, घोटाले करने की। यह आजादी 1947 के पहले किसी को नहीं थी। अगर करते थे तो गोली खानी पड़ती थी

। अभी तो राष्ट्रपति भवन पर रईस किसान कब्जा कर लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा चुनाव के चक्कर में। तो मेरे हिसाब से 15 अगस्त 1947 में 1 प्रतिशत आजादी मिली थी और 26 जनवरी 1950 को 20 प्रतिशत आजादी मिली थी जनता को। हाँ, देश के धनपतियों, नेताओं, मीडिया, पुलिस, नौकरशाहों को जरूर 100 प्रतिशत आजादी तभी मिल गयी थी भ्रष्टाचार करने की।

बाकि जनता तो अभी भी सड़ी गली अंग्रेजी कानून और शासन व्यवस्था को यथावत ढो रही है। 2014 से आजादी में 5 प्रतिशत वृद्धि जरूर हुई है पर वह सोशल मीडिया की वजह से है। उससे सब की पोलपट्टी खुलने से कुछ सुधार हुआ है। 2014 से पब्लिक सरकारी और निजी मीडिया के भरोसे नहीं रही है। खुद ही खोद खोद कर पता कर रही है।

ऐतिहासिक तथ्यों के परिपेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का कोई तुक नहीं है अगर हम 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटेन के सम्राट को ही अपना राजा मान रहे थे और उसकी स्वामिभक्ति के नाम पर शपथ ले रहे थे। बेहतर हो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया जाए जिस दिन पहले राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के नाम पर पदभार ग्रहण किया था।

और एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जब जेएनयू में कन्हैया कुमार एंड गैंग हम लेके रहेंगे आजादी जैसे नारे लगाती है जब शाहीन बाग में हम लेके रहेंगे आजादी के नारे लगते हैं तब कोई उनसे यह क्यों नहीं कहता कि हमें तो आजादी 1947 में मिल गई है अब तुम्हें किस बात की आजादी चाहिए।



आर.के.
सिन्हा

● आर.के. सिन्हा

एक खास वर्ग के वोट पाने के खातिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इतने नीचे गिर जाएंगे, यह शादद ही किसी ने सोचा भी न हो। उन्होंने हाल ही में हरदोई में पार्टी की एक रैली में मोहम्मद अली जिन्ना का महिमामंडन किया। एक तरह से उन्होंने भारत को तोड़ने वाले जिन्ना को स्वतंत्रता आंदोलन का नायक ही बता दिया। क्या अखिलेश यादव को पता नहीं कि जिन्ना ने ही मुसलमानों से 16 अगस्त, 1946 के दिन से डायरेक्ट एक्शन (सीधी कार्रवाई) का आह्वान किया था? एक तरह से वह दंगों की एक योजनाबद्ध शुरुआत थी। उन दंगों में मात्र कोलकाता महानगर में ही पांच हजार मासूम मारे गए थे। मरने वालों में बिहारी और उड़िया मजदूर ही सर्वाधिक थे। फिर तो दंगों की आग चौरफा फैल गई। मई, 1947 को रावलपिंडी में मुस्लिम लीग के गुंडों ने जमकर हिन्दुओं और सिखों को मारा, उनकी संपत्ति और औरतों की इज्जत खुलेआम लूटी। रावलपिंडी और लाहौर में सिख और हिन्दू खासे धनी थे। इनकी संपत्ति को निशाना बनाया गया। पर मजाल है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी उन दंगों को रूकवाने की अपील तक की हो। वे एक बार भी किसी दंगा ग्रस्त क्षेत्र में भी नहीं गए, ताकि दंगे कुछ हद तक ही सही धम जाएं।

डायरेक्ट एक्शन की आग पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) के नोआखाली तक पहुंच गई थी। वहां पर हजारों हिन्दुओं का कत्लेआम हुआ था। उस कत्लेआम को रूकवाने के लिए महात्मा गांधी नोआखाली गए थे। उनके साथ अखिलेश यादव की पार्टी के राजनीतिक चिंतक डॉ राममनोहर लोहिया, जे.बी. कृपलानी वगैरह भी थे। गांधी जी नोआखाली 6 नवंबर, 1946 को पहुंचे थे। उनका वहां जाने का मकसद आग में झुलसते नोआखाली में शांति की बहाली करना था। वे और उनके साथ वहां लगातार सात हफ्ते तक रहे और जब वहां से निकले तबतक तो हालात काफी सामान्य हो चुके थे। नोआखाली देश की आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना और पाकिस्तान के दो फाड़ होने के बाद बांग्लादेश का अंग बना।

हैरानी होती है कि जिन्ना को गांधी जी और सरदार पटेल के बराबर रखने करने वाले अखिलेश यादव को इतना भी नहीं पता कि जिन्ना के कारण ही हिंदुओं का नरसंहार हुआ और हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। गांधी जी की नोआखाली की शांति यात्रा का मुस्लिम लीग के मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय मौलवियों ने घनघोर तरीके से

जिन्ना का गुणगान और लोहिया का अपमान क्यों करते अखिलेश जी

विरोध भी किया था। मुख्यमंत्री हुसैन शाहिद सुहावर्दी ने गांधी जी से नोआखाली को छोड़ने के लिए भी कहा था। पर वे और उनके साथी तब तक वहां रहे जब तक हालात बेहतर नहीं हो गए।

जिन्ना का गुणगान करने वाले अखिलेश यादव यह भी याद रख लें कि जिन्ना ने एक बार भी जेल यात्रा तक नहीं की। क्या कोई आजादी के आन्दोलन का इस तरह का नेता होगा, जिसने कभी जेल यात्रा न की हो या पुलिस की लाठियों न खाई हों? जिन्ना साहब दंगे रूकवाने के लिए कभी सड़कों पर नहीं उतरे। इतिहासकार राज खन्ना कहते हैं कि जिन्ना को बेहिसाब मौतों और जनधन की हानि का कोई अफसोस तक नहीं था। इतिहास की इस शर्मनाक त्रासदी ने उनके पाकिस्तान के सपने को सच करने का काम और आसान कर दिया।

अंग्रेजों की गुलामी से निजात पाने के लिए क्रांतिकारी रहे हों या फिर बापू के रास्ते चलने-लड़ने वाले अहिंसक सेनानी। सबकी कुर्बानियों का गौरवशाली लम्बा सिलसिला और इतिहास है। दूसरी ओर जिन्ना को कांग्रेस के मुकाबले खड़ा होने के लिए अंग्रेजों का भरपूर साथ और समर्थन मिला। उन्हें सिर्फ एक काम करना था - हिंदुओं- मुसलमानों के बीच दूरी और नफरत बढ़ाना। आजादी की लड़ाई के दौरान जिन्ना ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। दिल्ली से कराची रवानगी की पूर्व संध्या पर 7 अगस्त 1947 को उन्होंने अपने सन्देश में कहा था, 'अतीत को गाड़ दिया जाना चाहिए और हमें हिंदुस्तान और



पाकिस्तान - दो स्वतंत्र संप्रभु देशों के रूप में नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं हिंदुस्तान के लिए शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ।' देख लीजिए कि जो जिन्ना खुलेआम खून-खराबा करवाता रहा वह पाकिस्तान बनने से चंदेक रोज पहले भाई चारे का पाठ पढ़ रहा था।

अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि कुछ कथित इतिहासकार जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष भी बताने लगे हैं। जो इंसान धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करवा चुका हो उसे ही धर्मनिरपेक्ष बताया जाता है। ये जिन्ना के 11 अगस्त, 1947 को दिए भाषण का हवाला देते हैं। उस भाषण में जिन्ना कहते हैं। 'पाकिस्तान में सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी।' 11 अगस्त, 1947 के भाषण का हवाला देने वाले जिन्ना के 24 मार्च, 1940 को लाहौर के बादशाही मस्जिद के ठीक आगे बने मिन्टो पार्क (अब इकबाल पार्क) में दिए भाषण को भूल जाते हैं। उस दिन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव ही मशहूर हुआ 'पाकिस्तान-

हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ या हिंदुत्व की आधारशिला हैं श्री राम

हिंदुत्व शब्द संस्कृत के त्व प्रत्यय से बना है। यह शब्द हिन्दू होने के गुण को चरितार्थ करता है। हिंदुत्व एक विचार धारा है। जीवन जीने की कला ही हिंदुत्व है। सभी धर्म जीवन जीने की पद्धति/नियम बताते हैं। धर्म जीना सिखाता है तो अधर्म मरना। इसलिए कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म की बातें तर्क और बहस से परे होती हैं। धर्म एक रहस्य है। धर्म संवेदना है। धर्म स्वयं की खोज का नाम है। धर्म से आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त होता है। सभी धर्मों में, आध्यात्मिक पुरुषों ने अपने अपने तरीके से आत्मज्ञान की प्राप्ति की। ऐसे ही आत्मज्ञानी महापुरुषों ने समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना की। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता सलमान खुशीद ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सलमान खुशीद ने हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से कर डाली। सलमान खुशीद ने 'सनराइज ओवर अयोध्या' नाम की किताब लिखी है। इस किताब पर ही सियासी बवाल मचा हुआ है। सलमान खुशीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व पर निशाना साधा है। सलमान खुशीद की किताब के पेज नंबर 113 का चैप्टर है 'सैफरन स्काई' यानी भगवा आसमान। इसमें सलमान खुशीद लिखते हैं- हिंदुत्व साधु-सन्तों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आई एस आई एस और बोको हरम जैसे जिहदी इस्लामी संगठनों जैसा है। मामला थमा नहीं था कि कांग्रेस मुखिया राहुल गांधी मैदान में कूद गए। इन्होंने सलमान खुशीद का पक्ष लेते हुए हिंदू को हिंदुत्व से अलग बता दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, पर उपनिषद में लिखा क्या है

वो स्पष्ट नहीं कर पाते। छान्दोग्य उपनिषद और सभी हिन्दू धर्म से सम्बंधित धार्मिक ग्रन्थ को समझने के लिए किसी प्रकांड विद्वान से राहुल गांधी जी को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तो हद ही कर दी। इन्होंने जय श्री राम बोलने वालों को निशाचर तक कह डाला। राम शब्द संस्कृत के दो धातुओं रम और घम से बना है। रम का अर्थ है रमना या निहित होना। घम का अर्थ है ब्रह्माण्ड का खाली होना। राम का अर्थ हुआ-चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म। शास्त्रों में लिखा है- "रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्चयते" अर्थात् योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं, उसे राम कहते हैं। राशिद अल्वी को राम नाम की महिमा का इतिहास पढ़ना चाहिए। राशिद अल्वी का जय श्री राम पर की गई टिप्पणी उनकी मूर्खता को चरितार्थ करती है। हिन्दू धर्म में सारे धर्मों का सम्मान है। हिंदू शास्त्र में कहा भी गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्माण्डे अर्थात् कण कण में भगवान् व्याप्त है। हिंदुत्व की आधारशिला है जय श्री राम। जय श्री राम का नारा सकारात्मकता, पुरुषार्थ और सहिष्णुता का परिचायक है। भारतीय संस्कृति के वाहक हैं भगवान् श्री राम। भगवान् श्री राम हमारे पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। भगवान् राम भारतीयों के बल का प्रतीक हैं। संस्कृति संस्कार से बनती है। हमारा संस्कार है की हम सारे धर्मों का सम्मान करें और अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वास रखें। ऐसा प्रतीत होता है कि सलमान खुशीद, राशिद अल्वी और राहुल गांधी ये तीनों वो महापुरुष हैं जो आत्मज्ञान को नहीं बल्कि आत्मवंचन को प्राप्त हुए। अपने धर्म में विश्वास और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही असली आत्मज्ञानी होता है। संस्कृत में एक श्लोक है नायं आत्मा बल हीने लभ्यः अर्थात् यह आत्मा बलहीनों को नहीं प्राप्त होती है। एक कहवत है जो अपना सम्मान नहीं कर सकता वो दूसरों का क्या करेगा। बिना ज्ञान के हिन्दुओं पर टिका टिप्पणी करना इन तीनों नेताओं को आने वाले चुनाव में भरी पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो ठीक से संस्कृत बोल नहीं

सकते, लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते और बात करते हैं हिंदुत्व की। सृष्टि के विकास और उसके हित में किये जाने वाले सभी कर्म धर्म हैं। प्रकृति से ही मानव है। पूरी सृष्टि प्रकृति की ही देन है। जिन नेताओं को हिंदुत्व की जानकारी न हो, उनको हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। इस समय हर एक नेता अभिनेता की भूमिका में है। कहने का तात्पर्य जिस प्रकार अभिनेता, अभिनय करके किसी भी चरित्र का निर्माण करता है। उसी प्रकार नेता चुनाव आते ही अभिनय की भूमिका में आ जाते हैं। अभिनय नाटक का एक अंग है। नेताओं को गौर से देखें और समझें तो आप पाएंगे कि चुनाव आते ही नेताओं के बोलने का ढंग, चलने का ढंग, बैठने का ढंग, खान-पान का ढंग, लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने का ढंग सब कुछ बदल जाता है जाता है। नेताओं द्वारा हिन्दुओं पर जो टीका टिप्पणी की गई ये उनकी दुर्गति का कारण बनेगी। इन नेताओं ने समाज में विषमता पैदा की है। किसी भी चीज की अति दुर्गति का कारण बनती है। ज्यादा खाना खा लीजिये, खाना पचना बंद हो जाता है। इन नेताओं को अपनी हद में रहना चाहिए। राजनेता को समाज के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में होना चाहिए ना कि अभिनय की भूमिका में। लोकतंत्र में लोगों के मतों के द्वारा ही सत्ता का निर्माण होता है। नेताओं को चाहिए कि वो सभी धर्मों का सम्मान करें। अभिनय, अभिमान (धर्मंड) को जन्म देती है। अभिमान अर्थात् अभी + मान मतलब अपनी ही चलाना (जनता की न सुनना)। ऐसे अभिनेता रूपी नेताओं से जनता प्रसन्न है। जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना यह साबित करता है कि "जनता प्रसन्न है, नेता मस्त हैं"। सामाजिक विषमता पैदा करने वाले नेताओं को जनता परिमाण (वोट की मात्रा) के रूप में जवाब अवश्य देगी। हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डॉ. शंकर सुवन सिंह



प्रस्ताव" के नाम से। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का स्व्वाब देखती है। वह इसे पूरा करके ही रहेगी। प्रस्ताव के पारित होने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने दो घंटे लंबे भाषण में हिन्दुओं को जमकर कसकर कोसा था। "हिन्दू - मुसलमान दो अलग मजहब हैं। दो अलग विचार हैं। दोनों की संस्कृति, परम्पराएं और इतिहास भी अलग है। दोनों के नायक भी अलग हैं। इसलिए दोनों कतई साथ नहीं रह सकते।" जिन्ना ने अपने भाषण में महान आजादी सेनानी लाला लाजपत राय और चितरंजन दास को अपशब्द तक कहे थे। उनके भाषण के दौरान एक प्रतिनिधि मलिक बरकत अली ने 'लाला लाजपत राय को राष्ट्रवादी हिन्दू कहा।' जवाब में जिन्ना ने कहा, 'कोई हिन्दू नेता राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। वह पहले और अंत तक हिन्दू ही है।' इसके बावजूद अखिलेश यादव जैसे नेता जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष और गांधी और सरदार पटेल जी के कद का नेता बता देते हैं।

अखिलेश यादव के अलावा भी हमारे यहां बहुत से जिन्ना के चाहने वाले हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस के एक नेता ने भी दावा किया था कि सरदार वल्लभभाई पटेल के मोहम्मद अली जिन्ना से संबंध थे। उन्होंने झूठा दावा किया कि सरदार पटेल तो जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान को सौंपना चाहते थे। यह दावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस के नेता तारिक हामिद करा ने किया था। तो बात यह है कि हमारे यहां कुछ दलों के नेताओं के दिल में जगह बना चुके हैं जिन्ना।

राम-राम रटने वाले जाकिर हुसैन के नाती को क्या हो गया ?


सलमान खुशीद को कैसे तो खबरों में बने रहना आता है। पिछले काफी दिनों से वे खबरों की दुनिया से बाहर थे। उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा था। वे और उनकी पत्नी लुईस खुशीद चुनावों में तो बार-बार शिकस्त खाते ही रहते हैं। इसलिए उन्हें लगा कि क्यों न हिन्दुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन "आईएसआईएस" व "बोको हरम" से ही कर दी जाए। इससे वे खबरों में जगह बना लेंगे। सलमान खुशीद अपनी नई किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या- नेशनल इड इन अवर टाइम' में यही तो प्लान करते हैं। इस किताब के विमोचन के बाद से वे मीडिया में छाए हुए हैं। उनके मन की मुराद पूरी हो ही गई।

बेहतर तो यही होगा कि वे हिन्दू धर्म और

हिन्दुओं को भी कोसा करें। उनके खिलाफ अब वे एक के बाद एक किताबें लिखें। उन्हें मीडिया हाथों-हाथ लेगा। जिस सलमान खुशीद ने अंग्रेजी दां दिल्ली पब्लिक स्कूल और सेंट स्टीफंस कॉलेज में अपनी शिक्षा हासिल की उसे अब मदरसानुम अंदाज में अब मुसलमानों के हित सता रहे हैं। चलो कभी तो वे अपनों के हुए। वर्ना तो साउथ दिल्ली के जिस विशाल बंगले में वे रहते हैं वहां पर कोई दीन-हीन मुसलमान कभी घुस भी नहीं सकता। उनके सालाना बिरयानी और आम की दावत में तो उनके गैर-मुसलमान दोस्त और चाहने वाले ही ज्यादा होते हैं। सलमान खुशीद और नसीरउद्दीन शाह जैसे से सवाल भी नहीं पूछे जाने चाहिए कि वे जो कह रहे हैं उसका आधार क्या है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाती सलमान खुशीद से एक खबरिया चैनल ने पूछा कि वे बताएं कि हिन्दुत्व और आईएसआईएस की तुलना कहां तक वाजिब है। इस सवाल को सुनकर वे भड़क गए और इंटरव्यू बीच में ही छोड़ कर चले गए। अपनी किताब पर विवाद के बाद सलमान खुशीद लगातार कह रहे हैं कि वे चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन जब खबरिया चैनल ने उनसे सवाल किए तो वे भाग खड़े हुए। जब उनसे हिन्दुत्व की आतंकवादी संगठनों से तुलना करने पर सवाल किया तो वे इंटरव्यू बीच में ही छोड़ गए। सबसे अच्छा तरीका तो यह होता कि उनसे कोई सवाल-जवाब नहीं करता। उन्हें चाहें बोलने की फूट दे दी जाए। वे बोलते-लिखते रहे। कम से कम देश को पता तो चले उनके और उन जैसे के चरित्र के बारे में। उन्हें पता है या नहीं मैंने तो उनके नाना और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल डाक्टर जाकिर हुसैन को स्वयं अपनी आँखों से देवराह बाबा के मचान के सामने बैठकर "राम-राम" जपते देखा है। दूबत 1962 के फरवरी-मार्च की है। मैं अपने पिताजी के साथ देवराह बाबा के मचान के सामने बैठा था तभी मोटर बोट की आवाज आई जो उन दिनों एक अजूबी चीज थी। मैंने ही राज्यपाल जाकिर हुसैन मोटर बोट से उतर कर मचान की ओर बढ़े, देवराह बाबा ने मचान से ही कहा, "लाट, बच्चा आ गया।" वही बैठा और राम-राम जपो दूब में भक्तों की इस भीड़ को निपटाता हूँ दूब" राज्यपाल महोदय गंगा की

रेत पर बैठकर राम-राम जाप करने लगे। जब बाबा ने लगभग पूरी भीड़ को निपटा दिया तब उन्होंने राज्यपाल महोदय को बुलाया। दूब कूट फल दिये दूब आशीर्वाद दिया और कहा, "लाट बच्चा, रामजी तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम अब दिल्ली जाने की तैयारी करो" इसके कुछ दिन बाद ही यह खबर आ गई कि वे उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं।

दरअसल सलमान खुशीद से कहा गया कि 2014 से 2018 के बीच 19 देशों में आईएसआईएस ने 2000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, उस आतंकी संगठन से आप हिन्दुत्व की तुलना कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब देने की बजाय सलमान खुशीद ने हाथ जोड़ लिए और नमस्कार कह कर इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चलते बने। यह वही सलमान खुशीद हैं जिन्होंने 10 फरवरी 2012 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करते हुये सार्वजनिक रूप से यह दावा किया था कि "मैंने जब बटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें सोनिया गाँधी को दिखाई तब उनकी आँखों से आंसू गिरने लग गये और उन्होंने मुझे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से बात करने की सलाह दी" "जरा गौर करें कि सलमान खुशीद की किताब का विमोचन करने वालों में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह तो पहले ही कह चुके हैं कि जब केन्द्र में उनकी पार्टी की सरकार आणी तो वे संविधान के अनुच्छेद 370 को पुनः बहाल कर देंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। जिस अनुच्छेद 370 को हटाने के सवाल पर सारा देश एक है, उसे फिर से बहाल करने का दिग्विजय सिंह वादा कर रहे हैं। हालांकि उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। सलमान खुशीद की किताब के विमोचन के मौके पर पी. चिदंबरम भी मौजूद थे। सलमान खुशीद और दिग्गी राजा की तरह उनका भी कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस में इस तरह के कागजी और दिखास और छपास



वाले नेताओं की भरमार है। ये लुटियन दिल्ली के बड़े विशाल सरकारी बंगलों में रहकर राजनीति करते हैं। इनमें से कुछ मालदार कमाऊ वकील हैं। वकालत से थोड़ा बहुत जब वक्त मिल जाता है, तो सियासत का खेल भी करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि खबरिया चैनलों की डिबेट में आने से ही वे पार्टी की महान सेवा कर रहे हैं। ये जनता के बीच उनके सवालों पर कभी आंदोलन नहीं करते, कभी जेल यात्राएं नहीं करते।

सलमान खुशीद से ही पूछ लीजिए कि क्या कभी उन्होंने देश भर के वक्फ बोर्डों में फैली कर्रप्शन के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनसे पूछिए कि मुसलमानों में ट्रिपल तलाक के मामले पर उनकी क्या राय थी। उनसे जरा यह भी जान लें कि क्या उन्होंने कभी पसमांदा मुसलमानों के हक में कोई आंदोलन चलाया? दरअसल देश का पूरा मुस्लिम समाज अशराफ, अजलाफ और अरजाल श्रेणियों में बंटा है। शेख, सैयद, मुगल और पठान अशराफ कहे जाते हैं। अशराफ का मतलब है, जो अफगान-अरब मूल के या हिन्दुओं की अगड़ी जातियों से धर्मांतरित होकर मुसलमान बने हैं, वे ही अशराफ कहे जाते हैं। अजलाफ हिन्दुओं के पेशेवर जातियों से धर्मांतरित मुसलमानों का वर्ग है। एक तीसरा वर्ग उन मुसलमानों का है, जिनके साथ शेष मुसलमान भी संबंध नहीं रखते। यहां तक कि वे तो मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तान का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। दलित मुसलमानों के जनाजे का नमाज पढ़ने से भी ज्यादातर मौलवी इंकार कर देते हैं। इन्हें ही पसमांदा मुसलमान कहते हैं। यही मुसलमानों का 85% उपेक्षित वर्ग है। दुर्भाग्यवश भारतीय मुस्लिम समाज भी जाति के कोढ़ से मुक्त नहीं है, हालांकि कहने को तो इस्लाम में जातिवाद नहीं है। क्या सलमान खुशीद या नसीरुद्दीन शाह ने मुसलमानों में जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई सशक्त आंदोलन छेड़ा, नहीं? न? भारत में मुसलमानों को यह अभिजात समूह है जिसने सिर्फ मौज की है। ये सिर्फ हकों की बातें करते हैं। इन्हें कर्तव्यों को याद दिलाते ही पसीना आने लगता है। सलमान खुशीद इसी खाए-पिए-अघाए रईस मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। समझ नहीं आता कि इनकी नियमित देश और समाज विरोधी हरकतों पर कुछ लोग क्यों इतने परेशान हो जाते हैं। इन्हें समझना होगा कि सलमान खुशीद जैसों को हिन्दू और हिन्दुत्व में टक्कर रखने वाला भारत हर तरह की मौज करने की छूट देता ही रहेगा। इसीलिए वे ऐसी हिमाकतें करते रहते हैं।

(लेखक वरिष्ठ संपादक,
स्तम्भकार और पूर्व सांसद हैं।)

वजू व खुले में नमाज



अक्सर किसी सड़क, किसी पार्क, किसी सार्वजनिक जगह पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा नमाज पढ़ने की बात खबरों में मिलती रहती है। रेलवे स्टेशन पर भी नमाज पढ़ते मिल जाते हैं। कई बार रेल पटरियों पर भी नमाज की फोटो देखने को मिल जाती हैं। ट्रेन के डब्बों और जहाज में भी नमाज की फोटो दिखी हैं। कई बार नेशनल हाइवे पर भी नमाज की खबरें मिलती हैं। घंटे-आधे घंटे के लिए ट्रैफिक ठहर जाता है। एम्बुलेंस तक रुक जाती हैं। लोग मर जाते हैं। नतीजतन छिटपुट विरोध की खबरें भी मिलती रहती हैं। पूरे देश की हालत है यह। अलजजीरा जैसे अखबार ने कल लिखा है कि भारत में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। साम्यवादी देश चीन में तो नमाज, बुरका, मजार, मस्जिद, टोपी, कब्रिस्तान आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध है। लेकिन भारत में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर यह खबर अलजजीरा में किस आधार पर छपी है? भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई ऐतराज भी नहीं जताया है।

तो क्या मस्जिद बहुत कम हैं भारत में? जो लोगों को सड़क या सार्वजनिक जगह पर नमाज की दिक्कत उठानी पड़ती है। ठीक-ठीक आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन कई खबरें ऐसे भी मिली हैं पढ़ने को कि मस्जिद और मजार की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। फिर भी लोग सड़क पर ट्रैफिक रोक कर नमाज पढ़ते हैं। ऐसा क्यों है? यह कौन सी प्रवृत्ति है। अतिक्रमण की यह कौन सी महत्वाकांक्षा है। मकसद क्या है? किसी समाजशास्त्री को इस विषय पर अध्ययन जरूर करना चाहिए। एक सर्वे भी जरूर होना चाहिए कि क्या मुस्लिम आबादी के अनुपात में मस्जिद कम हैं? कि लोगों को नमाज के लिए सार्वजनिक जगह या सड़क, पार्क घेर कर बैठना पड़ता है।

या यह प्रवृत्ति सिर्फ समाज में विघटन पैदा करने के लिए पनप रही है? लोगों को डराने के लिए? देश में सामाजिक समरसता और शांति बहुत जरूरी है। शेष जिन्ना वगैरह की बात अखिलेश यादव जैसों के वोट बैंक के लिए छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह अखिलेश यादव लगातार जिन्ना का पाठ पढ़ रहे हैं उस से तो यही लगता है कि उन का मनोबल चुनाव घोषित होने के पहले ही टूट चुका है। तो क्या मान लिया जाए कि जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ने उतरते हैं, मनोबल बढ़ाने के सड़क पर नमाज पढ़ते हैं?

माना जाता है कि नमाज पढ़ने के पहले वुजू बहुत जरूरी होता है। इसी लिए हर मस्जिद के बगल में अक्सर एक कुआं जरूर मिलता है। अब तो मस्जिद में टोटी भी लगी देखी हैं में ने। अजमेर शरीफ की दरगाह पर तो बहुत सी टोटी लगी हुई देखी हैं में ने। तो सड़क या सार्वजनिक जगह पर यह नमाज पढ़ने वाले लोग पानी कहाँ पाते हैं? वुजू कैसे करते हैं? सड़क या सार्वजनिक जगह पर नमाज से क्या भाई-चारा खंडित नहीं होता। यह भी सामाजिक अध्ययन का विषय है। यह समस्या अब गंभीर होती जा रही है। तभी कह रहा हूँ कि इस विषय पर सामाजिक अध्ययन की जरूरत है। बहुत से मुस्लिम स्कॉलर हैं देश में। उन को भी इस बाबत अध्ययन जरूर करना चाहिए। आपसी सद्भाव और शांति के लिए यह बहुत जरूरी है।

कृषि कानून की वापसी की घोषणा के साथ मोदी ने विपक्ष को एक झटके में मुद्दाविहीन कर दिया है। पिछले सात सालों में यह पहला मौका था जहां मोदी विपक्ष की पकड़ में आते दिखने लगे थे। विदेशी मोर्चे पर घिरे मोदी अब घरेलू मोर्चे पर और ज्यादा फंसने की स्थिति में नहीं थे। वह भी तब जब किसान आंदोलन के नाम पर विदेशी फंडिंग से गतिविधियां संचालित होने लगी थीं। वास्तविक किसान के स्थान पर किसान नेता आंदोलन पर कब्जा जमा चुके थे। कृषि कानून की आड़ में देश के अंदर एक धड़ा अपनी गतिविधियां पुनः संचालित करने की रूपरेखा बनाने लगा था। अब कृषि कानून पर यू टर्न के बाद कई राज्यों के सामने भी परेशानी आ रही है। उत्तराखंड और कर्नाटक सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र के कानून की तर्ज पर अपने राज्यों में या तो कानून बना लिए थे या उनमें संशोधन कर लिया था। अब इन राज्यों के सामने यथास्थिति को बरकरार रखने या पुनः संशोधन की चुनौती सामने दिखाई दे रही है। जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ तो कृषि कानून पर मौन दिखता है किन्तु कर्नाटक सरकार केंद्र के फैसले पर मुखर है। राजनीतिक रूप से भाजपा को पंजाब में इसका सबसे ज्यादा फायदा होता दिखता है। अकाली और भाजपा गठबंधन कृषि कानून के विषय पर ही टूटा था जो वापस स्थापित हो सकता है। अमरिंदर सिंह भी कृषि कानून वापसी के बाद भाजपा के साथ आ सकते हैं। इस तरह भाजपा, अकाली, अमरिंदर और बसपा का पंजाब में सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त हो गया है। करतारपुर कारिडोर खोलने के बाद मोदी सरकार का कृषि कानून वापस लेने का फैसला पंजाब के कार्यकर्ताओं के लिए दूसरा राहत देना वाला कदम है। इसी तर्ज पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल और भाजपा के बीच समीकरण बनने की संभावना खुल गयी है। यानि कि सरकार महज कुछ प्रदर्शनकारियों के दबाव में आकर झुक गयी है ऐसा तो नहीं दिखता है। वह भी तब जब आंदोलन अपने व्यापक स्वरूप के बाद सिमटने लगा हो और उच्चतम न्यायालय का धैर्य भी जवाब देता दिखने लगा हो।



कृषि कानून वापसी मुद्दा विहीन विपक्ष

● अमित त्यागी

रुनाक जयंती के दिन लोग अपेक्षा कर रहे थे कि शायद मोदी किसी गुरुद्वारे में जाएँगे या अमृतसर जा

सकते हैं। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। अचानक सुबह नौ बजे मोदी राष्ट्र के सामने प्रगट हुये और अपने सम्बोधन में कृषि कानून की बात करते हुये उसे

वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही कृषि को रसायन मुक्त बनाने की बात कहकर जीरो बजट कृषि को प्रोत्साहित करने की बात कर दी। अपने



उद्बोधन के प्रारम्भ में पहले उन्होंने कृषि कानून के लाभ बताए। फिर समर्थन करने वालों का धन्यवाद दिया। फिर प्रदर्शनकारियों से सरकार की वार्ता का उल्लेख किया और हल निकालने के क्रम में कानूनों को निलंबित करने के प्रस्ताव पर भी बताया। इसके बाद दिये के प्रकाश जैसा सत्य जनता को नहीं समझा सके जैसी बात कही। प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी घोषणा के बाद सरकार के समर्थकों और विरोधी, दोनों स्तब्ध थे। न ही समर्थकों को समझ आ रहा था और न ही विरोधियों को कि अचानक यह क्या हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे पक्ष और विपक्ष अपना अपना नृत्य कर रहा हो और किसी ने अचानक आकर डीजे बंद कर दिया हो।

प्रधानमंत्री की यह घोषणा इसलिए भी हैरान करने वाली थी क्योंकि किसान आंदोलन धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने लगा था। उच्चतम न्यायालय का धैर्य जवाब देने लगा था। इससे जुड़े अहम किरदार शिथिल पड़ने लगे थे। संयुक्त किसान मोर्चे के विभिन्न धड़ों में दरार पड़ने लगी थी। इसलिए सिर्फ किसान आंदोलनकारियों के आगे सरकार झुकी हो ऐसा तो नहीं दिखता है। अक अनुमान यह भी है कि राष्ट्रिय सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता बढ़ रही थी। अब इसके पीछे के राजनीतिक कारणों की बात करें तो आगामी पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश चुनावों पर होने वाले व्यापक असर की बात समझ आती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई इलाके में यह मुद्दा हार जीत का अंतर पैदा करने वाला बन गया था। पंजाब में करतारपुर कारीडोर खोलने के बाद मोदी सरकार का कृषि कानून वापसी का फैसला किसानों के साथ साथ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी राहत देने वाला है। इस फैसले का स्वागत करने वालों में अमरिंदर सिंह सबसे आगे रहे हैं। भाजपा के साथ चुनावी तालमेल तो वह पहले ही घोषित कर चुके हैं। इसके बीच में कृषि कानून रोड़ा बन रहा था, अब वह भी नहीं है। मोदी के संदेश के बाद कैप्टन ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी की और कहा कि मैं इस मामले को एक साल से ज्यादा समय से उठा रहा हूँ। इसके लिए मैं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिला कि वह अन्नदाता की आवाज सुने। खुशी की बात है कि अन्नदाता की आवाज सुनी गयी और हमारी चिंताओं को समझा गया। अमरिंदर के हवाले से

कुत्तों और भक्तों का रिश्ता ऐसा ही कहलाता है

एक बात तो है कि कृषि कानून की वापसी पर भक्तों ने जिस तरह नरेंद्र मोदी का डट कर और खुल कर विरोध किया है, वह अदभुत है। साफ कह दिया है कि इस से अच्छा होता कि आप इस्तीफा दे कर झोला उठा कर चल दिए होते। संसद का इस तरह अपमान तो नहीं होता। और जाने क्या-क्या। पर एजेंडे पर चलने वाले विभिन्न कुत्ते कभी भी अपने-अपने हाईकमान, पोलित ब्यूरो या परिवार मुखिया के खिलाफ ऐसा बोलना और विरोध करना सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर हाईकमान, पोलित ब्यूरो, सपा आदि-इत्यादि परिवार का मुखिया कह दे कि तुम लोग अपने बाप के नहीं, हमारे ही पैदा किए हुए हो। तब भी इन के बीच कभी कोई जुबिश नहीं होगी। अनेक बार ऐसी घटनाएं घटी हैं। हाईकमान, पोलित ब्यूरो और परिवारों में। पर कभी किसी ने लब नहीं खोले। बोल कि लब आजाद हैं, गाने वालों ने लब सिले रखे। ले कर रहेंगे आजादी ! का डोल बजाने वालों ने गुलाम बने रहने में ही भलाई समझी। कुत्तागिरी असल में हाईकमान, पोलित ब्यूरो, परिवारवाद के पक्ष में इतना वफादार बना देती है, एजेंडा सीमेंट बन कर ऐसा जकड़ लेता है कि वह स्वामी भक्ति से इतर कुछ सोच नहीं पाते। एक बार अगर बोल गए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्ला, इंशा अल्ला ! तो फिर उसी पर कायम रहेंगे। डिगेंगे नहीं। सूत भर भी नहीं।

अगर किसी ने कुछ टोक दिया तो भक्त-भक्त कह कर भौंकने लगेंगे। दौड़ा लेंगे। भूल से अगर उन के इलाके में चले गए तो फिर तो आप की ऐसी खातिरदारी करेंगे कि पूछिए मत।



बिलो द बेल्ट भी। फिर भौंकने वाले कुत्तों से सभी बचते हैं। और मैं तो बहुत ही ज्यादा। यह बात कुत्ते भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भक्त उन से बहुत डरते हैं। इस लिए वह तर्क और तथ्य भूल कर भक्त-भक्त भौंकते हैं। दिलचस्प यह कि यह कुत्ते संगठित तौर पर और एक ही सुर में भौंकते हैं। बिलकूल मिले सुर मेरा तुम्हारा को फेल करते हुए। इन में एका और इन का माइंड सेट देखते बनता है। इन के विचार, स्टैंड और एजेंडा एक ही सांचे में ढले मिलते हैं। अगर एक ने गलती से भी कह दिया कि मेरे पृष्ठ भाग पर तो बहुत कस के लात पड़ी है ! तो सभी एक साथ बोलेंगे, मेरे भी, मेरे भी ! फिर पूछेंगे कि किसी भक्त ने मारी है क्या ? अगला बोलेगा हां ! तो फिर सभी एक सुर में भौंकेंगे, मुझे भी, मुझे भी ! क्या कीजिएगा कुत्तों और भक्तों का रिश्ता ऐसा ही कहलाता है। इस लिए भी कि कुत्तागिरी किसी को कुछ समझने कहां देती है भला। न कोई तथ्य, न कोई तर्क। सौ सवाल को पी कर जवाब में सिर्फ भक्त-भक्त भौंकना ही सिसवाती है। भक्तों और कुत्तों का अभी तक का रिश्ता यही है। आगे की राम जानें।

-दयानंद पांडेय
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं।)

कहा गया है कि अब वह केंद्र सरकार के साथ किसानों के विकास के लिए काम करेंगे। तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक पंजाब के हर आदमी की आँखों से आँसू न पोंछ दें।

अकाली की एनडीए में वापसी संभव -

अब अकाली दल के एनडीए में वापसी का मार्ग भी खुल गया है। कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के साथ खड़े होने की बात करते हुये

हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद सुखवीर बादल द्वारा एनडीए छोड़ने की घोषणा भी कर दी गयी। 24 साल के बाद यह दोनों दल एक दूसरे से अलग हुये थे। किसान आंदोलन के नाम पर विरोध करने वाला एक बड़ा समूह अकालियों का वोट बैंक था। हरियाणा में भी कुछ ऐसी मुश्किल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ आई थी। अपनी पार्टी के विधायकों के विरोध के चलते वह दवाब में आ गये थे लेकिन टालमटोल करके वह बच कर

निकल गये। पूरे आंदोलन के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल जाट बाहुल्य इलाकों में विरोध की हवा से पल्लवित पोषित होती दिखती रही। पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब में ही था। हरसिमरत कौर बादल ने सरकार छोड़ने के बाद जनता को यह समझाने की कोशिश की कि कैबिनेट में रहते तो वह विरोध नहीं कर पायी थीं किन्तु बाहर आकर वह किसानों के साथ है। पंचायत चुनावों में अकालियों ने भारी नुकसान भी उठाया जब सारी सीटें कांग्रेस के

खाते में चली गईं। अब प्रधानमंत्री का संदेश एक तरह से देखा जाये तो अकालियों को एक न्यौता है। पंजाब में वैसे भी दोनों दल एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और साथ आने पर मजबूत बन जाते हैं। अकालियों के पास कोई हिन्दू चेहरा नहीं है और भाजपा इसकी भरपाई कर देती है।

अब इसके बाद पंजाब में खस्ताहाल कांग्रेस के सामने अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गयी हैं। कृषि कानून पर प्रधानमंत्री का ऐलान

कृषि कानून वापसी के बाद क्या हो सुधार का अजेंडा

तीन कृषि कानून वापसी करके सरकार ने आंदोलनकारियों को शांत कर दिया है। चूंकि, सरकार चूंकि कृषि सुधार की दिशा में आगे बढ़ चुकी है इसलिए अब सरकार को ऐसे नियमों की तरफ बढ़ना चाहिए जिसके द्वारा किसान और सरकार दोनों की आय बढ़े। भारत में उत्पादित बेहतर फसल पहले भारतीय ही प्रयोग करें। इसके लिए हमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा चार विकासशील देशों केन्या, कैमरून, याना और पाकिस्तान पर किए गए शोध का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। कृषि कर पर आधारित इस अध्ययन में सामने आया है कि केन्या में पहले छह लाख रुपये वार्षिक आय पर आयकर देना पड़ता था। वर्ष 2018 में इसकी सीमा घटकर एक लाख कर दी गयी। कैमरून में आयकर अभी लागू नहीं है किन्तु सरकार इस तरफ बढ़ रही है। अब अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ कृषि पर आय कर की व्यवस्था 1997 से लागू है। पाकिस्तान के कृषि आय कर कानून के अनुसार कृषि पर कर वसूलने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। पाकिस्तानी पंजाब में 12.5 एकड़ भूमि से ऊपर कृषि भूमि होने पर आय कर देने का कानून है। भारत में कृषि पर अभी तक किसी तरह का कर नहीं है जिसका फायदा भारतीय पंजाब के किसान भी खूब उठाते हैं। भारत में कृषि



आय की बात करें तो निम्न और मध्य वर्गीय किसान तो ज्यादा फायदा नहीं ले पाते हैं किन्तु बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने इसकी आड़ में बड़े फायदे ले जाते हैं। उद्धारण के लिए 2013-14 में कावेरी सीइस नामक कंपनी ने कृषि से अर्जित 1186 करोड़ आय पर कोई टैक्स नहीं दिया। मोसेंटो इंडिया ने 94 करोड़ रुपये आय पर, मकलेओइ रसेल ने 73 करोड़ की आय पर कर न देने के नियम का फायदा उठाया।

इसके साथ मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने 62 करोड़ रुपये आय पर आयकर नहीं दिया। यदि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनेंस एंड पॉलिसी की बात माने तो कृषि आय कर से सरकार को वार्षिक 3 लाख करोड़ रुपये की आय हो सकती है। यह भारत के मौजूदा राजस्व का लगभग 10 प्रतिशत है। कृषि पर आय कर लगाने का तात्पर्य यह नहीं है कि इसके द्वारा किसानों पर कर लगाया जाये बल्कि इसका तात्पर्य है कि कृषि के नाम पर मोटी कमाई करने वाले कॉर्पोरेट घराने

सरकार को कर देते रहें। सरकार पर कर आने की स्थिति में यह धन नीचे के तबके के लोगों पर खर्च होगा जो समाजवाद के सिद्धांतों के अनुकूल ही साबित होगा। इसके साथ ही निर्यात होने वाले उत्पादों पर कर बढ़ाया जा सकता है जिससे राजस्व बढ़ सके और भारतीय लोग भी अच्छी उपज का सेवन कर सकें। इसको समझने के लिए बासमती चावल का उद्धारण लिया जा सकता है। भारत में इस समय बासमती चावल का मूल्य 60 रुपये प्रति किलो है। विश्व बाजार में इसका मूल्य 100 रुपये किलो होने के कारण ज्यादा चावल निर्यात हो जाता है।

यदि सरकार इस पर निर्यात टैक्स लगा दे तो सरकार को राजस्व भी मिलेगा और निर्यात एवं स्थानीय खपत में सामंजस्य भी आ जाएगा।

याना में ऐसा कोको के साथ किया जाता है जिससे चॉकलेट बनती है। वहाँ कोको पर अंतरराष्ट्रीय दाम और स्थानीय दाम के अंतर के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। इस कारण निर्यात भी प्रभावित नहीं होता है और सरकार की आय भी बढ़ती है। यह एक तरह का सामाजिक न्याय का सिद्धान्त है। ऐसा ही एक विषय कृषि सब्सिडी का है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार केन्या में कृषि सब्सिडी खत्म की जा रही है। भारत में कृषि सब्सिडी को खत्म करने का सीधा असर निम्न वर्ग के किसानों पर पड़ेगा। इसलिए सब्सिडी को छूना उचित

और प्रभावी कदम नहीं दिखता है। भारत में कुल आय का 2 प्रतिशत कृषि सब्सिडी में खर्च किया जाता है। इसमें उर्वरक, पानी और बिजली जैसी कृषि सुविधाएं शामिल हैं। अब यदि यह सब्सिडी बंद होती है तो जो गेहूँ 20 रुपये किलो की अनुमानित लागत से उत्पादित हो रहा है उसकी लागत 24 रुपये किलो हो जाएगी। ऐसे में देश के लगभग 100 करोड़ लोग इस मूल्य वृद्धि से सीधे प्रभावित होंगे। प्रतिशत में यह आंकड़ा 80 प्रतिशत बैठता है। भारत में इस तरह न पूरी तरह पूंजीवादी प्रक्रियाएँ लागू करना समझदारी है और न ही पूरी तरह समाजवाद की प्रक्रिया। इन दोनों के बीच के सामंजस्य के द्वारा ही कृषि सुधारों के माध्यम से किसानों का हित संभव है।

—अमित त्यागी
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं।)

गांधी नाम की आड़ में एनजीओ का बड़ा खेल कब तक ?

कृषि कानून, सीएए और ऐसे ही न जाने कितने ही देश विरोधी आंदोलनों में एनजीओ की भूमिका संदिग्ध दिखती है। एनजीओ (गैरसरकारी संस्थान) की जनसेवा पद्धति पर नजर तिरछी करते हुये एक बार फिर 9 नवम्बर 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फिफ्ट व्यक्त किया। आदेश दिया कि हर दान की राशि के व्यय करने का उद्देश्य बताना लाजिमी है। राजग सरकार द्वारा विदेशी वित्तीय चन्दे से संबंधी कानून के संशोधन नियमों को कुछ एनजीओ ने चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर अदालत में विचार हुआ। इस संदर्भ में मेरी एक निजी व्यथा का उल्लेख कर दूँ। जब भी मैं सेवाग्राम (वर्धा), जहाँ मेरा बचपन गुजरा, तीर्थ करने जाता हूँ तो पाता हूँ कि इस नगर में एनजीओ की संख्या ज्यादा बढ़ गयी है। इन्होंने धनराशि पाने हेतु अपना पता बापू द्वारा पुनीत की गयी इस भूमि का ही दिया है। देश दुनिया में गांधी जी (राष्ट्रपिता, न कि कांग्रेसी) का नाम खूब भुनाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि इतने साल बीते मगर किसी भी सरकार ने इसकी परख करने या दुरुपयोग रोकने का प्रयास नहीं किया? सरकारी अमला भी लूट का बटाईदार हो गया है। क्या वजह है कि अधिकतर एनजीओ के मालिक अवकाशप्राप्त



प्रशासकगण हैं। कई पुराने आईएएस अफसर अथवा उनके कुटुंबीजन! भारत के 44वें प्रधान न्यायाधीश तथा प्रथम सिख न्यायमूर्ति सरदार जगदीश सिंह केहर ने 2017 में राजग सरकार को आदेश दिया था कि एनजीओ द्वारा राजकोष से प्राप्त राशि को नियमित करने हेतु कानून बने। तब तक नरेन्द्र मोदी खुले तौर पर कह चुके थे कि एनजीओ उनकी सरकार को खवाड़ने में जुटे रहते हैं। नतीजन 718 एनजीओ पर अपना सालाना हिसाब नहीं जमा करने के लिये प्राथमिक रपट दर्ज हुयी थी। उच्चतम न्यायालय के अनुसार 2016 तक इकतीस लाख एनजीओ पंजीकृत थे। इनमें उड़ीसा तथा तेलंगाना से सूचना नहीं मिली थी। सीबीआई के वकील पी के डे पहले ही उच्चतम न्यायालय को बता चुके थे कि छोटे प्रदेश असम के 97 हजार एनजीओ ने अपना लेखाजोखा कभी दर्ज ही नहीं कराया था।

यहाँ तीस्ता सीतलवाड के एनजीओ सबरंग का खास जिक्र हो। उस पर मद्य के मद पर दान की राशि खर्च करने का उल्लेख था। एमनेस्टी ने अपना कारोबार भारत में बंद कर दिया क्योंकि उसके

करोड़ों रुपये का हिसाब त्रुटिपूर्ण पाया गया। गत वर्ष आशंका व्यक्त हुयी थी विदेशी वित्तीय मदद वाले संशोधन विधेयक से गरीब जन को हानि होगी। स्वराज अभियान के माननीय सदस्य प्रशांत भूषण ने इसकी आलोचना पर विरोध व्यक्त किया था। तब प्रधान न्यायाधीश तीर्थ सिंह ठाकुर ने सवाल किया था कि केवल जनहित याचिका हेतु ही एक पृथक विशेष एनजीओ संस्था क्यों बने? इन समस्त विदेशी मदद पर निर्भर एनजीओ पर एक धिनौना अभियोग भी लगा था कि वे विकास परियोजनाओं को अटकाने का प्रयास करते रहे। उदाहरणार्थ कुडुनाकुलम (तमिलनाडु) की परमाणु योजना, नर्मदा पर सरदार पटेल योजना आदि। कुछ एनजीओ तो पड़ोसी एशियाई राष्ट्रों में नागवार सरकारों का तख्ता पलटने में क्रियाशील रहे। मलयाली पादरी वार्डके पुन्नोस पर तो केनाडा की मदद से मतान्तरण को फैलाने का इलजाम था (हिन्दुस्तान टाइम्स, 26 मार्च 2016)। सुधार हेतु कई सुझाव भी आये थे कि एनजीओ की जांच लोकपाल के तहत कर दी जाये, क्योंकि शासकीय तहकीकात की प्रक्रिया को क्षीण करने में लिप्त नौकरशाह ओवरटाइम कर देंगे। मगर लोकपाल वाला अभी भी अमूर्त प्रस्ताव ही है।

हालांकि घातक हदसा यह हुआ है कि इन एनजीओ की बेजा हरकतों के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दो से तीन प्रतिशत हानि हर साल हो जाती है। यूं जब भी भारत में विदेशी दान पर प्रतिबंध की चर्चा होती है तो अमेरिका तथा अरब राष्ट्रों में विरोध का हड़कम्प मच जाता है। भारतीय एनजीओ को अमेरिका द्वारा योगदान सालाना तीन खरब रुपया है। फ्रांस का न्यूनतम रह डेढ अरब रुपये वर्ष 2013 में ही। अत- निदान और उपचार क्या हो? नरेन्द्र मोदी को खौफ रहता है कि "यह लोग (एनजीओ) षडयंत्र करते हैं कि मोदी को कैसे खत्म करें।" सुबह शाम मेरे खिलाफ तूफान चलता है। चन्द एनजीओ से हिसाब मांगा तो सब इक्टठ हो गये।" अर्थात यह तो श्रमिक संघर्षवाली बात हो गयी जैसे "आवाज दो हम एक है।" उससे भी बेहतर है - "हमारी मांगें (जांच बंद की) पूरी हों, चाहे जो मजबूरी हो।

-कै. विक्रम राव
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

वास्तव में पंजाब के संदर्भ में मास्टर स्ट्रोक बनकर उभरा है। पंजाब में भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। सवा साल के आंदोलन के बाद पंजाब भाजपा ने काफी नुकसान उठाया है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को गांवों में घुसना भारी पड़ने लगा था। अब पंजाब के सारे समीकरण बदल गये हैं। भाजपा की वापसी का रास्ता खुलने लगा है। 2012 में अकाली-भाजपा गठबंधन ने पंजाब की 117 सीटों में से 68 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। उस आमय अकाली दल को 56 सीटें मिली थीं और भाजपा ने सिर्फ 12 सीटें जीती थीं। 2017 में दोनों दलों को सिर्फ 18 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें अकाली को 15 एवं भाजपा के हिस्से में सिर्फ तीन सीट थीं। इस दौरान आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी। कैप्टन का इसलिए ज्यादा विरोध आम आदमी पार्टी से है। पंजाब में जितनी भाजपा और अकाली को एक दूसरे की जरूरत है उतनी ही कैप्टन को इस गठबंधन की। इस नए समीकरण के द्वारा कैप्टन की फिर से सत्ता वापसी की संभावना बढ़ती दिखने लगी है। चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद कांग्रेस अपने डेमेज कंट्रोल में लगी थी कि तभी सिद्धू के बयान आ गये हैं।

भावनाएँ आहत करते कांग्रेस के बयान बहादुर -

कांग्रेस की छवि को सिद्धू के बयान बार बार खराब कर देते हैं। सिद्धू ने अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना यार, अपना बड़ा भाई बताया है। एक सिक्ख नेता के द्वारा बार बार शत्रु देश के नेता के पक्ष में बयान देना सीमा पर निगरानी करने वाले सैनिकों का हौसला तोड़ने वाला होता है। एक तरफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी जम्मू कश्मीर

सिर्फ एक दल से क्यों एकाकार हो रहा है आरएसएस

‘एक ज्वलन्त सत्य यह है कि वर्तमान में भारत में हिन्दुओं का कोई सङ्गठन नहीं है। परन्तु अलग अलग प्रकार के हिन्दुओं के अलग अलग अनेक संगठन हैं। उनके मध्य समान सूत्र अधिकांश में कुछ है नहीं। हर संगठन चाहता है कि वह ही एकमात्र हिन्दू संगठन मान लिया जाए। यह नई जातियों की तरह है। पर जातियों को समाज की एक हाथरकी पता रहती थी और सर्वमान्य थी। संगठन केवल अपनी दलीय हाथरकी मानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समस्त समाज को संगठित रखने के प्रयोजन से बना था, पर आध्यात्मिक साधना के अभाव में वह



एक पार्टी से एकाकार होता जा रहा है। क्योंकि विद्या की साधना के अभाव में यूरोपीय विचार के ही कमजोर से अध्येता वहां भी हुए जो यूरोपीयों के ही बताए हिन्दुत्व के जानकार होते गए। फल स्वरूप हिन्दुत्व की बाइंडिंग फोर्स के मर्म से वे अनजान रह गए और वामपंथियों की की नकल मारने लगे। अतः असल से तो वह पीछे ही रह जाएंगे। विद्या और अध्यात्म के बिना हिन्दुत्व का मर्म

कैसे आत्मसात हो सकता है।

-रामेश्वर मिश्र 'पंकज'

में गैर मुस्लिमों की हत्या कर रहे हैं जिससे सिक्ख भी शामिल हैं वहीं दूसरी तरफ सिद्धू अपने बयानों से सैनिकों और मारे गये परिवारों को लगातार कष्ट देते रहते हैं। पंजाब में एक बड़ा वर्ग सेना में है। इसमें सिक्ख समुदाय के लोग भी बहुतायत में हैं। हर व्यक्ति का सिर्फ व्यक्तिगत चरित्र ही नहीं होता है बल्कि उसका एक राष्ट्रिय चरित्र भी होता है जिसमें वह अपनी राष्ट्र के रूप में सोच को प्रदर्शित करता है। सिद्धू राष्ट्रिय चरित्र के विषय में अपनी सोच के कारण मनोबल गिराते रहते हैं। जयपुर के राजा मानसिंह हालांकि एक कुशल योद्धा थे किन्तु उनकी निष्ठा एक विदेशी आक्रांता में होने के कारण उन्हें हिन्दू राज्य विनाश और मुगल शासन की स्थापना कराने वाले के रूप में ही देखा जाता है। सिद्धू अपनी वाक पटुता का उपयोग पाकिस्तान को घेरने में करने के स्थान पर उनके नेताओं से मित्रता दिखाने पर ज्यादा करते रहते हैं। कांग्रेस के लिए रही सही कसर मणि शंकर अय्यर जैसे के बयान कर देते हैं। उनका कहना है कि मुगलों ने धर्म के आधार पर कोई अत्याचार ही नहीं किया।

अब कोई मणिशंकर से यह पूछे कि तो फिर मंदिरों को किसने तोड़ा है ? ऐसा ही एक अन्य कांग्रेसी सलमान खुशीद के साथ है। वह हिन्दुत्व की तुलना इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से करते हैं। यानि कि पहले सिर्फ दिग्विजय सिंह ही भगवा आतंकवाद का जिम्मे करने वाले कांग्रेसी थे, अब इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि ध्यान से देखा जाये तो यह कांग्रेस के वह बुजुर्ग नेता हैं जो राहुल गांधी की टीम माने जाते हैं। अब यह लोग राहुल गांधी

को मजबूत करने के लिए यह बयान देते हैं या निपटाने के लिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भी सपा के अखिलेश यादव जिन्ना के नाम से पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। जिन्ना का नाम भारतीय मुसलमानों से जोड़ना भारतीय मुसलमानों की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। कुछ ऐसा ही किसान आंदोलन के दौरान हुआ जब खलिस्तान समर्थक इस आंदोलन की आड़ में अपना खेल रचने लगे। इसी कारण जनता के बीच इस आंदोलन की विश्वसनीयता भी कम हुयी और ऐसे बयान देने वालों की भी। कुल मिलकर देखा जाये तो कृषि कानून वापसी के बाद विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा रेत की तरह फिसल गया है। अब विपक्ष किसी भी बड़े राष्ट्रिय मुद्दे से विहीन लाचार दिख रहा है।

कानून बना चुके राज्य पसोपेश में

देश के कई राज्यों ने केंद्र के कृषि कानून के

अनुरूप कानून बना लिए थे। कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने पुराने कानूनों को काँट छंट कर नई शकल दे दी थी। अब जब इन्हे फिर से पुराने दायरे में लाने का प्रयास ये राज्य करेंगे तो वहाँ के विपक्षी दलों को एक मुद्दा मिल जाएगा। कुल मिलकर देखा जाये तो संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानूनों को तो वापस ले लिए जाएगा किन्तु राज्यों के लिए स्थितियाँ आसान नहीं होने वाली हैं। भाजपा शासित राज्यों जैसे उत्तराखंड और कर्नाटक ने केंद्र के कृषि कानूनों को ध्यान में रखते हुये उसी के अनुरूप अपने कृषि कानून बना लिए थे। कुछ राज्यों ने बिना कानून बदले इसे अपने ढंग से लागू कर लिया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात इनमें प्रमुख राज्य हैं। अब इन राज्यों को केंद्र की तर्ज पर अपने कानूनों में भी यू टर्न करना है। सार्वजनिक तौर पर तो राज्य इससे उपजी परेशानी को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं किन्तु व्यवहारिक तौर पर तो वह परेशानी



झेल ही रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मोदी के फैसले का उत्तराखंड के कृषि कानूनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा किन्तु उनके जवाब से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उत्तराखंड ऐसा क्या करेगा जिससे केंद्र के फैसले का उनके कानून पर असर नहीं होगा। उत्तराखंड के पास दो विकल्प नजर आते हैं। पहला, वह पुराने कानून को रद्द करके नया कानून बनाएगा। दूसरा, विधानसभा के सत्र में कानून में आवश्यक संशोधन करेगा। चूंकि, उत्तराखंड चुनाव की दहलीज पर है इसलिए दूसरा कार्य मुश्किल नजर आता है।

अंदाजा यह लग रहा है कि इस कानून को रद्द करके अगली सरकार के पाले में गेंद डाल दी जाएगी। भाजपा शासित एक अन्य राज्य कर्नाटक में चुनाव अभी दूर है तो उसने इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक उत्तर नहीं दिया है। कर्नाटक

के संसदीय कार्य मंत्री जे सी मधुस्वामी ने बिना लाग लपेट के स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री के निर्णय ने देश को चौंका दिया है। केंद्र ने इस बारे में हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया है। अब राज्य स्तर पर इससे सामंजस्य बैठाने में परेशानी तो होगी। हम केंद्र सरकार से इस बारे में बात करेंगे और फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि यदुरप्पा के मुख्यमंत्री रहते कृषि उत्पाद वितरण (विनियमन एवं विकास, संशोधन) विधेयक 2020 लागू किया गया था जो केंद्र के कृषि उपज व्यापार वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) नियम 2020 का अपना एक रूप था। यह कानून बनाया ही इसलिए गया था ताकि एपीएमसी कानून में जरूरी बदलाव किए जा सकें। अब तीनों कानूनों के रद्द होने के बाद कर्नाटक कैसे अपने इन कानूनों को

अमलीजामा पहना पाएगा। राज्यों के लिए इनमें संशोधन आसान नहीं होगा क्योंकि जब राज्य के कानून में दूसरी बार संशोधन हुआ था तब भी विपक्ष ने भारी विरोध किया था। अब जिन आशंकाओं के चलते केंद्र द्वारा अपने तीनों कृषि कानून रद्द किए गए हैं वैसे ही आरोपों और आशंकाओं को पहले कर्नाटक की सरकार सिरे से खारिज करती रही है। इस तरह की दुविधा कई राज्य सरकारों को हैं। भाजपा शासित कई राज्यों को अब काँट छंट करके पुराने कानूनों के अनुरूप अपने कानून को ढालने की बड़ी चुनौती है। इस दौरान कई वर्षों से शांत दिख रहा विपक्ष पूरी मुखरता के साथ सामने आएगा। यह विपक्ष के लिए मुखर होने का समय तो होगा किन्तु विपक्ष के पास पूरे देश में वर्तमान में किसी भी बड़े राष्ट्रिय मुद्दे का अभाव हो गया है।

कृषि कानून वापसी : मोदी की बाजीगिरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो किया था वह किसानों के लिए किया था !! अब जो कर रहा हूँ वह देश के लिए कर रहा हूँ. आखिर उन्हें क्यों वापस लेने पड़े कृषि कानून !? क्या चल रहा था मोदीजी के दिल में !? उनके इस संदेश में क्या रहस्य छिपा है कि जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ !?

पीएम मोदी ने गुरु नानक जयंती पर प्रकाश पर्व के मौके पर किसान कानून वापस लेने का ऐलान किया !! गुरु पर्व के दिन जब प्रधानमंत्री मोदीजी ने देश के नाम संदेश का ऐलान किया तो एक बार फिर अटकलों का बाजार गरम हो गया। किसी ने कहा कि पीएम करतारपुर साहिब पर बोलेंगे तो किसी ने कहा कि बच्चों के टीकाकरण पर बोलेंगे. लेकिन एक बार फिर राजनीतिक पंडित गलत साबित हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया और ये एक ऐसा ऐलान था, जो देश के अन्नदाता यानी किसानों को एक बार फिर सुखद संदेश दे गया। सूत्र बता रहे हैं कि देश हित में लाया गया कृषि कानून वापस लेने से पीएम मोदी निराश जरूर हुए हैं, क्योंकि वो पहले पीएम हैं, जिन्होंने



किसानों के हित में सुधार के काम को आगे बढ़ाया था. लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों का दावा है कि पीएम मोदी रुकने वाले नहीं हैं। वो अपनी सुधार की यात्रा जारी रखेंगे।

सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। किसानों के हित का

ध्यान रखने में पीएम का ना तो व्यक्तिगत हित आड़े आया और ना ही उनकी पार्टी बीजेपी का कोई हित उनका रास्ता रोक पाया। पीएम मोदी की सरकार ने एक कृषि कानून लाने का फैसला लिया था, जो आजादी के बाद अब तक कोई भी केंद्र सरकार नहीं कर पायी थी। किसानों को

हक देने के साथ साथ ये उनकी फसल को भी उचित कीमत भी दिलाना सुनिश्चित कर रहा था। लेकिन जिन पार्टियों ने संसद में इसका समर्थन किया था, वही कानून बनाने के बाद इसकी मुखालफत करने लगीं !! MSP को लेकर पंजाब के अमीर किसानों, जिन्हें आढ़ती कहते हैं ने ऐसा मोर्चा खोला कि किसान आंदोलन की आग दिल्ली तक आंदोलन पहुंची। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर, सिंगु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठ गए। सरकार ने कई दौर की बात की, लेकिन किसान अड़े रहे। पीएम मोदी ने अपने इस कृषि सुधार कानून के सपने को 2 साल के लिए टालने का ऐलान भी कर दिया, लेकिन गतिरोध बना रहा। मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन किसान नहीं माने।

आंदोलन का फायदा उठाने में जुट गई थीं राष्ट्र विरोधी ताकतें पंजाब में स्थितियां ऐसी बना दी गई कि देश विरोधी ताकतें उन्हें पैसा भी भेजने लगीं और उन्हें भड़काने का काम भी करने लगीं!! एजेंसी सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान समर्थक लोग इस भीड़ का हिस्सा हो गए और इनकी फंडिंग के तार भी विदेशों से जुड़ने लगे थे!! लाल किले पर हिंसा इस अलगाववादी मुहिम का ही हिस्सा थी। यहां तक ISI की देश को अंदर से खोखला करने की मुहिम भी शुरू हो गई थी। जाहिर था कि ये सीधे सच्चे किसान अलगाववादी तत्वों के हाथ में खेलने लगे थे। इससे समाज में टकराव और दरार दोनों नजर आने लगी थीं!! 1980 के दशक को याद करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर को युद्ध का मैदान बना दिया था। तब भी सिख समुदाय को नाराजगी थी, लेकिन उनके घावों पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की गई!! इसके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु नानक जयंती पर प्रकाश पर्व के मौके पर कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। वो भी ऐसे वक्त जब संसद के दोनों सदनों में मोदी सरकार बहुमत में हैं और कई राज्यों में बीजेपी की ही सरकारें हैं। फिर भी पीएम मोदी ने ये फैसला लिया, जब ये साफ हो गया कि सिर्फ मुट्ठी भर लोग इसके विरोध में हैं और वो कृषि कानून के फायदे नहीं देखना चाहते!! सियासी वजहों के तौर पर मोदी ने एक लोकतांत्रिक रास्ता चुना और एक कुशल राजनेता की तरह फैसला लेते हुए बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया!! यानि एक बात साफ

है कि देश की एकता और अखंडता के लिए पीएम मोदी कोई भी फैसला ले सकते हैं। पीएम मोदी ऐसी कोई भी बात आगे नहीं बढ़ने देंगे जो देश हित के आड़े आए। पिछले कुछ महीनों से पंजाब और हरियाणा में बीजेपी नेताओं को किसानों के विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। पंजाब में आलम ये था कि कई बीजेपी उम्मीदवार पार्षद के लिए अपना नामांकन तक दाखिल नहीं कर पाए थे।

हरियाणा से भी ऐसे ही टकराव की खबरें हर रोज आ रही थीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने स्वीप किया था, वहां किसान आंदोलन के चलते संदेश अच्छे नहीं आ रहे थे। भले ही ज्यादातर राज्यों के किसानों ने ये बिल अपना लिया था, लेकिन पंजाब, हरियाणा और यूपी में विधानसभा चुनाव पर शायद ये असर डाल सकता था। उधर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ समझौते का ऐलान भी कर दिया था। पुरानी सहयोगी अकाली दल भी किसान बिल से नाराज थी। इसलिए पीएम मोदी ने तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का सिख समुदाय से विशेष लगाव रहा है !! सिख समुदाय की भावनाओं को लेकर हमेशा खासे संवेदनशील रहे हैं। जब सिख समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मिलकर करतारपुर साहिब खोलने की मांग की तो पीएम ने फैसला लेने में देर नहीं लगायी। जब कृषि कानून की बारी आयी तो उन्होंने गुरु

नानक जयंती का दिन चुना। बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, नरेंद्र मोदी ने प्रभारी के तौर पर पंजाब और चंडीगढ़ में काम भी किया और लंबा समय भी बिताया। तब से ही सिख समुदाय से उनका करीबी रिश्ता रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने 2001 में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त कच्छ के कोट लखपत गुरुद्वारे का अपनी व्यक्तिगत पहल से पुनर्निर्माण कार्य था !! दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में गुरु गोविंद सिंह का 350वां प्रकाश पर्व पूरे जोश के साथ मनाया गया। कोरोना की बंदिशें होने के बावजूद 2021 में गुरु तेगबहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। पीएम मोदी अक्सर दिल्ली के गुरुद्वारे में बिना किसी सुरक्षा के चले जाते हैं और आम लोगों से खूब घुलते मिलते हैं। पिछले दिनों ही अफगानिस्तान से सिखों और उनके पवित्र ग्रंथ को बचा कर दिल्ली लाया गया है !! तय है कि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी सिख समुदाय की भावनाओं को आहत नहीं करते। शायद यही कारण है कि पीएम मोदी ने अपनी राजनैतिक कुशलता का परिचय देते हुए कृषि कानून वापस ले लिया और वो भी इस संदेश के साथ की जिन सुधारों की प्रक्रिया में वो लगे हैं, वो बदस्तूर जारी रहेंगी।

अवधेश प्रताप सिंह

शेर जब दो कदम पीठे खींचता है तो ...

वो यह काम डर कर नहीं करता है...बल्कि वाइल्ड लाईफ के विशेषज्ञ इसे शेर का शिकार



हताशा और अहम की राजनीति की भेंट चढ़े किसान और कृषि

भारत में सीएए हो या किसान आंदोलन दोनों ही लगातार दो लोकसभा चुनाव हर चुकी कांग्रेस पार्टी की हर की हताशा का परिणाम थे। पहले में मुसलमान हथियार बने तो दूसरे में जाट (सिख व हिंदू) किसान। सन 2019 के लोकसभा चुनावों से पूर्व भी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही आंदोलन खड़ा करने का असफल प्रयास किया था। तो असली मुद्दा है सोनिया गांधी की कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार को अस्थिर कर "येन केन प्रकरण" सत्ता में आना, चाहे इसके लिए देश को कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।

मोदी सरकार द्वारा रकारक तीनों कृषि कानूनों के वापस ले लेने के कारण कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष का पिछले ढाई सालों से चल रहा पहले सीएए और फिर किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता व विध्वंस का तांडव रकारक एक झटके में रुक सा गया है और टूटकर बिखर गया है और आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराकर सत्ता में आने का भी। किंतु वे मानेंगे नहीं और अगले कुछ महीनों में फिर किसी एक मुद्दे को विवादित बनाकर देश को फिर अराजकता की भट्टी में झोंकने की कोशिश करेंगे ही। उनका साथ देने के लिए कट्टरपंथी मुस्लिम, सिख व ईसाइयों के साथ आंदोलनजीवी एनजीओ गैंग व नक्सली नेताओं की फौज के साथ साथ चीन व पाक का समर्थन है ही। सच तो यह है कि यह अल्पसंख्यकवाद बनाम बहुसंख्यकवाद व सेक्यूलरपंथी बनाम सनातनपंथी की लड़ाई है जिसमें सनातनपंथी बहुसंख्यकों ने खासी बढ़त बना ली है और सेक्यूलरपंथी अल्पसंख्यक अराजक आंदोलन की आड़ में मात्र खीज ही निकाल पा रहे हैं। विपक्ष आज भी नेतृत्व विहीन

है और मुद्दे विहीन भी और उसको इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। उसको अंततः बहुसंख्यकों के हितों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा और "बांटो व राज करो" की नीति छोड़नी होगी अन्यथा उसके लिए केंद्र की सत्ता वापसी नामुमकिन ही रहेगी।

यह अप्रत्याशित उलटबाँसी मोदी सरकार की कार्यशैली पर भी एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। समय, काल, परिस्थितियों व परिणामों का गहराई से अध्ययन किए बिना किसी भी नीतिगत निर्णय को रकारक देश की जनता पर थोप देने की मोदी सरकार की कार्यशैली विवादों में है। वो चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सीएए हो या फिर लॉकडाउन मोदी रकारक कारिकाारी फैसले



देश की जनता पर थोप देते हैं और जनता हतप्रभ, हैरान व परेशान हो जाती है। अपनी लगातार जीत और लोकप्रियता की आड़ में उन्मादित होकर मनमाने कदम उठाने के कारण मोदी के प्रबल समर्थक भी उनसे विचलित होने लगे हैं। देश में कोरोना व लॉकडाउन के कारण आठी अराजकता, मौतों, मंहंगाई, बेरोजगारी व जीवन संघर्ष से आमजन जैसे ही परेशान है उस पर आंदोलन से उपजी अतिशय परेशनियाँ और नुकसान। सरकार के पास आश्वासनों व मुफ्त अनाज के अलावा इन समस्याओं का कोई समाधान न होने के कारण

जनता दुःखी व नाराज है। मोदी के अपने हिंदुत्ववादी समर्थक व अंधभक्त भी बार बार हिंदुत्व के मुद्दों से भटकने व सनातन संस्कृति व धर्म का मात्र चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करने से भी निराश हैं। वे नहीं समझ पा रहे कि क्यों भारत में अश्लीलता, ड्रग्स, पोर्न, समलैंगिकता, यौन उत्पीड़न, बाजारवाद व पश्चिम का अंधानुकरण बढ़ता जा रहा है और चाह कर भी योग, आयुर्वेद, गाय, गंगा, ग्राम, मंदिर व गायत्री का महत्व स्थापित नहीं हो पा रहा। मोदी -शाह के अलावा भाजपा के अन्य लोकप्रिय नेताओं को व एनडीए के सहयोगी दलों को एक एक कर दरकिनारा करना भी मोदी सरकार को भारी पड़ने लगा है। इस सभी का मिलाजुला प्रभाव ही है जिस कारण मोदी व भाजपा की लोकप्रियता बिखरने लगी और अपने आंतरिक सर्वे में इन सच्चाई को जान-समझ कर मोदी सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। उम्मीद है मोदी सरकार इस सबसे सबक लेगी।

बात कृषि सुधार की तो वर्तमान कृषि पद्धति से किसी का भला नहीं होने वाला। न किसान का, न जनता का और न ही सरकार का। "जैविक कृषि" और "शून्य लागत कृषि" ही वर्तमान कृषि, स्वास्थ्य व जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का इलाज है। जनता व विशेषज्ञ इस बात को बहुत पहले से जान समझ चुकी हैं, मोदी जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसको मान लिया है और अब बस विपक्ष व उनके पिछू तथ्यांकित किसान नेताओं को और मानना है जज्जिलहाल तो देश के किसान और कृषि दोनों का भविष्य अधर में लटक गया है तो बाकी जनता कौन सी सुखी रहने वाली है।

- संपादक

करने के लिये घात लगाना कहते हैं...अब शिकार किसका, कहाँ और कैसे होगा...यह आने वाला समय ही बतायेगा...लेकिन होगा जरूर, यह मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ...यहां एक बात और जानिये कि बाकी किसान नेताओं की तरह विपक्ष भी डर रहा होगा कि इस घोषणा के पीछे असल मे जाने क्या छुपा हुआ है...क्या होगा मोदी का अगला कदम...किसकी गर्दन नपेगी...बस इसी चक्कर में विपक्ष बड़ा संभलकर बोल रहा है...केवल अपनी पुरानी बातें याद

करा रहा है।

जहां तक मैं इस निर्णय के पीछे की सोच को समझ पा रहा हूँ...वो कदापि किसान कानून की कमियां तो नहीं ही है...इसके पीछे शायद विदेशी ताकतों द्वारा देशी चूजों के बल पर रची गई निश्चित ही खालिस्तानी चिलगोजों की मूवमेंट की किसी साजिश की सूचना, जानकारी जरूर होगी जिससे लालकिले..लखीमपुर और सिंधु बार्डर जैसी अखंडता, अस्मिता पर खतरा करने पैदा करने वाली हरकतों को रोका जा

सके...क्योंकि मोदी राज मे देश विरोधी ताकतें और फिरंगन की लीडरशिप वाला जेहादी, नक्सल, कांगी गिरोह बिल्कुल बौरा चुका है और वह किसी हद तक उतर कर सरकार को बल प्रयोग करने पर मजबूर करके देश और मोदी को एक तरफ दुनिया मे बदनाम करना चाहता हैं तो दूसरी तरफ जनता और मोदी के बीच बन चुके अपनेपन के रिश्ते को तोड़ देना चाहता है...सत्ता वापसी का यही एकमात्र विकल्प इस विषैली प्रजाति के बचा

है...फिलहाल यहां कहूंगा कि जो दिखता है वो सब होता नहीं है....जो नहीं दिखता है वही मोदी राज में होता है....तारीखें सबूत हैं इस बात की...याद करिये...!

बहरहाल आज के फैसले के बाद विपक्ष और भाड मीडिया मिल कर मोदी के पराजित होने का एक सोचे समझे एजेंडे का नैरेटिव फैला कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे....उसमे आप को फंसना नहीं चाहिये....रही बात मोदी की तो जान लीजिये मोदी को समझना किसी भी धुरंधर के लिये नामुमकिन है....मोदी को कोई समझ सकता है तो वो केवल मोदी है...इसलिये न तो तनाव में आईये...न हताश होइये...न ही विपक्ष के मायावी जाल में फंसिये...न ही आपा मत खोइये...न ही प्रतिक्रियात्मक उतावलापन दिखाइये....बल्कि अपने नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास हमेशा की तरह बनाये रखिये....आपका यही विश्वास और समर्थन ही तो वो हथियार है,जिससे आज तक आपने देश और धर्म विरोधियों की साजिशों को न केवल चकनाचूर किया है वरन् उनका शिकार भी किया है....भूलियेगा नहीं इस समय अस्तित्व का युद्ध चल रहा है...इसमे साम,दाम,दण्ड और भेद सबकुछ चल रहा है..!!

ऐसे और पोस्ट देखने के लिए और टीम मोदी सपोर्टर एसोसिएशन से जुड़ने के लिए क्लिक करें ??

मोदी, भारत और तीन किसान कानून

पूरी पोस्ट तथ्यात्मक तथ्यों पर आधारित है। इसका कोई ठोस परिणाम ढूँढने का प्रयास न करें।

जो मित्र मेरी सभी पोस्ट्स पढ़ते हैं उनको याद होगा कि अक्सर मैं अपनी पोस्ट में गृहयुद्ध, खालिस्तान, वामपंथी और पाक परस्त मुल्लों का



जिक्र करता रहता हूँ।

इसके साथ साथ कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पर कभी भी विश्वास न करने के बारे में भी अक्सर लिखता रहता हूँ। ये पांचों देश चीन और पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक प्लान, भारत को नेस्तनाबूद करने के लिए बना रहे थे। जिस देश व्यापी गृहयुद्ध का मंसूबा तैयार किया जा रहा था आज मोदी जी ने उस मनसूबे की लगभग आधी से भी ज्यादा हवा निकाल दी है।

आप सब को याद होगा कि कप्तान अमरिंदर सिंह अमित शाह से मीटिंग करने आये थे। बहुत से लोगों ने कयास लगाए थे कि अमरिंदर शायद खड़कू जॉइन करने वाले हैं। मैंने तब भी कहा था कि इनकी मीटिंग पंजाब की तेजी से बिगड़ती सिचुएशन के ऊपर की गई वार्ता के कारण है।

आपको क्या लगता है कि सोनिया को इतनी भी समझ नहीं थी कि अमरिंदर को हटाने के बाद पंजाब में कांग्रेस का क्या हाल होगा? पर सोनिया पर अंतरराष्ट्रीय दबाव था। कांग्रेस के रेस से बाहर होने के बाद केजरी जैसे खतरनाक लोमड़ी को जीताकर एक अनारचिस्ट सरकार का बॉर्डर स्टेट पंजाब पर कब्जा करवाने का इनका मंसूबा था। उनका पूरा प्लान था कि चीन, पाक, ड्रग्स, तालिबान और खालिस्तान परस्त किसी नेता को पंजाब की बागडोर सौंपी जाए। यह बात अमिन्दर सिंह अच्छी तरह से समझ चुके थे।

गुरपतवंत सिंह पुत्रू का सिख फॉर जुस्टिस, ड्रस्टू का बैंक डोर सपोर्ट, कनाडा और ब्रिटेन की सरकारों का समय समय पर उन्हें उकसाने की कार्यवाही, कुछ किसान संगठनों, चरमपंथी सिखों और कट्टर मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर भारत में गृहयुद्ध करवाने के मनसूबों को बेस्ट श्री ने पहचान लिया। बेस्ट श्री ने इनकी फंडिंग को रोकने का पूरा प्रयास किया और इसी के चलते NGO's को मिलने वाले पैसे को SBI के थ्रू रेगुलेट करने, बहुत सारे सरकारी बैंकों को चार बड़े बैंकों में मर्जर करने जैसे कदम उठाए गए पर सब बेकार साबित हुए। कारण था अंडरवर्ल्ड, कनाडा, ब्रिटिश और अमेरिका की सरकारों की

डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और इन सबसे ऊपर चीन की ओपन फंडिंग। इस सबके चलते इनको फंडिंग की कोई कमी न थी न होने वाली थी।

मोदी सरकार भारत में ही कई मोर्चों (गद्दारों) पर पहले से ही लड़ रही थी, वामपंथी विचारधारा, मुस्लिम कट्टरता, सिख चरमपंथ के साथ तो मोदी सरकार आसानी से लड़ भी लेती और हरा भी देती पर इन्होंने बड़ी चतुराई से इन सभी आंदोलनों को किसानों के साथ जोड़ दिया।

भारत एक कृषि प्रधान देश है और 75% जनता आज भी किसी न किसी रूप में किसानों से जुड़ी हुई है। भारतीय फौज में 70% जवान किसान परिवारों से हैं, देश की आद्योगिक इकाइयों की 90% कामगार जनता इन्हीं किसान परिवारों से आती है। लगभग एक वर्ष बाद अब सरकार के सामने छद्मरूपी किसान आंदोलन को कुचलने के लिए इनपर सख्ती बरतने के इलावा और कोई रास्ता नहीं था। पर किसानों से सख्ती का मतलब था देश की 75% जनता को नाराज करना क्योंकि किसानों की इस सीदी सादी कौम को इतनी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई गयी थी कि उनका सरकार की सीधी सादी किसान पक्ष में लिए गए फैसले पर विश्वास ही खत्म हो गया था। किसानों को लगता था कि उनकी फसल कोई नहीं खरीदेगा, MSP नहीं मिलेगी, उनकी जमीनों पर कब्जा हो जाएगा आदि आदि। मैंने खुद ऐसे कई बे सिर पैर के वीडियो देखे थे।

जब बेस्ट श्री ने इस सब तथ्यों की समीक्षा की तो पाया कि किसानों को नाराज नहीं किया जा सकता। अब मोदी जी ने आगे आकर सारा दोष अपने पर लेते हुए किसानों से माफी मांग कर सारे आंदोलन की हवा ही निकाल दी। इससे सबसे बड़ा नुकसान टिकैट को हुआ। उसको जो दिन रात फंडिंग मिल रही थी वो अब बन्द हो जाएगी। ह की तरह यह किसान आंदोलन भी अब फुस हो गया है।

पर किसानों से मांगी गई इस माफी को आपको क्या लगता है मोदी जी भूल जाएंगे। इसकी परिणीति देखने वाली होगी जो न जाने किस किस की यात्रा UP एलेक्शन के बाद जेल में जाकर खत्म होगी।

(नोट- यहां बेस्ट श्री से मतलब मोदी, अमित शाह और डोबाल से है।)



वेद प्रताप
वैदिक

ये पद्मश्री के सच्चे हकदार

इस बार 141 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। जिन्हें पद्मविभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री पुरस्कार मिलता है, उन्हें उनके मित्र और रिश्तेदार प्रायः बधाइयां भेजते हैं लेकिन मैं या तो चुप रहता हूँ या अपने कुछ अभिन्न मित्रों को सहानुभूति का संदेश भिजवाता हूँ। सहानुभूति इसलिए कि ऐसे पुरस्कार पाने के लिए कुछ लोगों को पता नहीं कि तनी उठक-बैठक करनी पड़ती है, अप्रिय नेताओं और अफसरों के यहां दरबार लगाना होता है और कई बार तो रिश्त भी देनी पड़ती है, हालांकि सभी पुरस्कृत लोग ऐसे नहीं होते। लेकिन इस बार कई ऐसे लोगों को यह सम्मान मिला है, जो न तो अपनी सिफारिश खुद कर सकते हैं और न ही किसी से करवा सकते हैं। उन्हें तो अपने काम से काम होता है। इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें न तो पढ़ना आता है और न ही लिखना। या तो उनके पास टेलिविजन सेट नहीं होता है और अगर होता भी है तो उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वे खबरें तक नहीं देखते। उन्हें हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक के नाम भी पता नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं होता कि कोई सरकारी सम्मान भी होता है या नहीं? उन्हें किसी पुरस्कार या तिरस्कार की परवाह नहीं होती। ऐसे ही लोग प्रेरणा-पुरुष होते हैं। इस बार भी ऐसे कई लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने जाने पर मेरी हार्दिक बधाई और उस सरकारी पुरस्कार-समिति के लिए भी सराहना। कौन हैं, ऐसे लोग? ये हैं- हरेकाला हजब्बा, जो कि खुद अशिक्षित हैं और फुटपाथ पर बैठकर संतरे बेचते थे। उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर

कर्नाटक के अपने गांव में पहली पाठशाला खोल दी। दूसरे हैं, अयोध्या के मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने 25 हजार से अधिक लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार किया। 1992 में रेल्वे पटरी पर उनके बेटे के क्षत-विक्षत शव ने उन्हें इस पुण्य-कार्य के लिए प्रेरित किया। तीसरे, लद्दाख के चुल्टिम चोनजोर इतने दमदार आदमी हैं कि करगिल क्षेत्र के एक गांव तक उन्होंने 38 किमी सड़क अकेले दम बनाकर खड़ी कर दी। चौथी, कर्नाटक की आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा ने अकेले ही 30 हजार से ज्यादा वृक्ष रोप दिए। पांचवें, राजस्थान के हिम्मताराम भामूजी भी इसी तरह के संकल्पशील पुरुष हैं। उन्होंने जोधपुर, बाड़मेड़, सीकर, जैसलमेर और नागौर आदि शहरों में हजारों पौधे लगाने का सफल अभियान चलाया है। छठी, महाराष्ट्र की आदिवासी महिला राहीबाई पोपरे भी देसी बीज खुद तैयार करती हैं, जिनकी फसल से उस इलाके के किसानों को बेहतर आमदनी हो रही है। उन्हें लोग 'बीजमाता' या सीड मदर कहते हैं। यदि इन लोगों के साथ उज्जैन के अंबोदिया गांव में 'सेवाधाम' चला रहे सुधीर गोयल का नाम भी जुड़ जाता तो पद्म पुरस्कारों की प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाते। इस सेवाधाम में साढ़े सात सौ अपंग, विकलांग, कोढ़ी, अंधे, बहरे, परित्यक्ता महिलाएं, पूर्व वेश्याएं, पूर्व-भिरवारी आदि निःशुल्क रहते हैं। इसे कोई सरकारी सहयता नहीं मिलती। ऐसे अनेक लोग भारत में अनाम सेवा कर रहे हैं। उन्हें खोज-खोजकर सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि देश में निःस्वार्थ सेवा की लहर फैल सके।

भाजपा - चुनाव की चुनौती

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक अब लगभग दो साल बाद हुई, जबकि उसे हर तीसरे महीने होनी चाहिए थी। उसे नहीं करने का बहाना यह बनाया गया कि कोरोना महामारी के दौरान उसके सैकड़ों सदस्य एक जगह कैसे इकट्ठे होते? एक जगह इकट्ठे होने के इस तर्क में कुछ दम नहीं है, क्योंकि जैसे अभी आडवाणीजी, जोशीजी और कई मुख्यमंत्रियों ने घर बैठे उस बैठक में भाग ले लिया, वैसे ही सारे सदस्य ले सकते थे। लेकिन अब आनन-फानन यह बैठक कुछ घंटों के लिए बुलाई गई, यह बताता है कि हाल ही में हुए उप-चुनावों ने भाजपा में चिंता पैदा कर दी है। यह कोई संयोग मात्र नहीं है कि नरेंद्र मोदी इतनी ठंड में गर्म कपड़े लादकर केंदरनाथ गए और वेटिकन में जाकर पोप से गल-मिलव्वल करते रहे। इन तीनों घटनाओं-कार्यकारिणी की बैठक, पोप से गल-मिलव्वल और केंदरनाथ की प्रचारपूर्ण यात्रा- का सीधा

संबंध पांच राज्यों के आगामी चुनावों से है। उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव अगले कुछ माह में ही होनेवाले हैं। पोप से भेंट गोवा और मणिपुर के ईसाई वोटों को फुसलाए बिना नहीं रहेगी और केंदरनाथ-यात्रा का असर उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के मतदाताओं पर पड़े बिना नहीं रहेगा। मोदी का यह कदम सामयिक और सार्थक है, क्योंकि राजनीति में वोट और नोट- ये ही दो बड़े सत्य हैं। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को खास तौर से दिखी बुलाकर असाधारण महत्व इसलिए दिया गया है कि यदि उ.प्र. हथ से रिवसक गया तो दिखी की कुर्सी भी हिलने लगेगी। खुद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यदि आप 2024 में मोदी को दिखी में तिबारा लाना चाहते हैं तो पहले योगी को लखनऊ में दुबारा लाकर दिखाइए। कार्यसमिति की इस बैठक में सभी वक्ताओं ने पिछले दो साल की सरकार की उपलब्धियों पर अपने-अपने ढंग से

प्रकाश डाला। किसी भी वक्ता ने यह नहीं बताया कि सरकार कहां-कहां चूक गई? सभी मुद्दों पर खुली बहस का सवाल तो उठता ही नहीं है। कांग्रेस हो या भाजपा, इन दोनों महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टियों में आंतरिक बहस खुलकर होती रहे तो भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। भाजपा सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी कोरोना महामारी के दौरान काफी लगन से काम किया, केंद्र सरकार ने कमजोरों की मदद के भी कई उपाय किए लेकिन विदेश नीति और अर्थ नीति के मामलों में कई गत्ते भी खाए। इन सभी मुद्दों पर दो-टूक बहस के बजाय भाजपा कार्यकारिणी ने अपना सारा जोर पांच राज्यों के आसन्न चुनावों पर लगा दिया। यह जरूरी है लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह था कि देश भर से आए प्रतिनिधि सरकार के कार्यों की स्पष्ट समीक्षा करें और भविष्य के लिए रचनात्मक सुझाव दें।



अजय सिंह 'एकल'

मौलिक भारत विचार श्रृंखला-4

कृषि में सुधार की चुनौतियाँ और अवसर

क्या

भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है? आज यह प्रश्न इसलिए पूछना पड़ रहा है की यदि यह सत्य है तो देश में कृषि और किसानों के हालात ऐसे क्यों हैं की कोई खेती करना नहीं चाहता। पिछले सत्तर सालो में हमारे नीतिनियंताओं की वजह से कृषि की हालात ऐसे हो गए हैं की खाना हर कोई चाहता है लेकिन उगाना कोई नहीं चाहता। दूसरे व्यवसायों की तरह जैसे डाक्टर अपने बच्चों को डाक्टर और वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है किन्तु किसान अपने बच्चों को किसानी करने के लिए उत्साहित नहीं करता। कारण ज्यादा मेहनत, कम मुनाफा, प्रकृति के ऊपर निर्भरताके कारण मुनाफे की अनिश्चितता तो स्वाभाविक है लेकिन खाद और पानी के व्यापारियों और बिचौलियों ने कुल मिलाकर इसे न करने योग्य व्यवसाय बना दिया है। किसान अपना खेत बेच कर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकता है परंतु किसानी करते हुए वह लाचार ही बना रहता है। इसलिए किसान के बेटे के लिए किसानी जीविका का आखिरी उपाय है। यहाँ तक की किसान अपनी जमीन गिरवी रख कर या बेच कर भी अपने बेटे को शहर में नौकरी करने के लिए भेजने में गर्व महसूस करता है और मानता है की सुरक्षित भविष्य का यही तरीका है।

देश में कृषि की इस खराब दशा के लिए जिम्मेदार कोई भी हो इसको ठीक करने की, तथा किसानों सम्मान जनक आर्थिकस्थित में पहुँचे इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाना हमारी जिम्मेदारी है। कर्ज माफी, एमएस पी जैसे उपाय सामयिक राहत तो दे सकते हैं किन्तु स्थाई समाधान के लिए हमें थोड़ा गहराई में जा कर योजना का क्रियान्वयन करना होगा। योजना बनानेमें यह आवश्यक है कि योजना जिन लोगों



अर्थात किसानों के लिए बनाई जा रही है उनका सक्रिय सहयोग हो, आलीशान दफ्तरों में बैठे आला अफसरों के द्वारा बनाई गई नीतियाँ जमीनी सच्चाई से कोसों दूर होती हैं इसलिए नीतियाँ बनाने में बड़े, मझोले और छोटे किसानों का सक्रिय सहयोग और सुझाव दोनों को शामिल करने से नीतियाँ ज्यादा प्रभावी बनेगी। ऐसा करते हुए दल हित के बजाय देश हित का ध्यान रखना पड़ेगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है की कोई एक नुस्खा पूरे देश में लागू नहीं हो सकता है इसे स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से संशोधित करना पड़ेगा। वैसे भी कृषि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है अतः राज्य सरकारें अपने प्रदेश की जरूरतों के हिसाब से योजना बनाए तथा इसमें समयसमय पर अनुभव और मांग के आवश्यक सुधार किया जा सके इसका भी प्रावधान हमें करना होगा। यानी नीतिओंमें लचीलापन होना चाहिए ताकि अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं काम को रोक न सके तथा शीघ्र बदलाव हो सके।

समस्या गंभीर है और बहुआयामी भी, इसलिए हल निकालना आसान नहीं लगता है। मोदी सरकार ने अपने प्रथम कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए थे, उसमें किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दुगुना करने का लक्ष्य भी था। वर्ष 2021 खतम होने को है लेकिन लक्ष्य प्राप्ति हो गई है ऐसा कहना कठिन है, हालाँकि किसानों की स्थिति में पहले से सुधार तो निश्चित ही हुआ है। इसके प्रमुख कारण हैं की केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक अकाउंट खुलवा कर सब्सिडी का पैसा बिना बिचौलियों के सीधे खाते में जाना, जोत की जमीन के मालिकाना हक के लिए कानून जिससे बैंक इत्यादि से ऋण मिल सके, स्वास्थ्यसेवाओं के लिए बीमा करवा कर इलाज की व्यवस्था हो सके इसका इंतजाम, यूरिया खाद में नीम की कोटिंग करवा देने से उसकी खुले बाजार में उपयोगिता खतम हुई तो किसानों को भी काला बाजारी से राहत जैसे उपाय अमल में या सके हैं। लेकिन आय दो गुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी कुछ

समय और लगेगा तब शायद बात बनेगी। मोदी सरकार के पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया यह कहना ठीक नहीं है तो भी उन्होंने जितना किया वह पर्याप्त नहीं था और व्यवस्था के बारे में तो पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का यह बयान की केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए 100 रुपयों में केवल 15 रुपये ही नीचे पहुँचते हैं यह समझने के लिए काफी है कि भ्रष्टाचार के कारण अधिकांश योजनाएँ आधी अधूरी ही लागू हुईं जिससे कृषि और कृषकों के हालात दिनों दिन खराब होते चले गए और देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है इस पर संशय होने लगा।

भारत में कृषि की इतनी दुर्दशा कैसे हुई यह एक बड़ा प्रश्न है। आजादी के बाद वर्ष 1950-1951 में भारत की अर्थ व्यवस्था में कृषि की भागीदारी 51.9% थी जो वर्ष 2012-13 आते-आते 13.7% तक पहुँच गई थी। वर्ष 2020-21 में यह आकड़ा बढ़ कर 20.19% पहुँच गया है। 1950-51 से 2020-21 बीते आठ दशकों में अर्थव्यवस्था में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक तकनीकों और देश की जनता में गुणात्मक परिवर्तन भी एक हद तक कृषि के अर्थव्यवस्था में 51.9% से 20.19% पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। तो भी किसानों की स्थिति देश में अच्छी नहीं है और लोग खुशी से इसे कर रहे हैं यह समझना सच्चाई से मुह मोड़ना है। इस सबके बीच यह जानना बेहद दिलचस्प है की भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा कृषि उत्पाद करने वाला देश है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान दुनिया के दूसरे देशों के औसत (6.4%) से करीब तीन गुणा है। कृषि क्षेत्र में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हालात खराब होने के बावजूद हम अपनी परंपराओं और तकनीकों से जुड़े रहने के कारण आज भी देश की जी डी पी अकेला सबसे ज्यादा योगदान करने वाला क्षेत्र है।

अब आते हैं अपने मूल प्रश्न पर। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है इसलिए इसकी खराब वर्तमान व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन किए जाएं की खेती में पर्याप्त मुनाफा हो ताकि कृषि कार्य में लगे लोग सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें, भविष्य में आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो ताकि आने वाली पीढ़ी भी कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। दूसरी बात जो महत्व की है वह यह की भौतिक सुख सुविधायें जो शहरों में रहने वाले आम लोगों को उपलब्ध हैं गाँव में ही मिल जाएं ताकि सुविधा भोगने के लिए गाँव छोड़ने की जरूरत न पड़े। स्कूल और अस्पताल की उचित व्यवस्था पास होने से भी शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सब कुछ होना मुश्किल नहीं केवल सही नियत से बनाई हुई नीतियों द्वारा यह संभव है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ बिन्दु दे रहा हूँ।

भारत में अधिकांश खेत छोटे और माध्यम आकार के हैं जिनका क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम होता है। कृषि कार्य की भूमि का औसत आकार केवल 1.08 हे. है जो 1970 के दशक में रहे 2.28 हे. से कम हुआ है। फिर भी हाल के दशकों में भारत में कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा है और भारत दुनिया भर में दूसरे विशालतमदेशों में शुमार हुआ है। परंपरागत कौशल के साथ आधुनिक पद्धतियों को अपनाने से छोटे खेतों को व्यापक रूप से विकास करने में मदद मिलती है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी लोगों से छोटे खेतों को भारत का गौरव बनाने का आग्रह किया है।

छोटे खेत कल्पना या प्रगतिशीलता की दृष्टि से बड़े खेतों से कम नहीं। वे ही हैं जिन्होंने हमें खाद्य सुरक्षा के अलावा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता दिखाई है। छोटे किसान तेजी से सीखने की क्षमता रखते हैं वे झटपट नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, और जरूरतों के अनुसार अपनी आदतें बदल लेते हैं। छोटे खेत अधिकतर पारिवारिक श्रम, कम बाहरी संसाधन जैसे बिजली, खाद और कीट नाशकों का इस्तेमाल करते हैं इसलिए छोटे खेत बड़े खेतों की तुलना में पर्यावरण पर कम प्रभाव छोड़ते हैं।

उदाहरण के लिए भले ही भारत कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है लेकिन विश्व भर में कीट नाशकों की खपत में 10वें नंबर पर है। छोटे खेत स्थाई विकास के लिए मेहनत कर रही दुनिया में बेहतरीन कार्य प्रणाली और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। छोटे खेत स्थान विशिष्ट के अनुसार फसलें उगाते हैं और आहार गत विविधता का पोषण करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं केरल में टोपियोका, कर्नाटक में रागी, बिहार में मखाना इत्यादि का उत्पादन स्थानीय आदतों के साथ समन्वय कर खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होता है। छोटे खेतों में स्त्री सक्षमीकरण सबसे श्रेष्ठ रूप में होता है। चूक पुरुष गैर कृषि क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहे हैं इसलिए अधिकांश छोटे खेतों का प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जा जाता है। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय कृषि में रोजगार का प्रतिशत 55% (2019) है जो की दुनिया के 25% औसत का दोगुना है। जैसे छोटे और मझोले उद्योग (SME) भारत के विकास के इंजन हैं उसी प्रकार से छोटे खेत कृषि क्षेत्र में वृद्धि को प्रेरित करते हैं। हमें छोटे खेतों को दृष्टि से देखने के बजाय इन्हें समृद्ध और शक्तिशाली बनाने की योजना पर काम करना चाहिए। नवीनतम एफएओ डाटा दिखाता है की दुनिया के छोटे खेत, वैसे तो सिर्फ 12% कृषि क्षेत्रफल में ही व्याप्त हैं लेकिन ये खाद्यान्न का 35% उत्पादित करते हैं। प्रयोग सिद्धिप्रमाण बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। उत्पादन क्षमता की दृष्टि से, दुनिया के छोटे खेतों ने मिश्रित खेती के कारण ही विशाल खेतों को पीछे छोड़ा है। छोटे खेत प्रति यूनिट क्षेत्रफल अधिक संपत्ति निर्मित करते हैं।

भारत की कृषि उसकी संस्कृति की तरह ही विविधतापूर्ण है। छोटे खेत और उनकी अंतर्निहित विविधता भारत में आधुनिक खेती का प्रतीक बन गई है। मिश्रित फसल-पशुपालन प्रणाली सबसे प्रभावी माडल है। सर्व समावेशी खेती के इस माडल ने कई गुण जैसे जैविक, परास्थितकीय, पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक फायदों को हासिल किया है। ये अत्यंत स्थायी माडल भी है। छोटे पैमाने पर की जाने वाली मिश्रित खेती हमारी शक्ति है। इसी से भारतीय कृषि लोचिक, विलक्षण और अनिश्चितताओं के प्रति कम संवेदनशील बन पाई है। छोटे खेतों की बढ़ती, भारत में खेती योग्य भूमि की हर इकाई अनेक कृषि उत्पाद



करती है। भूमि का उपयोग करने की तीव्रता और श्रम का उपयोग करने की तीव्रता परिवार द्वारा की जा रही छोटी खेती में अधिक है। परिणाम स्वरूप, भारत में प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति वर्ष सकल कृषि उत्पादन दुनिया में उच्चतम है। भारत कभी खाद्यान्न का आयातक हुआ करता था लेकिन आज चावल का विशालतम निर्यातक बन गया है। छोटे में ही विशालता है।

इन गावों को एक इकाई मान कर गाव के नव युवकों जिनकी कृषि कार्य में रुचि है स्थानीय संसाधनों को संग्रह कर के कृषि कार्य को करें। समय-समय पर उन्नत कृषि की बारीकियां समझने की ट्रेनिंग जिला स्तर पर हो। मौसम विभाग, कृषि वैज्ञानिक एवं विपणन संबंधी जानकारी तकनीक के माध्यम से सुलभ करवा कर छोटे किसानों को लाभ पहुंचाना संभव है। कृषि में पारंपरिक तरीके जैसे “शून्य लागत खेती” “जैविक खेती” इत्यादि का समावेश होने से खेती की लागत कम होगी और गुणवत्ता बढ़ेगी। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इन योजनाओं को बनाना एवं लागू करना गावों की दिशा और दशा बदल सकता है। केंद्र सरकार के पंचायती राज्य योजनाओं के दस्तावेजों में इसकी विस्तृत चर्चा हुई है। असल में हमारी शिक्षा ने उन्नति के जो तरीके सिखाए हैं उसमें पहला यही है की हम अपनी परम्पराओं से दूर जाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन समय जो सबसे बड़ा शिक्षक है, ने दिखा दिया है की भारत की सभ्यता केवल पुरानी ही नहीं है बल्कि अत्याधुनिक सोच जहां तक जा सकती है उसका भी समावेश हमारी परम्पराओं में है। इसलिए परम्पराओं की उपेक्षा करने के बजाय इसे आवश्यकता की कसौटी पर कसना और समय के साथ आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू

करना व्यावहारिक और बुद्धिमानी होगा। उदाहरण के लिए पिछले दो वर्षों के कोरोना काल ने यह सीख दी है की हाथ मिलने की आधुनिक परंपरा के मुकाबले हाथ जोड़ कर नमस्ते करना सुरक्षित और सभ्य परंपरा है। इस परंपरा की सराहना और पालन अब यूरोप और अमेरिका के अति विकसित देश भी कर रहे हैं।

इसी प्रकार हम सबको पता है की पिछले 70-80 वर्षों में रासायनिक खेती ने जमीन और मनुष्य दोनों के स्वास्थ्य को खराब किया है अतः जैविक खेती अर्थात रासायनिक खाद के स्थान पर गाय के गोबर का इस्तेमाल खेती की उपज बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक है। पिछले कुछ वर्षों से यह प्रयोग देश भर में हो रहे हैं। मशहूर कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकर एवं कई अन्य लोगों ने उन्नत कृषि की जिन विधियों को बताया है और प्रयोग किए हैं उनके अच्छे परिणाम आए हैं। केवल आधुनिकता के नाम पर अपनी जाँची परखी परम्पराओं को छोड़ना उचित नहीं है।

छोटे कृषकों के गौरव को निर्माण करने के लिए सामूहिक प्रयास सरकार और निजी स्तरों पर किए जाने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है की छोटी खेती के उजले पहलुओं पर चर्चा हो और करनेवालों को आत्मगौरव महसूस हो, परंपरागत रूप से हमारे मन को इस तरह ढाल दिया गया है की लोग छोटे किसानों को नीची नजर से देखते हैं यह नजरिया बदलने की जरूरत है।

मोदी सरकार ने किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। इसको कैसे किया जाए इसका सुझाव देने के लिए एक समिति अशोक दलवाई की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इस कमेटी ने जो सुझाव दिए

हैं उसमें निम्न प्रमुख हैं

1. छोटे किसानों की उत्पादकता को बढ़ाना
2. गाँव में पशु धन बढ़ाना
3. उत्पादन की लागत को कम करना
4. एक साथ कई फसलों का उत्पादन
5. गाव में कृषि के साथ ही अन्य सहायक व्यवसायों की स्थापना
6. परंपरागत अनाज के साथ ही सब्जी और अन्य महंगे कृषि उत्पादों का उत्पादन
7. गाव के उद्योगों में बाहर से निवेश को आकर्षित करने की योजनाओं पर कार्य
8. अनाज और सब्जियों के लिए नई भंडारण क्षमता का विकास
9. गाव को पर्यटन से जोड़ने की पहल
10. उत्पादों के विपणन के लिए ई चौपाल जैसी आधुनिक तकनीक को अपनाना
11. इंजीनियरिंग छात्रों को खेती संबंधी उद्यमों में प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना
12. जल कृषि (हाइड्रोपॉनिक्स) तकनीक से उत्पादों को बढ़ावा देना
13. स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण की व्यवस्था
14. सिंचित भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना

उपरोक्त सुझावों को अमल में लाने के लिए केंद्र सरकार ने तीन कृषि बिल पास किए थे, तथा कृषि क्षेत्र में बड़े नीति परिवर्तन की घोषणा की थी, प्रचार माध्यमों से यह भी प्रचारित करवाया गया की अब कृषि क्षेत्र में सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन कृषि से संबंधित संगठनों से ठीक समन्वय न हो पाने के चलते लगभग एक वर्ष से आंदोलित किसानों को शांत करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी को कृषि बिलों को वापस लिए जाने की घोषणा करनी पड़ी और क्षमा याचना भी। हाँलाकी कुछ लोगों ने इसे पाँच प्रदेशों के आगामी चुनावों को देखते हुए मोदी की राजनीतिक चाल तक कह दिया है, बात कुछ भी हो लेकिन बहु प्रतीक्षित सुधारों की नीतियाँ लागू न हो पाने से कृषि सुधारों में विलंब तो हो ही गया है। आशा की जानी चाहिए की सरकार और किसान संगठनों को अपनी अपनी गलती का एहसास जल्दी ही होगा और कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए दोनों पक्ष पूरी ईमानदारी से सहयोग कर ऐसी नीतियों का निर्माण करेंगे जिससे आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हमारा देश पुनः दुनिया के अन्न निर्यातक देशों में शामिल हो सकेगा।




तीन कृषि कानून निरस्त होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आजादी के पिछतर साल बाद भी भारत को कृषि प्रधान तो कहा गया किन्तु किसान का हाल बदतर रहा। मूलभूत अधिकारों से दूर रहने के कारण किसान वर्ग का ध्यान कृषि क्षेत्र से हटा। किसान आत्महत्याएँ करने लगे। रसायनों ने जल स्तर नीचे कर दिया। औद्योगीकरण ने ग्लोबल वार्मिंग कर दी तो वर्षा चक्र अनियमित हो गया। रसायनों के इस्तेमाल के कारण भारत का स्वास्थ्य बिगड़ गया। कुल मिलाकर जैसे ही हमने प्राकृतिक साधनों को छोड़ा, प्रकृति ने हमारा साथ छोड़ दिया। प्रधानमंत्री द्वारा जीरो बजट कृषि को प्रोत्साहित करने की बात की गयी है। इस कृषि के पूरे तानेबाने के केंद्र गाय का वैज्ञानिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष समझना महत्वपूर्ण है।

तीन कृषि कानून वापस

रसायन मुक्त कृषि की ओर कितना बढ़ेंगे हम ?

● अमित त्यागी


भा रत में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुयी थी उस समय रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग के द्वारा उत्पादन बढ़ाना समय की मांग थी। भारत में भुखमरी की समस्या को दूर करने में हरित क्रांति का योगदान भी रहा। कुछ समय के बाद इस बात का आभास होने लगा कि जिन रसायनों को हम लाभकारी मान रहे हैं वह तो जमीन की उर्वरा शक्ति को बाँझ बना रहे हैं। इसके बाद कृषि का मशीनीकरण प्रारम्भ हुआ। बैल से खेत जोतने के स्थान पर ट्रैक्टर से खेतों की जुताई प्रारम्भ हो गयी। लोगों ने बैल रखने बंद कर दिये। बैल कम होने का प्रभाव गायों के पालन पर पड़ा। दुग्ध उत्पादन में गाय का स्थान भैंस ने ले लिया। यदि इतिहास को देखा जाये तो गाय, गंगा और गाँव भारतीय सभ्यता का आधार रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में गौ आधारित पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। किसानों के पास कुल कृषि भूमि की 30 प्रतिशत है। इसमें 70 प्रतिशत कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं जिनके पास कुल पशुधन का 80 प्रतिशत भाग मौजूद है। यही कारण है कि कृषि क्षेत्र में जहाँ हम मात्र 1-2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर रहे हैं वहीं पशुपालन से 4-5 प्रतिशत। इसका अर्थ साफ है कि भारत को कृषि प्रधान देश कह कर संबोधित तो किया गया वास्तव में



India ranks 1st in number of organic farmers & 9th in terms of area under organic farming



40,000 clusters are being assisted under Paramparagat Krishi Vikas Yojana covering an area of about 7 lakh ha



Production includes flax seeds, sesame, soybean, tea, medicinal plants, rice & pulses

भारत पशुपालन प्रधान देश रहा है। पशुपालन में गौवंश का बराबर का योगदान रहा। भारत को पशुपालन और कृषि से दूर करके औद्योगीकरण के रास्ते पर लाने की अन्तराष्ट्रिय साजिश ने इसको हिन्दू और मुसलमान की लड़ाई बना दिया। पहले यह काम अंग्रेजों ने किया, बाद में रासायनिक खाद बेचने वालों ने। इन सबके बीच बीफ का निर्यात करने वालों की चाँदी हो गयी।

निर्यातकों ने अपने नाम मुस्लिम नामों पर रखे ताकि हिन्दू समाज दिग्भ्रमित बना रहे। गौवंश का राजनीतिकरण न सिर्फ हिन्दू और मुसलमानों में विवाद पैदा करने की अन्तराष्ट्रिय साजिश है बल्कि भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को चौपट करना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप के देशों में शहरी जनसंख्या अब गाँव का रुख कर रही है।

जैविक एवं रासायनिक खेती प्राकृतिक संसाधनों के लिये खतरा - सुभाष पालेकर

प्राकृतिक असंतुलन इस समय वैश्विक समस्या है। कोरोना काल के बाद मानव स्वास्थ्य एक बड़ा विषय बनकर उभरा है। इन सबके बीच कृषि कानून वापसी के समय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जीरो बजट एवं रसायन मुक्त खेती की बात की। जीरो बजट का नाम आते ही पद्मश्री सुभाष पालेकर का नाम सामने आता है। अमरावती, महाराष्ट्र निवासी शोध कृषक सुभाष पालेकर भारत में शून्य लागत कृषि के जनक हैं। कृषि की बढ़ती लागत और आत्महत्या करते किसानों के बीच में किसी किसान को पद्मश्री मिलना देश में कृषि के नये युग का आगाज माना गया था किन्तु तब जीरो बजट पर ज्यादा कार्य होते नहीं दिखे। सहज प्रवृत्ति एवं अत्यंत सरल व्यक्ति त्व के धनी पालेकर जी पूरे देश में घूम घूम कर जीरो बजट पर कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं। सीधे किसानों से संवाद करते हैं। कृषि की पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं। अमूमन चार से पाँच दिन चलने वाली इन कार्यशालाओं में उनका उद्बोधन जादुई होता है। मौलिक भारत काफी समय से जीरो बजट खेती को प्रोत्साहित करता रहा है। ऐसी ही एक कार्यशाला के दौरान मौलिक भारत के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एवं डाइलॉग इंडिया के विशिष्ट संपादक अमित त्यागी ने सुभाष पालेकर से वार्ता की और उनकी कार्यशाला को समझा और उनका साक्षात्कार लिया।

यह शून्य लागत खेती क्या है ?

कृषि में आजकल सबसे ज्यादा लागत आती है फर्टिलाइजर एवं कीटनाशकों पर किये जाने वाले खर्च पर। शून्य लागत कृषि पद्धति में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है इसलिए इस पर खर्च नहीं होता है। पानी की खपत भी कम हो जाती है। प्राकृतिक तरीके से खेती होने के कारण लागत शून्य हो जाती है। देशी गाय का गोबर एवं गौमूत्र इस खेती के लिये प्रमुख आवश्यकताएँ हैं।

शून्य लागत कृषि में गाय की क्या उपयोगिता है ?

इस कृषि में गाय की नहीं देशी गाय की उपयोगिता है। देशी गाय के एक ग्राम गोबर में असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जीव फसल के लिये आवश्यक 16 तत्वों की पूर्ति करते हैं। इस विधि में खास बात यह है कि फसलों को बाहर से भोजन देने के स्थान पर भोजन का निर्माण करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इस तरह इस प्रक्रिया के द्वारा 90% पानी एवं खाद की बचत हो जाती है।

आप जैविक एवं रासायनिक खेती के विरोधी हैं ? इसके पीछे क्या वजह है ?

जैविक एवं रासायनिक खेती के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के लिये खतरा है। इनमें लागत भी



ज्यादा आती है और इनके द्वारा जहरीले पदार्थ का रिसाव होता है। यह दो तरह से नुकसान करता है। एक तो यह हमारे शरीर को प्रभावित करता है एवं दूसरा, इसके प्रयोग से जमीन धीरे धीरे बंजर होती चली जाती है।

शून्य लागत कृषि को जन आंदोलन बनाने का फैसला आपने कैसे किया ?

मैंने 1988 से 1995 के समयकाल में शून्य लागत कृषि पर लगातार प्रयोग किये। इसके

परिणाम आश्चर्यजनक एवं विलक्षण आये। इसके बाद अपने अनुभवों को मैंने अन्य प्रान्तों के किसानों के साथ साझा किया। इस तरह मैंने इसे जन आंदोलन बनाने का निर्णय किया।

तो अब तक लगभग कितने किसान इस जन आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं ?

यह आंदोलन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुका है। यदि भारत की ही बात करें तो लगभग 40 लाख किसान इस



शून्य लागत कृषि पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं।

इस आंदोलन में सरकार से आपको कितना सहयोग मिला है ?

यह सरकारी आंदोलन नहीं है। यह पूर्णतः एक जन आंदोलन है। जनता की भागीदारी है इसमें। जहाँ तक सरकार की बात है तो पिछले सालों में सरकार से कोई विशेष सहयोग नहीं मिला है।

आप इस आंदोलन के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं ?

मैं भारत के कोने कोने में जाता हूँ। लोगों से मिलता हूँ। उनसे बात करता हूँ। कार्यशालाएँ आयोजित करता हूँ। इसके माध्यम से मैं स्थानीय कृषकों को पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताता हूँ। अब तक मैंने कितने जिलों एवं राज्यों में मैंने सम्बोधन किये हैं मुझे याद नहीं है। देश के बाहर भी मैंने अपनी कार्यशालाएँ की हैं।

विदेशों में कहाँ कहाँ आपका सम्बोधन हुआ है ?

इस तकनीक को अमेरिका, अफ्रीका समेत लगभग आधा दर्जन देशों में अपनाया जा चुका है। वहाँ के लोग इस तरीके से आने वाले परिणामों से आश्चर्यचकित एवं उत्साहित हैं। विदेश के लोगों ने भी इस तकनीक को हाथों हाथ लिया है और इस तकनीक को अपनी "फार्मिंग" का हिस्सा बनाया है।

भारत में इसका उल्टा हो रहा है। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म "मेर्कजी" की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2025 के बीच के दशक में विकसित देशों के 18% बड़े शहरों में आबादी प्रतिवर्ष 0.5% की दर से कम होने जा रही है। पूरी दुनिया में 8% शहरों में प्रतिवर्ष 1-1.5% शहरी जनसंख्या कम होने का रुझान होना संभावित है। भारत की ज्यादातर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी किन्तु कृषि व्यवस्था चौपट होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या का पलायन शहरों की तरफ हुआ। शहरीकरण में गौवंश एवं पशुपालन कम हो गया। भारत में गाँव से शहर की तरफ पलायन निरंतर बढ़ते क्रम में दिखता है। यदि पिछले 70 सालों की जनसंख्या औसत की तुलना करें तो 1951 में शहरों में रहने वाली जनसंख्या 17.3% थी। 2011 में यह औसत 31.16% तक पहुँच गया। यह हमारी नीतियों, उनके अनुपालन में कोताही एवं अधिकारों के जमीनी स्तर पर न पहुँचने का दुष्परिणाम है कि पिछले सात दशक में ग्रामीण जनता का शहरों की तरफ आकर्षण बढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन का यह औसत अब लगभग दुगुना होने की कगार पर है। 1932 के बाद जब भारत में पहली बार सामाजिक, आर्थिक जनगणना के आंकड़े आये तब भारत की कुल आबादी की 71 प्रतिशत जनता जो गाँव में निवास करती है, उसकी दयनीय स्थिति सामने आई। वेतन आयोग की सिफारिशों के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की आय जिस अनुपात में बढ़ी उसी अनुपात में कृषि क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों की आय नहीं बढ़ी। देश की क्रय शक्ति बढ़ी तो केवल शहरी क्षेत्र में। वहाँ विकास हो गया। 45 सालों के तुलनात्मक अध्ययन से यह आसानी से समझ आता है।

1970 में गेहूँ की सरकारी खरीद की कीमत 76 रुपये प्रति क्वॉटल थी जो 2015 में बढ़कर 1450 रुपये प्रति

क्वॉटल हो गयी। मोटे तौर पर कीमत में 19 गुना की बढ़ोतरी हुयी। इसकी तुलना अगर कर्मचारियों के वेतनमान से करें तो सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में 110-120 गुना, शिक्षकों के वेतनमान में 300 गुना, डिग्री कॉलेज शिक्षकों के वेतन में 150 गुना तक वृद्धि हुयी है। कॉर्पोरेट के वेतन 1000 गुना तक बढ़े हैं। इस दौरान खर्चे उसी अनुपात में बढ़े जिस अनुपात में वेतन बढ़े। 1970 से आज की तुलना में स्कूल और चिकित्सा सेवाओं में होने वाले खर्चे 200 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। अब अंतर साफ है कि किसान की कमाई तो 19 गुना हुयी और उसके द्वारा किए जाने वाले खर्चे 200 गुना तक बढ़ गए। किसान धीरे धीरे गरीब होता चला गया। छोटे किसान या तो कर्जदार हो गए या उन्होंने जमीन बेचनी शुरू कर दी। जो किसान बाद में कर्ज नहीं चुका पाये उन्होंने आत्महत्या कर ली। सरकारी आंकड़े भी लाखों किसानों की आत्महत्या की बात करते हैं।

यह सार्वभौमिकरण का भारतीय पक्ष है। इसमें एक बड़ा बाजार एवं रोजगार की संभावनाएं मौजूद हैं। खास बात यह है कि यह रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगे और शहरीकरण की समस्या दूर होगी। हम हिन्दुत्व जीवन शैली के स्वर्णिम काल वैदिक काल के करीब होंगे। वैदिक काल में गाँवों की संख्या। व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी।

आज भी बच्चों को विशेष तौर पर गाय का दूध पिलाने की सलाह दी जाती है। एक ओर भैंस का दूध जहाँ सुस्ती लाता है, वहीं गाय का दूध बच्चों में चंचलता बनाए रखता है। गाय का बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने के तुरंत बाद उछल-कूद करता है। गाय के घी और गोमूत्र के द्वारा आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं। गोबर द्वारा फसलों के लिए उत्तम खाद तैयार होती है। तो फिर जीरो बजट कृषि के नाम पर ही सही, गौमाता का सिर्फ संरक्षण क्यों, संवर्धन क्यों नहीं ?



चुनाव और हिन्दुत्व

किसी के लिए जरूरी, किसी के लिए मजबूरी

चुनावों में हिन्दुत्व का विषय इस समय सभी दलों को लुभा रहा है। एक ओर पंजाब के मुख्यमंत्री हवन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ केजरीवाल अयोध्या के लिए ट्रेन चलवा रहे हैं। यदि पंजाब में सारे दल हिन्दू को वोट बैंक मान कर लुभा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव संतों के सान्ध्य में जाते दिखते हैं। प्रियंका गांधी मंदिरों में दिखवाई देती हैं। केजरीवाल अयोध्या जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी अयोध्या का दौरा करते हैं। चूंकि, उत्तर प्रदेश राष्ट्रिय विमर्श की दिशा तय करता है इसलिए अयोध्या सभी के लिए केंद्र बिन्दु बन गया है। अब चुनावी जीत के लिए हिन्दुत्व का विषय किसी के लिए जरूरी है तो किसी के लिए मजबूरी है। कोई हिन्दू को एकजुट करके चुनाव जीतना चाहता है तो कोई स्वयं को हिन्दू दिखाकर सहानुभूति और विरोधी वोटों को अपनी तरफ करना चाहता है। अभी तक किसान आंदोलन विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा था किन्तु अब वह भी नहीं है। ऐसे में पंजाब में सिख जाट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट थोड़े नर्म हुये हैं। अमित शाह द्वारा स्वयं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभालना दिखाता है कि चुनावी समीकरण में भाजपा फंसी हुयी है। पूर्वांचल में भाजपा के कई सहयोगी भी अब सपा के साथ हैं। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी बनाम अखिलेश हो गया है। एक ओर छोटे दलों के साथ गठबंधन करके सपा स्वयं को लगातार मजबूत कर रही है तो भाजपा किसान आंदोलन और महंगाई के डेमेज कंट्रोल की कोशिश में है। कांग्रेस 2022 में अपना कैडर तैयार करके 2024 की तैयारी में है तो बसपा सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराती दिखती है। आप और ओवैसि अभी 'बी टीम' ज्यादा दिख रहे हैं। भाजपा और सपा के तुलनात्मक अध्ययन में कानून व्यवस्था के विषय का अंतर ही मूलभूत अंतर बनता दिख रहा है।

● अमित त्यागी

उ

त्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करती है। उत्तर प्रदेश की घटनाएँ इसलिए स्वतः ही

राष्ट्रिय विमर्श का विषय बन जाया करती हैं। हाथरस की घटना के समय कानून व्यवस्था का विषय अन्तराष्ट्रिय विषय बन गया था। कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ के द्वारा कुशलता से सब संभालना भी अन्तराष्ट्रिय चर्चा का विषय

बना। अभी हाल ही में अयोध्या की दीपावली लोगों के मन मस्तिष्क पर अंकित हो गयी है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से ही अयोध्या में दीवाली सनातन चेतना को जागृत करने वाली बन गयी थी किन्तु राम मंदिर के

यूपी 2022 के बनते समीकरण

आबादी के दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव-2022 के लिए सभी राजनितिक दल मैदान में आ चुके हैं। लोकसभा की 80 सीट देने वाला प्रदेश का चुनावी परिणाम यूपी के साथ राष्ट्रपति और 2024 के लोकसभा के चुनाव का भविष्य भी तय करेगा। सटीक शब्दों में कहें तो यूपी चुनाव का परिणाम देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। वैसे तो यूपी विधानसभा चुनाव सभी दलों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा पर जैसे क्लास के टॉपर पर परीक्षा पास करने के साथ शीर्ष पर रहने का अतिरिक्त दबाव भी होता है ठीक उसी प्रकार सत्तारूढ़ पार्टी पर पुनः सत्ता में लौटने का अतिरिक्त दबाव होगा, जो उसके पांच वर्षों में किए गए कार्य तय करेंगे।

यूपी के सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी द्वारा हिंदू आस्था के प्रतीक धर्म स्थल अयोध्या राम मंदिर निर्माण (भले ही राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा परंतु वास्तव में इस फैसले में बीजेपी पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान है) के साथ-साथ प्राचीन धर्म नगरी बनारस में बाबा काशी विश्वनाथ और चित्रकूट में किये जा रहे विकास कार्यों पर एक विशेष वर्ग के वोट का लाभ तो मिलेगा ही पर इसके साथ दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, इत्यादि का स्वामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं की योगी ने अपने इस पांच वर्षीय कार्यकाल में कोरोना जैसी महामारी में काफी मेहनत किया पर उनके इस मेहनत में उनके साथ उनके मंत्रिमंडल टीम के ज्यादातर सदस्य नदारद दिखे। जिसका स्वामियाजा हमने गंगा में तैरती हुई लाशें और आवसीजन और दवा के कालाबाजारी के रूप में देखा (सिर्फ यदि सरकारी आंकड़ों में बात करें तो सरकार यहां भी कामयाब दिखी पर धरातल के वास्तविकता पर गौर करेंगे तो नजारे कुछ और ही दिखे था)। सरकारी नौकरी में पादर्शिता, चिकित्सा के क्षेत्र में 59 नए अस्पताल, प्रदेश में पांच नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट इत्यादि उपलब्धियों के साथ सरकार ने गुंडा-राज, भू-

माफिया पर जितनी अपनी नकेल कसी रखी उतनी ही सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में बेहाल भी दिखी। जिसका उदहारण हमने हाथरस में एक दलित लड़की के बलात्कार के बाद रातों रात उसके शव दहन कर मामले की लीपापोती, लखीमपुर में अन्नदाताओं को बेरहमी से कुचलना, व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या, पंचायत चुनाव में सरेशाम एक नारी के चौरहरण का प्रयास इत्यादि रूप में देखे।

इन सब के साथ कहीं न कहीं बढ़ती महंगाई, निजीकरण, केंद्र सरकार के कृषि विधेयक कानून से किसानों की नाराजगी (यूपी में खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में) इत्यादि मुद्दे को लेकर विपक्ष चुनावी लाभ लेने का भरपूर प्रयास करेगा, और सरकार की इन मुद्दों पर विफलता उसके वोट बैंक के ग्राफ को नीचे ला सकते है।

बात यदि विपक्ष की आती है तो यूपी में दमदार विपक्ष की भूमिका में समाजवादी जनता पार्टी (सपा) नजर आ रही है। महान दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के के मुखिया ओमप्रकाश राजभर (यूपी में राजभर आबादी लगभग चार फीसदी परन्तु 403 विधानसभा सीटों में सौ से अधिक सीटों पर राजभर समाज का ठीक-ठाक वोट है। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ सहित पूर्वांचल के अन्य कई जिलों के सीटों पर इनका वोट लगभग 18 से 20% है जो किसी भी विधानसभा सीट के परिणाम को बदलने की हैसियत रखता है। अखिलेश यादव के पार्टी सपा के लिए सबसे बड़े सिरदर्द उनके चाचा शिवपाल यादव और बिहार विधानसभा में 5 सीट जितने वाली असदुद्दीन औवेसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) है। एक तरफ जहाँ शिवपाल सपा के मूल वोटों को प्रभावित करेंगे वहीं दूसरी तरफ औवेसी की पार्टी भी प्रदेश के 19% मुसलमानों का एकाकीकरण नहीं होने देगी जो कभी कांग्रेस और सपा के मूल वोट हुआ करते थे। औवेसी ने

लगभग सौ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई है यदि ऐसा होता तो मुस्लिम वोट भी कई भाग में बट जाएगा। जिसका सीधा फायदा बीजेपी को और नुकसान सबसे ज्यादा सपा को होगा। अतः यदि अखिलेश को मजबूती से मैदान में लड़ना है तो चाचा शिवपाल के घर (सपा में) वापसी के साथ-साथ औवेसी और रालोद दोस्ती भी रखनी होगी सुभासपा एवं महान दलों को साथ लेकर।

कभी प्रदेश के 20% दलित वोट पर एकछत्र राज्य करने वाली यूपी की चार बार सीएम रही मारावती आजकल सक्रिय राजनीति से नदारद दिख रही हैं। अब दलितों को कहीं न कहीं भीम आर्मी पार्टी बसपा की विकल्प के रूप में दिख रहा है, क्योंकि उन्हें भी बसपा का गिरता राजनितिक ग्राफ दिख रहा है कि कैसे 2007 में विधानसभा में पूर्ण बहुमत वाली बसपा अब 19 सीटों पर सिमट गई। मारावती के बाद बसपा में दूसरे नंबर के नेता कहे जाने वाले सतीश मिश्रा इस बार फिर प्रदेश में 13% ब्राह्मण को रिझाने कि पूरी कोशिश करेंगे पर अबकी सभी राजनीतिज्ञ दलों कि निगाहें ब्राह्मण मतदाताओं पर टिकी है और येन केन प्रकारेण उन्हें अपने पक्ष में करने में जुटे है।

उत्तर प्रदेश को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी कांग्रेस साल 1989 से उत्तर प्रदेश में सत्ता का वनवास झेल रही है, कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने टिकट बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं प्रत्याशियों को टिकट देने की बात और 'लड़की हूँ-लड़ सकती हूँ' के नारे बेशक महिलाओं में एक जोश भरेगा परंतु यूपी में कांग्रेस के जनाधार के आधार पर ये कह सकते है कांग्रेस सत्ता के लड़ाई में कहीं नजर नहीं आ रही हैं परंतु प्रियंका के सक्रिय होने से पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस के वोटों में कुछ % की बढ़ोतरी जरूर हो सकती है।

कुल मिलकर यूपी का विधानसभा चुनाव 2022 की मुख्य लड़ाई भाजपा और सपा के बीच ही होगी है। जहाँ सपा अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन के बाद मजबूत नजर आ रही है वहीं भाजपा अकेले अपने दम पर इस लड़ाई में मजबूत टक्कर दे रही है, इसका एक कारण ये भी है की भाजपा की मार्केटिंग काफी अच्छी है, तभी तो आए दिन बढ़ती महंगाई के बाद भी बीजेपी जनता के बीच अपनी पकड़ और छवि बरकरार रखी है। अपने अनुभव के आधार पर इतना कहना से कि हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विकास से ज्यादा जाति- धर्म के समीकरण को ज्यादा प्राथमिकता दिया जायेगा।

अंकुर सिंह



राजनीतिक दल नहीं अर्थक्रान्ति के पास है आर्थिक समाधान


उत्तर प्रदेश में चुनाव के माहौल ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर मुद्दों की चर्चा शुरू कर दी है। लेकिन हमेशा की तरह जनता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं से जूझ रही है लेकिन कोई भी पार्टी गंभीरता से इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। कोरोना महामारी के दौर में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में महीनों अनाज बांटने की सरकारी योजना यह बताने के लिए पर्याप्त है कि देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी की क्या स्थिति है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की दुर्दशा एवं संसाधन की कमी ने लोगों को प्राइवेट स्कूलों और अस्पतालों में जाने को विवश कर दिया जिसके खर्चों के कारण गरीब व मध्यम वर्ग का जीना मुश्किल हो गया है। इन विकट परिस्थितियों में यदि उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है तो वह है अर्थक्रान्ति संगठन द्वारा सरकार के समक्ष रखा गया वह प्रस्ताव जो देश की लगभग सभी प्रमुख समस्याओं के समाधान का दावा करता है। इस प्रस्ताव के अनुसार यदि सरकार 100 से बड़े नोट बंद कर दे तो देश से भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद, अपराध, नक्सलवाद, हवाला, घोटाला, नकली नोट, चुनाव में कालेधन के प्रयोग आदि समस्याओं पर अंकुश लग जायेगा। प्रस्ताव में दूसरी मुख्य बात यह कही गई है कि यदि केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी टैक्स हटाकर मात्र 2% बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स लगाया जाए तो सरकार को वर्तमान सभी टैक्स से जितनी आमदनी होती है उससे भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी और सरकार को विकास, गरीबों की योजनाओं और रक्षा आवश्यकता के लिए विदेशी बैंकों के ऋण पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।

प्रस्ताव के अनुसार यह 2% टैक्स तभी लगेगा जब किसी के खाते में पैसा जमा होगा, पैसा निकालने या खर्च करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा होने पर जनता को आरक्य व अन्य टैक्स के जंजाल से हमेशा के लिए

मुक्ति मिल जाएगी। वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के माध्यम से कुल 3475 लाख करोड़ का लेनदेन हुआ। इसमें से यदि सरकार के और बैंक के आपसी लेनदेन (कुल 1275 लाख करोड़) को घटा दें, तो शेष राशि (2200 लाख करोड़) पर 2% टैक्स लगाने से सरकार को 44 लाख करोड़ राजस्व प्राप्त होता। जबकि इसी वर्ष 2019-20 में केंद्र/राज्य सरकार को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में कुल 41 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए। (इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब बड़े नोट बंद हो जायेंगे तब नगद लेन देन कई गुना कम हो जायेगा और बैंक के माध्यम से ट्रांजेक्शन कई गुना बढ़ जायेगा। ऐसी स्थिति में टैक्स को 2% से भी कम करना होगा। ऐसा होने पर विकास के लिए सरकार के

कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी सभी टैक्स समाप्त होने से पेट्रोल/डीजल लगभग 40 रुपये में मिलने लगेंगे।

जब लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तब उनकी कय शक्ति बढ़ेगी। परिणामस्वरूप वस्तुओं की खपत बढ़ेगी व वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कारखानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी जिससे युवाओं की बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। अर्थक्रान्ति प्रस्ताव लागू होने के बाद जब सरकार के पास विकास के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध होगा तब अनेकों योजनाओं पर काम होगा जिससे रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। जब ऋण 2-3% वार्षिक में उपलब्ध होगा तब व्यापार और उद्योग शुरू करने के लिए धन का अभाव नहीं होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। किसानों को जब 1-2% वार्षिक में ऋण उपलब्ध होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। देश के वरिष्ठ नागरिकों का बुढ़ापा दयनीय न होकर गरिमापूर्ण हो इसके लिए अर्थक्रान्ति ने यह प्रस्ताव रखा है कि पर्याप्त आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर शेष लगभग 10 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10,000 रुपये मानधन दिया जाय जिसके लिए लगभग 12 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वित्तीय प्रावधान करना होगा जो कि 2019-20 के सकल घरेलू उत्पाद



पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी और देश का बहुत तीव्र गति से विकास होगा व देश की जीडीपी में अप्रत्याशित वृद्धि होगी व देश का विकास एफडीआई और विदेशी बैंकों के ऋण पर आश्रित नहीं होगा। कालाधन बैंकों में आने से और 2% बीटीटी में बैंक का हिस्सा होने से व्याज की दर बहुत कम हो जाएगी और 2-3% वार्षिक की दर से व्यापारियों व उद्योगपतियों को ऋण उपलब्ध होगा। सरकारी शिक्षा व चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए व अन्य जनहित की योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। जब सभी प्रकार के टैक्स समाप्त हो जायेंगे तो सभी वस्तुओं के दाम कम हो जायेंगे। इससे देश के सभी परिवारों का खर्च घटेगा, बचत बढ़ेगी। आयकर व अन्य कर नहीं देना होगा जिसके

(लगभग 200 लाख करोड़ रुपये) का 6% ही होगा और 2% बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स से इसके लिए भी पर्याप्त धन उपलब्ध होगा। ऐसा होने से बुजुर्गों के जीवन, उनके परिवार एवं समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। गरीबी मुक्त भारत की दिशा में यह एक ठोस कदम साबित होगा। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने के बजाय पार्टियां इस चुनावी माहौल में जाति-धर्म के समीकरण साधने में अपनी शक्ति लगा रही हैं और अधिकांश जनता भी नेताओं के बहकावे में आकर मूल मुद्दों से हटकर जाति-धर्म के आधार पर अपना समर्थन देती है जो देश की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है।

-जय प्रकाश मिश्र

निर्णय के बाद से तो 'अयोध्या और दीवाली' राष्ट्रिय विमर्श का केंद्र और अन्तराष्ट्रिय खबरों में स्थान पाने लगे। यह विषय तब और ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया जब राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले कांग्रेसी मंदिरों में दिखने लगे। केजरीवाल रामलला के दर्शन करने लगे और अखिलेश यादव संतों के सानिध्य में जाते दिखे। अयोध्या की दीपावली आम जनमानस के लिए सुखद अनुभूति रही। उसके बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम की यात्रा की। वह बनारस से सांसद हैं। मोदी पहले भी केदारनाथ जाते रहे हैं। इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि अब हिन्दू वोट बैंक सबके लिए महत्वपूर्ण बन गया

है। अब किसी दल को स्वयं को सत्ता में बरकरार रखने के लिए हिन्दुत्व जरूरी है तो किसी दल को सत्ता में आने के लिए।

इस कारण उत्तर प्रदेश का चुनाव अब योगी बनाम अखिलेश पर आकर टिक गया है। एक तरफ हिन्दू धर्म की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ दिखते हैं तो दूसरी तरफ जिन्ना पर बयान देने वाले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव हर जिले में जाकर सभाएं कर रहे हैं। उनका रथ 90 के दशक के मुलायम सिंह की याद दिलाता है। अब यह तरीका सोशल मीडिया के दौर में कितना कामयाब होगा यह तो वक्त ही बताएगा। पर अखिलेश यादव की भाग दौड़

में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। वह लगातार छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। 2017 और 2019 में कांग्रेस और बसपा से गठबंधन करके वह काफी नुकसान उठा चुके हैं। अपने पहले कार्यकाल में अखिलेश यादव चार लोगों के चंगुल में फंसे दिखते थे। रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, आजम खान और मुलायम सिंह यादव। अब अखिलेश यादव आजाद दिखते हैं। वह अब अपने दल में सर्वमान्य नेता हैं और सर्वोच्च भी। वह स्वयं को आगे न रखकर मुस्लिम मतदाता पर नजर गड़ाए हैं। वह अब विकास की ज्यादा बात करते नहीं दिख रहे हैं। शायद अब उनको इस बात का आभास हो गया

हिन्दुत्व - सनातन और संस्कृति आधारित हो जीडीपी व्यवस्था


वर्तमान में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। एक बड़ा शिक्षित वर्ग पढ़ा लिखा होने के बावजूद बेरोजगार है। इसकी वजह हमारी शिक्षा प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था के वर्तमान मापदंड हैं। जब तक हमारे यहाँ ग्रामीण स्तर पर शिक्षित होने का अभियान नहीं चला था तब तक गाँव में हर व्यक्ति के पास एक रोजगार था। माली, माली का काम कर रहा था। नाई गाँव में बाल काटता था। कुम्हार बर्तन बनाता था। धीरे धीरे हमने शिक्षा के नाम पर उनको उनके व्यवसाय में ट्रेड नहीं किया बल्कि उनको डिग्रियाँ थमा दी। अब उन्होंने अपना मूल काम भी छोड़ दिया। इसके बाद अधिकतर को नौकरी भी मुहैया नहीं करा पाये। पढ़ने के बाद लोगों ने अपने पैतृक कार्य को करना अपनी कमजोरी माना। एक बड़ी आबादी शहरों का रुख करने लगी। वहाँ जाकर पढ़े लिखे बेरोजगारों की फौज ने एहसास किया कि वह तो कम रुपये की नौकरी तलाश रहे हैं जबकि इससे ज्यादा के मालिक तो वह अपने गाँव में पहले से हैं।

कोरोना काल के बाद अब गाँवों में थोड़ी सोच बदलने की शुरुआत हुयी है। इसके अतिरिक्त भारत में जीडीपी के मानक भी कुछ ऐसे हैं जिससे उद्योगों को सफलता का पर्याय माना गया। जैसे वर्तमान में अगर ऑटो उद्योग में बिक्री कम होती है तो हम उसे मंदी मान लेते हैं। अगर गाय के गोबर एवं अन्य परंपरागत तरीके से कृषि करें तो जीडीपी नहीं बढ़ती है किन्तु अगर रसायन एवं फर्टिलाइजर से स्वास्थ्य को हानी वाली कृषि करें तो जीडीपी बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति योग करके स्वस्थ रहता है तो जीडीपी नहीं बढ़ती है किन्तु यदि बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होता है तो जीडीपी बढ़ती है। यदि गरीब और जरूरतमन्द को दान करें तो जीडीपी नहीं बढ़ती है किन्तु अगर आयकर बचाने के लिए 80-जी के द्वारा फर्जी भी दान करें तो जीडीपी बढ़ती है। दूध दही पीने से जीडीपी नहीं बढ़ती है किन्तु शराब, गुटखा, सिगरेट के सेवन से बढ़ती है। यानि की जीडीपी के मानक ऐसे हैं जो सिर्फ व्यवसाय को बढ़ावा देने वाले हैं।

समझने लगते हैं। रोजगार का अर्थ नौकरी नहीं है। भारत में पारंपरिक स्तर पर रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। सांस्कृतिक पर्यटन उसमे से एक है। हमारे पास एक ओर विदेशी सैलानियों की आवक के लिए खुला मैदान है तो दूसरी तरफ आंतरिक स्तर पर भी सैलानी काफी मात्रा में मौजूद हैं। भारत के अंदर लोगों की धार्मिक आस्थाएँ भी धार्मिक पर्यटन के लिए बड़ी संभावनाएं पैदा करती हैं। हिन्दुत्व धार्मिक पर्यटन का वैश्विक आधार बन सकता है। यूरोपीय देशों में कृष्ण का बढ़ता प्रभाव एवं योग की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होना इस संदर्भ में सिर्फ व्यापक जन सोच की दरकार रखता है। बाहरी पर्यटकों के सामने हमारा आचरण महत्वपूर्ण होता है। जब लोग पर्यटन के लिए जाये तब स्वच्छता का ध्यान रखे। ट्रेफिक नियमों का पालन करें। जल व्यर्थ न बहाएँ। स्थानीय जनभावनाओं का ख्याल रखें। अब सोचिए क्या भावनाओं का ख्याल रखने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है ? यह तो सिर्फ जागरूकता फैलाकर ही प्रसारित किया जा सकता है। अब यदि सब बातों का सार देखा जाये तो भारत के निर्माण में भारत के नागरिकों को स्वयं को अपग्रेड करना होगा। सरकार को अपनी जवाबदेही समझनी होगी एवं जनता को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास करना होगा।

-अमित त्यागी

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं।)



उत्तराखंड : धामी को लाने में देर कर दी भाजपा ने

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाने में भाजपा ने देर कर दी है। तीरथ सिंह रावत के स्थान पर उनको आना चाहिए था। उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा के आने की परंपरा रही है। वहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच मतों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है इसलिए हिन्दुत्व का विषय वहाँ प्रगाढ़ रहता है। धामी का अयोध्या दौरा देवभूमि की तरफ से श्रीराम को एक आहुति कही जा सकती है। धामी मैदानी इलाक़े से आते हैं जो तराई का इलाका है और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। लखीमपुर कांड की आंच इस इलाक़े तक भी पहुंची थी किन्तु मुख्यमंत्री के कुशल प्रबंधन ने इसे संभाल लिया था। अब जब कृषि कानून वापस हो गए हैं तब उत्तराखंड के सामने एक समस्या कृषि कानून को

लेकर भी है। उत्तराखंड केंद्र के कृषि कानून के अनुसार स्वयं के कानून बना चुका था। धामी ने इसके लिए एक अच्छा रास्ता निकाला है और उसे आगामी सरकार के ऊपर टाल दिया है। धामी अपने पूर्ववर्ती के डेमेज कंट्रोल में अभी कामयाब दिख रहे हैं। धामी के पहले कांग्रेस काफी बेहतर स्थिति में आती दिखने लगी थी किन्तु अब उनके और हरीश रावत के बीच राजनीतिक फासिला लगातार कम हो रहा है, हालांकि, कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि अगर कांग्रेसी एकजुट रहते हैं तो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार दुबारा आ सकती है।

धामी ने अपने प्रारम्भिक दिनों में ही यह दिखा दिया है कि नौकरशाही पर लगाम कैसे

Uttarakhand
elections



लगाई जा सकती है। उन्होंने ज्यादातर मंत्रालय स्वयं के पास न रखकर उनका वितरण कर दिया है। देवस्थानम बोर्ड पर चल रही तीर्थपुरोहितों की नाराजगी को शांत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का फैसला हिन्दुत्व को मजबूत करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ़ कर उन्हें युवा, ऊर्जावान और उत्साहित कहा, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें 20-20 का टाकड़ बल्लेबाज बताया है। अब 2022 में इन कद्दावों की अपेक्षाओं पर धामी कितना खरे उतरते हैं यह देखना बहुत ही रोचक होगा।

- अमित त्यागी
(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं।)

है कि उनकी इन बातों का चुनावी राजनीति पर व्यापक प्रभाव नहीं है। वह भी अब ध्रुवीकरण की राजनीति को समझ रहे हैं। औवेसी को वह भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। उनका कहना है कि औवेसी सपा को हराना चाहते हैं। उनकी इस बात पर ओवेसि कहते हैं कि वह 2014, 17, 19 में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़े थे तो सपा क्यों हार गयी। अखिलेश यादव मुस्लिमों के हितैषी नहीं हैं। वह सिर्फ बरगलाकर वोट लेना चाहते हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी 'फ्री स्कीमे' लेकर उतर चुकी है। वह हालांकि, चुनावी गणित से तो बाहर दिखती है किन्तु सभी दलों का नुकसान तो वह करने में सक्षम है। आप वर्ल्ड कप में खेलने वाली उस कमजोर टीम की तरह है जो कप जीतने तो नहीं जा रही है किन्तु एक दो उलटफेर करके बड़ी टीमों का खेल बिगाड़ सकती है।

बसपा की स्थिति काफी कमजोर दिखती है। बसपा के साथ एक खास बात यह है कि वह ज्यादा मुखर तो नहीं दिखती है किन्तु 2019 में वह सपा को अच्छा सबक सिखा चुकी है। उसका वोट बैंक अभी भी उसके साथ है। बसपा अगर 30 सीटें भी जीत जाती है तब भी वह महत्वपूर्ण स्थिति में रहेगी। भाजपा की अल्पमत

की सरकार होने की स्थिति में वह भाजपा का साथ दे सकती है और भाजपा मायावती को उप राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद से नवाज सकती है। मायावती का शांत रहना, ज्यादा बड़े कारनामे न करना ऐसे समझ आता है। सतीश चंद्र मिश्र को मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन के लिए लगा रखा है। वह इस बात की पूरी कोशिश में हैं कि जो ब्राह्मण भाजपा से कटता है वह सपा में न जाकर उनके खेमे में आ जाए। 2007 की सोशल इंजीनियरिंग की बात वह उठा रहे हैं। इस बीच लखीमपुर कांड के बाद कांग्रेस ने अपनी स्थिति पहले से बेहतर कर ली है। कांग्रेस यदि 10,15 सीट भी जीतने की स्थिति में आती है तो लगभग 50 सीटों पर वह खेल बिगाड़ने का काम करने जा रही है। कांग्रेस के लिए बुजुर्ग नेताओं के बयान मुश्किलें पैदा करते रहते हैं। पहले दिग्विजय सिंह ही एक अकेले बड़बोले थे किन्तु अब सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर आदि भी इस अखाड़े के पहलवान बन चुके हैं। यह सब वह लोग हैं जो राहुल गांधी के सामने नतमस्तक हैं और खुद को घुटन में महसूस करते दिखते हैं। राहुल न तो स्वयं आगे जाते हैं और न ही इन नेताओं को आगे निकलने दे रहे हैं। बस इसी खींचतान में कांग्रेस फंसी हुयी है।

उत्तर प्रदेश में अब महत्वपूर्ण विषय है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? पूर्ण बहुमत आने पर भाजपा से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। पूर्ण बहुमत आने पर सपा से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे यह भी तय है। अगर भाजपा की अल्पमत सरकार आती है तब मोदी के करीबी माने जाने वाले अरविंद शर्मा का नाम भी आगे आ सकता है। वह इस समय पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उनको हर जिले का भ्रमण करके उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने की जिम्मेदारी दी गयी है। वह भी मायावती की तरह शांत रहकर अपने मिशन में लगे हैं। भाजपा के अंदर अब गर्म और नर्म हिन्दुत्व के दो धड़े काम कर रहे हैं। नर्म हिन्दुत्व का नेतृत्व मोदी करते दिखते हैं तो गर्म हिन्दुत्व का योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ हिन्दुत्व के विषय पर स्पष्ट और सपाट हैं। कानून व्यवस्था के विषय पर उनका यह स्टैंड लोगों को पसंद आ रहा है और यह ही उनके जनाधार को मजबूत बनाता है। जो लोग सरकार की अन्य नाकामियों पर उनसे नाराज हैं वह भी कानून व्यवस्था के विषय पर उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। योगी का यही पक्ष उन्हें 2022 में सबसे ज्यादा मजबूत करता दिख रहा है।

महाराष्ट्र के शहरों की डरावनी हिंसा

● अवधेश कुमार

पिछले दिनों महाराष्ट्र के कई शहरों की डरावनी हिंसा ने देश का ध्यान भारत में बढ़ रही कट्टरपंथी तंजीमों की ओर फिर से खींचा है। अपने मुद्दों पर प्रशासन की अनुमति तथा उनके द्वारा निर्धारित मार्ग एवं समयसीमा में किसी को भी धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन अगर प्रदर्शनकारी लक्षित हिंसा करने लगे और उसके पीछे कोई तात्कालिक उकसाने वाली घटना नहीं हो, तो मानना चाहिए कि सुनियोजित साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में अनेक जगह मुस्लिम संस्थाओं एवं संगठनों के आह्वान पर विरोध-प्रदर्शन आयोजित हुए। प्रदर्शनकारी देखते-देखते हिंसक हो गए। अमरावती, नांदेड़, मालेगांव, भिवंडी जैसे शहर हिंसा के सबसे अधिक शिकार हुए। अमरावती में पुराने काटन मार्केट चौक में पूर्व मंत्री जगदीश गुसा के किराना प्रतिष्ठान पर पत्थरों से हमला हुआ। हमलावरों को मालूम था कि यह किसका प्रतिष्ठान है। वसंत टाकीज इलाके में जिन प्रतिष्ठानों एवं दुकानों पर हमले हुए, वे सब हिंदुओं के थे। पूर्व मंत्री एवं विधायक प्रवीण पोटे के कैंप कार्यालय पर पथराव किया गया। मालेगांव में जुलूस के रौद्र रूप ने गैर मुस्लिमों को अपने घरों में बंद हो जाने या फिर दुकानें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। जहां भी हिंदुओं से जुड़े संस्थान और दुकानें खुली मिलीं, वहीं भीड़ ने पथराव किया। पूरा माहौल भयभीत करने वाला बना दिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स पर हमला किया गया। हालांकि, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक स्थिति को इतना गंभीर नहीं मान रहे हैं तो संभव है यह सब पुलिस के रिकार्ड में नहीं आए, किंतु स्थानीय लोगों ने जो देखा और भुगता, उसे भुलाना कठिन होगा।

कहा जा रहा है कि त्रिपुरा हिंसा का विरोध करने के लिए कुछ मुस्लिम संस्थाओं-संगठनों को इस तरह के बंद एवं प्रदर्शनों की अनुमति मिली, जबकि कथित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं पत्रकारों के एक समूह ने

इंटरनेट मीडिया पर त्रिपुरा में मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा की जो खबरें और वीडियो वायरल कराए, वे पूरी तरह झूठे थे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडालों, हिंदू स्थलों तथा हिंदुओं पर हमले के विरोध में त्रिपुरा में शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था। तनाव के छिटपुट मामले सामने आए, लेकिन कुल मिलाकर आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया। अफवाह फैलाई गई कि जुलूस ने मुसलमानों और मस्जिदों पर हमले कर दिए। उच्च न्यायालय ने खबर का संज्ञान लिया। त्रिपुरा के एडवोकेट जनरल सिद्धार्थ शंकर डे ने दायर शपथपत्र में कहा कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने 26 अक्टूबर को रैली निकाली थी। उसमें दोनों समुदायों के बीच कुछ झड़पें हुई थीं। तीन दुकानों को जलाने, तीन घरों और एक मस्जिद को क्षतिग्रस्त करने के आरोप दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए। शपथपत्र में भी केवल आरोप की बात है। हालांकि, पुलिस की जांच में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। जहां कुछ बड़ी घटना हुई ही नहीं वहां के बारे में इतना बड़ा दुष्प्रचार करने वाले कौन हो सकते हैं और उनका उद्देश्य क्या होगा? त्रिपुरा में जांच के लिए एक दल भी पहुंच गया, जिसमें कुछ पत्रकार तथा कथित मानवाधिकारवादी एवं वकील शामिल थे। उनका अपना एक खास एजेंडा है।

महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उसे केवल वहीं की घटना मत मानिए। पता नहीं देश में कहां-कहां ऐसे ही उपद्रव की प्रकट परोक्ष तैयारियां चल रही होंगी। महाराष्ट्र में विरोध-प्रदर्शन एवं बंद का आह्वान वैसे तो रजा एकेडमी ने किया था, किंतु अलग-अलग जगहों पर सुन्नी जमातुल उलमा जैसे कुछ दूसरे संगठन भी शामिल थे। इस बंद को एमआइएम, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों का भी समर्थन था। तो जो कुछ भी हुआ, उसके लिए इन सभी संगठनों को जिम्मेदार माना जाना

चाहिए। हालांकि, इसके विरोध में सड़कों पर उतरने वाले दूसरे पक्ष के लोगों को भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए था। उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता थी। महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तत्परता से उन्हें नियंत्रित किया, वैसे ही वह आरंभ में करती तो स्थिति नहीं बिगड़ती।

यहां यह प्रश्न भी उठता है कि किसी देश में हिंदुओं और सिखों आदि के विरुद्ध हिंसा हो तो क्या भारत के लोगों को उसके विरोध में प्रदर्शन करने का अधिकार है या नहीं? यह मानवाधिकार की परिधि में आता है या नहीं? त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। वहां आक्रोश स्वाभाविक था, जिसे लोगों ने प्रकट किया। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस का दायित्व है। जिन लोगों के लिए त्रिपुरा फासीवादी घटना बन गई, उनके लिए बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा मामला बना ही नहीं।

बांग्लादेश की हिंसा का भी एक सच जानना आवश्यक है। बांग्लादेशी मीडिया में यह समाचार आ चुका है कि दुर्गा पूजा पंडाल तक पवित्र कुरान शरीफ इकबाल हुसैन ले गया। बाद में इकराम ने पुलिस को फोन कर सूचित किया तथा फयाज अहमद ने उसे फेसबुक पर डाला। इन तीनों का संबंध किसी न किसी रूप में जमात-ए-इस्लामी या अन्य कट्टरपंथी संगठनों से सामने आया है। वहां आरंभ में पुलिस ने पारितोष राय नामक एक किशोर को गिरफ्तार किया था। इससे क्या यह साबित नहीं होता कि कट्टरपंथी समूह किस मानसिकता से काम कर रहे हैं? इसलिए महाराष्ट्र की घटना को उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। जिन्होंने हिंसा की, केवल वे ही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने देशव्यापी झूठ प्रचार कर लोगों को भड़काया, उन सबको कानून के कठघरे में खड़ा किया जाना जरूरी है। ■





गहलोत मंत्रीमंडल में जगह नहीं मिलने पर असंतुष्ट विधायकों ने मोर्चा खोला

● रामस्वरूप रावतसरे

राजस्थान में 3 साल के बाद गठित मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेसी विधायकों में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। कुछ विधायक जो गहलोत गुट से सम्बन्ध रखते हैं वे मंत्री पद से वंचित रहने का दोष पायलट को दे रहे हैं। तो वहीं कुछ विधायक संकट के समय गहलोत के साथ थे फिर भी उन्हें मंत्रीपद नहीं मिला इस लिए नाराज है। वहीं दयाराम परमार ने पत्र लिखकर गहलोत से पूछा है कि मंत्री पद प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है।

उदयपुर के खेरवाड़ा आदिवासी क्षेत्र से 6 बार विधायक और पूर्व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रहे दयाराम परमार को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर अब उन्होंने अपना विरोध प्रकट करते हुए सीएम गहलोत को पत्र लिखा है और पूछा है कि मंत्री बनने के

लिए क्या योग्यता जरूरी होती है, यह बताया जाए ?

उन्होंने पूछा कि ऐसा लगता है कि मंत्री बनने के लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत होती है। कृपया हमें बताने की कृपा करें कि वह विशेष काबिलियत क्या है? दयाराम परमार ने कहा कि उस योग्यता को हासिल करके ही भविष्य में मंत्री बनने की कोशिश की जा सके। परमार अशोक गहलोत के वर्ष 1998 और 2008 की सरकार में राज्यमंत्री रहे थे। मगर इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। परमार ने कहा कि वनमंत्री सुखराम विश्णोई मेरे छात्र रहे हैं। वो मंत्री हैं, उन्हें मैंने पढ़ाया है।

ऐसे ही अलवर ग्रामीण सीट से कैबिनेट मंत्री बनाए गए टीकाराम जूली के विरोध में कांग्रेस के ही अलवर के रामगढ़-लक्ष्मणगढ़ से वरिष्ठ विधायक जौहरीलाल मीणा खुलकर सामने आए थे। जौहरीलाल मीणा ने टीकाराम जूली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते

हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर अलवर के लिए काला दिवस बताया था। जौहरीलाल ने कहना था कि हमें पार्टी और नेता से कोई नाराजगी नहीं है। भ्रष्ट मंत्री से नाराजगी है। उन्होंने कहा कि अलवर के पूर्व सांसद और जितेंद्र सिंह की कृपा से वह कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार किया है इसके बावजूद भी उसकी जांच नहीं की गई और उन्हें पुरस्कार स्वरूप कैबिनेट मंत्री बना दिया गया।

कांग्रेस के विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा ने भी मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज है। उन्होंने कहा कि भाजपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों को मंत्री बनाया जाता है और हम कांग्रेस की वर्षों से सेवा कर रहे हैं हमें महत्व नहीं देना गलत है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में पार्टी की हम सेवा करते रहे हैं और गोविंद राम मेघवाल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की सरकार में भी संसदीय सचिव रहे और वहां दाल नहीं गली

तो अब कांग्रेस में आ गए। इस गलत प्रवृत्ति से ही कांग्रेस का संगठन कमजोर हो रहा है।

मुख्यमंत्री के सलाहकार बनाए गये निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने सचिन पायलट के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया है। जानकार लोगों का कहना है कि रामकेश मीणा की इस प्रतिक्रिया से आपसी सुलह खटाई में पड़ सकती है। रामकेश मीणा ने आरोप लगाया है कि पायलट ने आलाकमान को गुमराह किया। यही कारण है कि निर्दलीय व बसपा से आये विधायकों को मंत्रीमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली। रामकेश मीणा के अनुसार पायलट ने ही आलाकमान को गुमराह करके 2018 के विधान सभा चुनाव में उनके टिकट कटवाए थे। फिर भी हमारे साथी बसपा व निर्दलीय के रूप में जीतकर आए। अगर टिकट वितरण के समय कमान पूरी तरह से गहलोट के पास होती तो कांग्रेस 150 सीटें आती। उन्होंने कहा कि पायलट ने कांग्रेस सरकार को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन हमने निर्दलीय होकर भी गहलोट सरकार को बचाने का काम किया है। उनका आरोप है कि पायलट ने आलाकमान को गुमराह किया इस कारण से निर्दलीय मंत्री नहीं बन पाये है।

मुख्यमंत्री के नव नियुक्त सलाहकार रामकेश ने कहा कि आलाकमान से मिलकर बात रखूंगा कि भविष्य में पायलट को आगे रखकर चुनाव की रणनीति बनाई जायेगी तो

इससे बुरी बात कांग्रेस के लिए नहीं होगी। पहले भी रामकेश मीणा पायलट के खिलाफ बयान बाजी करते रहे हैं।

गहलोट सरकार में मंत्री बनने से वंचित रहे छह विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया है। इन्हें मंत्री का दर्जा मिलेगा। इनमें तीन निर्दलीय और तीन कांग्रेस विधायक शामिल हैं। कांग्रेस विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, दानिश अबरार, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा बाबूलाल नागर, रामकेश मीणा को सलाहकार बनाया है। छहों विधायक गहलोट समर्थक हैं। ये सभी विधायक मंत्री बनने के दावेदार थे। सीएम के सलाहकार नियुक्त होने के बाद अब करीब 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है।

जिन छह विधायकों को सलाहकार बनाया है। उनमें पहले सचिन पायलट खेमे में रहे और बगावत के बाद गहलोट खेमे में आए दानिश अबरार का नाम सबसे चर्चा में है। पहली बार विधायक बनने वालों को मंत्री नहीं बनाने का फार्मूला तय हुआ था, लेकिन अब ऐसे विधायकों को सलाहकार बनाकर एडजस्ट किया जा रहा है। जिन तीन निर्दलीय विधायकों को सलाहकार बनाया है। उन्होंने लगातार पायलट कैंप को निशाने पर रखा था।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोट ने उम्मीद जताई है कि विशेष परिस्थितियों में मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ है लेकिन अब सब

कुछ ठीक-ठाक हो गया है। अब एक साथ मिलकर सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कैबिनेट में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको साथ लाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुनर्गठन विशेष हालात में हुआ जरूर है लेकिन सब खुश हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में वे प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए लेकिन आगे राजनीतिक नियुक्तियों में हम उन जिलों का विशेष ध्यान रखेंगे। सीएम ने कहा कि पुनर्गठन में फर्स्ट टाइम वाला फार्मूला लगा है, इसलिए हम कई जिलों में मंत्री नहीं बना पाए, लेकिन आगे उनका ध्यान रखेंगे।

अब अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोट ने कहा इन सब मंत्रियों को निर्देश देंगे कि वे पब्लिक से संपर्क करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। घोषणा पत्र में दर्ज वादों को पूरा करने का काम करें, जनता की अपेक्षा को हर स्तर पर पूरा करना ही सरकार का फर्ज है। गहलोट ने कहा कि पूरी कैबिनेट मिलकर काम करेगी, जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोट के अनुसार जिन विधायकों को हम मंत्री नहीं बना पाए उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। एक बात जो सब के जेहन में है कि इस मंत्रीमंडल विस्तार में ज्यादा लाभ किस गुट को रहा। जानकारों की माने तो गहलोट ने तीन साल का समय पूरा कर लिया है दो साल बाकी है ऐसे में उन्होंने आलाकमान ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार किया है या आलाकमान के माध्यम से सबको साथ लेकर चलने की बात में पायलट पावर के टुकड़े कर दिये हैं। जो अब तक पायलट के साथ थे वे अब गहलोट सरकार के भागीदार हैं। अब उनकी पायलट के प्रति नहीं गहलोट के साथ चलने की प्रतिबद्धता अधिक हो गई है। वैसे भी राजनीति में पद मिलने के बाद कंधे का सहारा देने वाले की कोई अहमियत नहीं रहती।





विनीत
नारायण

सीबीआई और ईडी निदेशकों का सेवा विस्तार

ताजा अध्यादेश के जरिए भारत सरकार ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को 5 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की है। अब तक यह कार्यकाल दो वर्ष का निर्धारित था। अब इन निदेशकों को एक-एक साल करके तीन साल तक और अपने पद पर रखा जा सकता है। पहले से ही विवादों में घिरी ये दोनों जाँच एजेंसियाँ विपक्ष के निशाने पर रही हैं। इस नए अध्यादेश ने विपक्ष को और उत्तेजित कर दिया है, जो अगले संसदीय सत्र में इस मामले को जोर-शोर से उठाने की तैयारी कर रहा है।

इन दो निदेशकों के दो वर्ष के कार्यकाल का निर्धारण दिसम्बर 1997 के सर्वोच्च न्यायालय के 'विनीत नारायण बनाम भारत सरकार' के फैसले के तहत किया गया था। इसी फैसले के तहत इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी विस्तृत निर्देश दिए गए थे। उद्देश्य था इन संवेदनशील जाँच एजेंसियों की अधिकतम स्वायत्ता को सुनिश्चित करना। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी जब हमने 1993 में एक जनहित याचिका के माध्यम से सीबीआई की अकर्मण्यता पर सवाल खड़ा किया था। क्योंकि तमाम प्रमाणों के बावजूद सीबीआई हिजबुल मुजाहिद्दीन की हवाला के जरिए हो रही दुबई और लंदन से फंडिंग की जाँच को दो बरस से दबा कर बैठी थी। उसपर भारी राजनैतिक दबाव था। इस याचिका पर ही फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आदेश जारी किए थे, जो बाद में कानून बने।

ताजा अध्यादेश में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले की भावना की उपेक्षा कर दी गई है। जिससे यह आशंका प्रबल होती है कि जो भी सरकार केंद्र में होगी वो इन अधिकारियों को तब तक सेवा विस्तार देगी जब तक वे उसके इशारे पर नाचेंगे। इस तरह यह महत्वपूर्ण जाँच एजेंसियाँ सरकार की ब्लैकमेलिंग का शिकार बन सकती हैं। क्योंकि केंद्र में जो भी सरकार रही है उस पर इन जाँच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगता रहा है। पर मौजूदा सरकार पर यह आरोप बार-बार लगातार लग रहा है कि वो अपने राजनैतिक प्रतीद्वंदियों या अपने विरुद्ध खबर छापने वाले मीडिया प्रथिष्ठानों के खिलाफ इन एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है।

बेहतर होता कि सरकार इस अध्यादेश को लाने से पहले लोक सभा के आगामी सत्र में इस पर बहस करवा लेती या सर्वोच्च न्यायालय से इसकी अनुमति ले लेती। इतनी हड़बड़ी में इस अध्यादेश को लाने की क्या आवश्यकता थी? सरकार इस फैसले को अपना विशेषाधिकार बता कर पल्ला झाड़ सकती है। पर सवाल सरकार की नीयत और ईमानदारी



का है। सर्वोच्च न्यायालय का वो ऐतिहासिक फैसला इन जाँच एजेंसियों को सरकार के शिकंजे से मुक्त करना था। जिससे वे बिना किसी दबाव या दखल के अपना काम कर सकें। क्योंकि सीबीआई को अदालत ने भी 'पिंजरे में बंद तोता' कहा था। इन एजेंसियों के ऊपर निगरानी रखने का काम केंद्रीय सतर्कता आयोग को सौंपा गया है।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री श्री अमित शाह व भाजपा के अन्य नेता गत 7 वर्षों से हर मंच पर पिछली सरकारों को भ्रष्ट और अपनी सरकारों को ईमानदार बताते आए हैं। मोदी जी दमखम के साथ कहते हैं "न खाऊंगा न खाने दूंगा"। उनके इस दावे का प्रमाण यही होगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जाँच करने वाली ये एजेंसियाँ सरकार के दखल से मुक्त रहें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो मौजूदा सरकार की नीयत पर शक होना निराधार नहीं होगा। हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी यही रहा है कि पिछले इन 7 वर्षों में हमने सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों के बड़े स्तर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सप्रमाण कई शिकायतें सीबीआई व सीवीसी में दर्ज कराई हैं। पर उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इन एजेंसियों को स्वायत्ता दिलाने में हमारी भूमिका का सम्मान करके, हमारी शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही होती थी। हमने जो भी मामले उठाए उनमें कोई राजनैतिक एजेंडा नहीं रहा है। जो भी जनहित में उचित लगा उसे उठाया। ये बात हर बड़ा राजनेता जनता है और इसलिए जिनके विरुद्ध हमने अदालतों में लम्बी लड़ाई लड़ी वे भी हमारी निष्पक्षता व पारदर्शिता का सम्मान करते हैं। यही लोकतंत्र है। मौजूदा सरकार को भी इतनी उदारता दिखानी चाहिए कि अगर उसके किसी मंत्रालय या विभाग के विरुद्ध सप्रमाण भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उसकी निष्पक्ष जाँच होने दी जाए। शिकायतकर्ता को अपना शत्रु नहीं

बल्कि शुभचिंतक माना जाए। क्योंकि संत कह गए हैं कि, 'निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय।'

इसलिए इस अध्यादेश के मामले सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत दखल देकर इसकी विवेचना करनी चाहिए। इन महत्वपूर्ण जाँच एजेंसियों के निदेशकों के कार्यकाल का विस्तार 5 वर्ष करना मोदी जी की ग़लत सोच नहीं है, पर यहाँ दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला; ये नियुक्ति एकमुश्त की जाए, यानी जिस प्रक्रिया से इनका चयन होता है, उसी प्रक्रिया से उन्हें 5 वर्ष का नियुक्ति पत्र या सेवा विस्तार दिया जाए। दूसरा; अधिकारियों में सरकार की चाटुकारिता की प्रवृत्ति विकसित न हो और वे जनहित में निष्पक्षता से कार्य कर सकें इसके लिए उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा विस्तार न दिया जाए बल्कि इन महत्वपूर्ण पदों पर उन्हीं अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाए जिनका सेवा काल अभी 5 वर्ष शेष हो। अगर सरकार ऐसा करती है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और नहीं करती है तो ये जाँच एजेंसियाँ हमेशा संदेह के घेरे में ही रहेंगी और नौकरशाही में भी हताशा बढ़ेगी।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी जैसे बहुत सारे महत्वाकांक्षी फैसले लेते आए हैं। जिससे उनकी उत्साही प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। हर फैसला जितने गाजे-बाजे और महंगे प्रचार के साथ देश भर में प्रसारित होता है वैसे परिणाम देखने को प्रायः नहीं मिलते। क्योंकि उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है और समाज का एक वर्ग उन्हें बहुत चाहता है इसलिए शायद वे संसदीय परम्पराओं व अनुभवी और योग्य सलाहकारों से सलाह लेने की जरूरत नहीं समझते। अगर वे अपने व्यक्तित्व में ये बदलाव ले आएँ कि हर बड़े और महत्वपूर्ण फैसले को लागू करने से पहले उसके गुण-दोषों पर आम जनता से न सही कम से कम अनुभवी लोगों से सलाह जरूर ले लें तो उनके फैसले अधिक सकारात्मक हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड में सरकार कोई भी नया कानून बनाने से पहले जनमत संग्रह जरूर कराती है। भारत अभी इतना परिपक्व लोकतंत्र नहीं है पर 135 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले सामूहिक मंथन से लिए जाएँ तो यह जनहित में होगा।

डॉ. राजेंद्र कृष्ण को मिला पंडित निरंजन प्रसाद राष्ट्रीय समाज र% सम्मान 2021

ख्यातिप्राप्त संगीत मनीषी डॉ. राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल को पंडित निरंजन प्रसाद राष्ट्रीय समाज र% पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ज्ञात हो कि निरंजन धारा, लखनऊ और पुणे (महाराष्ट्र) से संचालित शिवशाही फाउंडेशन ट्रस्ट, भारत के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2021 के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बांसुरी वादक स्व.पंडित निरंजन प्रसाद राष्ट्रीय समाज र% पुरस्कार की विगत 11 नवंबर को घोषणा की गई थी जिसे शिवशाही फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक व अध्यक्ष श्री बालाराम मडकर द्वारा पुणे से मथुरा आकर उनको एवं प्रदान किया गया। शील्ड एवं मैडल प्रदान कर सम्मानित करने के बाद श्री मडकर ने कहा कि शास्त्रीय संगीत के महान पुरोधा और अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बांसुरी वादक पंडित

निरंजन प्रसाद ने 1960 से 2005 तक आकाशवाणी पर और गुड्डी तथा शोर जैसी अनेक सुप्रसिद्ध फिल्मों में बांसुरी वादन के माध्यम से जन जन के हृदय को जीता था। 2013 में उनके निधन के पश्चात् उनकी स्मृति में निरंजन धारा, लखनऊ और शिवशाही फाउंडेशन ट्रस्ट, भारत संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष राष्ट्र की 5 अति सम्मानित विभूतियों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत करते आ रहे हैं। मुझे यह कहेते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष देश के विविध प्रदेशों से जिन पांच विभूतियों का राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने हेतु चयन किया गया, उनमें भी डॉ. अग्रवाल न केवल उत्तर प्रदेश से इकलौते व्यक्ति हैं बल्कि सम्मानित पांचों विभूतियों में भी सर्वोच्च स्थान पर चयनित हुए हैं। उनको यह सम्मान काव्य, संगीत, संस्कृति, कला और लेखन व संपादन के अतिरिक्त समाज - सेवा के क्षेत्र में भी आजीवन उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि यद्यपि डॉ. अग्रवाल द्वारा सम्मान सामग्री को कोरियर से ही भेजने को बार बार कहा गया किंतु हमें उनके दर्शनों की अत्यंत अभिलाषा थी, अतः अपने को रोक न सका। निरंजन धारा एवं शिवशाही फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों सहित देश की अनेक विभूतियों ने उनको पुरस्कार ग्रहण करने के बाद फोन पर शुभकामनाएं और बधाई दी।



चीन की अर्थव्यवस्था - डुअल सर्कुलेशन मॉडल

चीन की सरकार, चीन की बड़ी कंपनियों, वहां के शेयर बाजार और दुनिया भर के निवेशकों के बीच तनावनी चल रही है या शतरंज की बाजी, कहना मुश्किल है।

अगर आपने चाइनीज चेकर्स खेला है तो समझिए वैसा ही कुछ चल रहा है, कब कौन किस तरफ से, किसके ऊपर से चाल चल देगा पता नहीं।

एक तरफ चीनी सरकार अपनी कंपनियों को टाइट कर रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले हफ्ते कहा कि सरकार को कंपनियों को रास्ता दिखाना चाहिए कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की आज्ञा का पालन करें।

उधर, सरकार ने टेक्नोलॉजी कंपनियों में आपसी मुकाबले के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। एक बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी के अफसरों को बुलाकर कंपनी का भारी कर्ज घटाने के लिए चेताया है और ख़बरें हैं कि जल्दी ही शराब कंपनियों की भी बारी आने वाली है।

इससे पहले स्टील, ई कॉमर्स और शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन के काम में लगी कंपनियों पर कोड़ा फटकारा जा चुका है।

हालात का अंदाजा इससे लगाइए कि टेक्नोलॉजी कंपनियों को काबू में रखने के इरादे से सरकार ने बच्चों के लिए निर्देश जारी कर दिया है कि वे हफ्ते में सिर्फ तीन दिन यानी शुक्र, शनि और रविवार को एक घंटे ही वीडियो गेम खेल सकते हैं।

इन तमाम खबरों का ही असर है कि निवेशकों के मन में चिंता बढ़ रही है और खासकर विदेशी निवेशक चीनी बाजार में जमकर बिकवाली कर रहे हैं।

चीन में आर्थिक विकास की तेज रफ्तार कई सालों से दुनिया को चौंकाती रही है। अमीरों की गिनती करने वाली हुरुन रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चीन में अरबपतियों की गिनती 1058 थी जबकि अमेरिका में सिर्फ 696।

यहां अरबपति का मतलब कम से कम एक अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाले लोग हैं।

विश्व बैंक ने भी माना है कि 1978 से अब तक चीन ने अस्सी करोड़ लोगों को गरीबी के चंगुल से बाहर निकाला है और अब देश की आधी आबादी मिडिल क्लास या मध्य वर्ग में शामिल है।

लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि

अभी उस देश में साठ करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं या वो महीने में करीब डेढ़ सौ डॉलर से कम पर ही गुजारा करते हैं।

गरीब अमीर की खाई चीन के लिए बड़ा संकट बन चुकी है और यह बढ़ भी रही है। अब सरकार जो कर रही है या जो इरादा जाहिर कर रही है उसमें गरीबों की मदद के लिए अमीरों की दौलत पर उसकी नजर साफ दिख रही है।



जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश में एक बड़े बदलाव की योजना बना रहे हैं जिसमें अमीरों से दौलत लेकर उसे देश के सभी लोगों में ज्यादा बराबरी से बांटने का मकसद है।

इरादा तो अच्छा है लेकिन अमीरों की नींद उड़ाने के साथ साथ इसने विदेशी निवेशकों का चैन भी ह्राम कर दिया है। हालांकि चीन की कुछ बड़ी कंपनियों ने तुरंत आगे आकर सरकार की इच्छा को मूर्त रूप देना शुरू भी कर दिया है।

टेंसेंट ने गरीबी हटाने या समृद्धि को बराबरी से बांटने की सरकार की योजना के लिए पंद्रह अरब डॉलर का योगदान देने का ऐलान कर दिया और उसके बाद अलीबाबा से भी इतनी ही रकम देने का ऐलान आया है।

मरता क्या न करता, जिन्हें चीन में धंधा करना है उनके लिए तो अब यही रास्ता बाकी है। खुद नहीं देंगे तो शायद सरकार और ज्यादा ले लेगी। लेकिन विदेशी निवेशकों के लिए तो भागने का रास्ता खुला है। और वो भी पता नहीं कब तक खुला रहेगा? इस डर से निवेशक और तेजी से भागते हैं। चीन के बाजार पर नजर रखने वालों का कहना है कि वहां भगदड़ ही मची हुई है। किसी एक ने शेयर बेचे तो देखा देवी बिकवाली की लाइन लग जाती है।

पिछले चार दशकों से चीन की अर्थव्यवस्था अपने निर्यात पर निर्भर है। लेकिन

अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग बदलाव चाहते हैं - अब वो अपने घरेलू बाजार को बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं ताकि एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाई जा सके।

अपनी नई योजना को उन्होंने 'डुअल सर्कुलेशन' का नाम दिया है। इस शब्द का प्रस्ताव पहली बार मई महीने में रखा गया था। अब ये आधिकारिक बयानों, भाषणों और सरकारी मीडिया की कमेंट्री का हिस्सा बन गया है।

अर्थव्यवस्था के इस नए मॉडल से जुड़ी विस्तृत जानकारीयां मौजूद नहीं हैं। इसका उद्देश्य 'घरेलू मार्केट में सर्कुलेशन' पर है यानी देश के अंदर ही उत्पादन, वितरण और खपत बढ़ाना और 'दुनियाभर में सर्कुलेशन' को जारी रखना यानी कि बाहरी दुनिया से चीन व्यापार करता रहेगा। अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार और तकनीकी युद्ध, सप्लाई चैन का चीन के बाहर जाना, बढ़ता संरक्षणवाद और कोविड-19 के कारण वैश्विक मांग में गिरावट ने चीन को इस दिशा में तेजी लाने के लिए मजबूर किया है।

'डुअल साइकिल' की अवधारणा 14 वीं पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी। 2021-2025 के लिए आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए इसे अगले महीने की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा।

टी शिनजुआ विश्वविद्यालय के जियांग शियाोजुआ बताते हैं, 'इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मार्केट के भरोसे नहीं चल सकती'।

'चीन के एक अखबार को दिए बयान में उन्होंने कहा, 'घरेलू बाजार पर ध्यान देना सिर्फ एक रणनीतिक प्लान नहीं है, ये अभी के समय की जरूरत भी है।'

नए विकास पैटर्न के काम करने के लिए घरेलू आय और खपत को बढ़ावा देना अनिवार्य होगा।

अगर ये सब हासिल हो भी जाता है, तब भी राह आसान नहीं होगी।

मजदूरी बढ़ाने के लुकसान भी हैं। ये चीन की निर्यात प्रतिस्पर्धा और अंतरराष्ट्रीय प्रसार को प्रभावित कर सकती है। ये भी चिंता जताई जा रही है कि चीन के अपने बाजार बड़े आकार के बावजूद देश की निर्माण क्षमता के मुकाबले छोटे हैं।

क्रिप्टोकॉरेंसी को लेकर संसद में बिल लाएगी सरकार, गिरा बाजार

क्रिप्टोकॉरेंसी का मुद्दा एक बार फिर लोगों की जुबान पर है। सरकार इस बारे में कई बैठकें कर चुकी है और अब वह संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा बिल लाने जा रही है। लेकिन बिल लाने की खबर से ही क्रिप्टोकॉरेंसी का बाजार गिर गया। भारत में लाखों लोगों ने क्रिप्टोकॉरेंसी में निवेश किया हुआ है।

इस बिल का नाम Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021 है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है।

यह बिल सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को भारत में रोकेंगा हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी होंगे। माना जा रहा है कि सरकार इस सत्र में इस बिल को पास कर देगी। सरकार का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी डिजिटल करेंसी को लांच करेगा।

18 नवंबर को सिडनी डायलॉग में दिए अपने भाषण में भी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था और कहा था कि सभी देश इस बात को सुनिश्चित करें कि क्रिप्टोकॉरेंसी गलत तथ्यों में न जाए। आरबीआई और सेबी भी भारत में

क्रिप्टोकॉरेंसी की बढ़ती रफ्तार पर चिंता जता चुके हैं।

सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि ऐसे निवेशक जिन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ है, उनका पैसा डूब सकता है। बीते कुछ दिनों से अखबारों में क्रिप्टोकॉरेंसी को लेकर आ रहे तमाम विज्ञापनों के बाद बड़ी संख्या में लोग क्रिप्टोकॉरेंसी को लेकर जानकारी ले रहे हैं और इसमें निवेश भी कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कई मंत्रालयों के और आरबीआई के अफसरों के साथ बैठक की थी। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने भी क्रिप्टोकॉरेंसी को लेकर जो चुनौतियां हैं, उस पर अफसरों के साथ बैठक कर लंबी बातचीत की थी। इस बैठक में यह आम सहमति बनी थी कि क्रिप्टोकॉरेंसी को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन इसे नियमित जरूर किया जा सकता है।

क्या है क्रिप्टो करेंसी?

यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर क्रिप्टोकॉरेंसी क्या है। क्रिप्टोकॉरेंसी डिजिटल मुद्रा है। यह रुपये, पाउंड, डॉलर या यूरो की तरह नोट

तो नहीं है जिसे जेब में रखा जा सकता है, लेकिन यह काम ऐसा ही करती है। यानी इसका मूल्य है। ठीक उसी तरह जिस तरह 10, 50, 100, 500 या 2000 रुपये के नोटों की कीमत है। क्रिप्टोकॉरेंसी कंप्यूटर के बेहद जटिल एल्गोरिथ्म कोड से बनाई गई करेंसी है और इसकी कीमत इसलिए है कि लोग इसके जरिये लेनदेन करते हैं और उन्हें इसमें भरोसा है।

कैसे करें इस्तेमाल?

क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए न तो किसी बैंक की जरूरत है और न ही किसी सरकार की निगरानी की। क्रिप्टोकॉरेंसी के जरिये बिना किसी रोक टोक के दुनिया भर में कहीं भी ऑनलाइन भुगतान भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कोई शुल्क भी नहीं लगता है। बस आपके पास इंटरनेट की सुविधा है और मोबाइल या लैपटॉप है तो क्रिप्टोकॉरेंसी से लेनदेन कर सकते हैं। मोबाइल पर क्रिप्टोकॉरेंसी से संबंधित ऐप खोलकर यह काम किया जा सकता है।

कच्चे तेल में बड़ा खेल

अमेरिका ने घोषणा की कि पेट्रोल के दाम कम करने के लिए वो अपने रणनीतिक भंडार से 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल जारी करेगा, ताकि इससे अमेरिकी लोगों को राहत मिले।

उसका यह ठोस कदम केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा। बाइडेन सरकार चीन, जापान, ब्रिटेन, भारत और दक्षिण कोरिया जैसी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी ऐसा करने के लिए मनाने में कामयाब रही जिस वजह से भारत भी अपने तेल रिजर्व भंडार से तेल बाजार में तेल भेजने को तैयार हुआ है। जाहिर सी बात है कि इससे बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिली।

पिछले डेढ़ साल से, तेल उत्पादक देशों के संगठन (ओपेक) के सदस्य देशों और रूस के बीच एक सहमति बनी हुई है। इसके जरिए कोरोना की वजह से तेल की मांग कम हो जाने के चलते दाम के काफी कम हो जाने के बाद इसका उत्पादन भी घटा दिया गया। कच्चे तेल के इन प्रमुख उत्पादकों की कोशिश है कि इसके दाम बढ़ाने के लिए बाजार को नियंत्रण

में रखा जाए।

अमेरिका ने ओपेक के सदस्य देशों को कोरोना का असर कम होने के बाद तेल का उत्पादन तेजी से बढ़ाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन इन देशों का कहना है कि वो अपने उत्पादन को धीरे-धीरे और सीमित मात्रा में ही बढ़ाएंगे।

विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका की सरकार ने ऐसे हालात से निपटने के लिए जो फैसला लिया है वो अभूतपूर्व है, इन लोगों की राय में, रणनीतिक भंडार के जरिए दाम घटाने की कोशिश से अमेरिका और ओपेक देशों के बीच तनाव पैदा हो सकता है।

यूरोशिया ग्रुप कंसल्टेंसी में एनजी, क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज के प्रबंध निदेशक राद अल कादिरि ने इस बारे में समाचार एजेंसियों को बताया, यह बहुत असामान्य कदम है

अमेरिका ने पहले जब कभी एसपीआर से तेल जारी करने का फैसला किया तब इसकी आपूर्ति में कोई बड़ी रुकावट आई थी। इसने 2011 में ऐसा किया, तब लीबिया में गद्दफी

शासन के अंत के बाद वहां से तेल का निर्यात रुक गया था। अल कादिरि कहते हैं, अमेरिका ऐसे ही वक्त पर इन भंडारों का उपयोग करता है। अमेरिका ने अतीत में एसपीआर से कम मात्रा में तेल की निकासी की। उसने हमेशा तेल की आपूर्ति में रुकावट होने पर ही ऐसा किया। दाम घटाने के लिए या इतनी बड़ी मात्रा में उसने तेल की निकासी कभी नहीं की। अल कादिरि यह भी बताते हैं कि अमेरिका ने ऐसा कदम 2008 में नहीं उठाया था, जबकि तेल के दाम तब करीब 150 डॉलर प्रति बैरल के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गए थे। अभी तो एक तेल की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से थोड़ा ही अधिक है।

वैसे अमेरिका भी तेल के खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, शेल गैस जो चट्टानों में पाई जाती है, उसने अमेरिका को आयातक से निर्यातक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अमेरिका इस स्थिति में है कि दो तीन महीनों तक वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दुनियाभर की तेल की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

अवधेश प्रताप सिंह

अफगानिस्तान पर भारत की पहल

● केएस तोमर

मध्य एशिया में चीन का मुकाबला करने की अपनी दीर्घकालीन महत्वाकांक्षा के अलावा अफगानिस्तान में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए भारत को धैर्यपूर्ण कूटनीतिक नीति को अपनाने की सख्त आवश्यकता है, जो अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की सफलता के बाद व्यावहारिक रूप ले सकती है, जिसमें भारत समेत आठ देशों ने हिस्सा लिया था।

दिल्ली घोषणा भारत की भावी नीति के लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यह दोहा वार्ता के विपरीत भारत को हमेशा अफगानिस्तान पर प्रासंगिक वार्ता के दायरे में रखेगी, जब अफगानी उथल-पुथल और हिंसा के युद्धरत गुटों ने पहली बार 23 सितंबर, 2020 को औपचारिक रूप से आमने-सामने बैठकर उस संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत शुरू की, जिसे अब दुनिया के सबसे घातक संघर्ष के रूप में माना जाता है।

लेकिन इसकी मुख्य पहचान अमेरिका पर दबाव बनाकर भारत को अलग-थलग करने में पाकिस्तान की सफलता थी, जिसका उतना लाभ नहीं मिला, जितनी अपेक्षा थी, क्योंकि तालिबान ने दोहा समझौते का उल्लंघन करके अमेरिका को धोखा दिया। विश्लेषकों का मानना है कि आठों देश काबुल में समावेशी सरकार की आवश्यकता पर जोर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जो सितंबर में दुशांबे में हुई शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक से एक कदम आगे होगा, जिसमें आतंकवाद, आतंकवाद के वित्त पोषण और कट्टरपंथ के खिलाफ तल्लख भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिससे राष्ट्रीय सुलह को बढ़ावा मिला।

विश्लेषकों का यह भी मानना है कि भारत सरकार द्वारा तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के सफल आयोजन से, जिसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान,



तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान के सुरक्षा प्रमुखों ने भाग लिया, पाकिस्तान परेशान हुआ होगा। उसने पड़ोसी देशों के सुरक्षा प्रमुखों की इस महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा बनने के निमंत्रण को टुकरा दिया था, इसलिए उसने तुरंत पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका को शामिल करते हुए 'द ट्रोइका प्लस' की बैठक बुलाई थी, जिसने तालिबान से अफगानिस्तान में एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार बनाने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है, जो नए शासन के करीब रहने की जिज्ञासा को दर्शाता है। यह आह्वान तालिबान के रुख के विपरीत किया गया है।

इसने अफगानी समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों को भाग लेने के लिए समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जो उनके साथ तालिबान के क्रूर व्यवहार की मौजूदा सच्चाई की तुलना में वास्तविकता से बहुत दूर है। चीन ने भी नई दिल्ली में आयोजित सुरक्षा वार्ता में शामिल नहीं होने का एक लचर बहाना दिया था। चीन का यह बहाना ऐसे समय में आया, जब पूर्वी लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध को लेकर चीन-भारत

द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हैं।

चीन हमेशा पाकिस्तान को आगे रखना चाहता है, हालांकि वह अपनी आर्थिक तंगी के कारण अफगानिस्तान की मदद करने की स्थिति में नहीं है और लगातार अपने हितैषी 'चीन' पर निर्भर है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की नकारात्मकता को अमेरिका द्वारा कूटनीति के बुरे उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि भारत द्वारा की गई पहल की सराहना की जानी चाहिए और बाधाएं खड़ी करना अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है, जो महामारी का भी सामना कर रहे हैं।

वार्ता के बाद सात देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के प्रमुखों ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन प्रतिभागियों की प्रशंसा की, जिन्होंने महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इसे संभव बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान के संदर्भ में चार पहलुओं पर जोर दिया, जिन पर इस क्षेत्र के देशों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिनमें एक समावेशी सरकार की आवश्यकता, अफगान क्षेत्र का

अमेरिकी ड्रोन से बढ़ेगी भारत की मारक क्षमता

इस ड्रोन को प्रीडेटर सी एवेंजर या आरक्यू-1 के नाम से भी जाना जाता है।

घातक मिसाइलों से लैस ये ड्रोन लंबे समय तक हवा में निगरानी कर सकते हैं। इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर इसमें लगी मिसाइलें दुश्मनों के जहाजों या ठिकानों को निशाना भी बना सकती हैं। इस ड्रोन को प्रीडेटर सी एवेंजर या आरक्यू-1 के नाम से भी जाना जाता है।

चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। इस दिशा में जहां भारत ने रूस से ₹-400 की खरीदारी की है, जिसकी आपूर्ति भारत को शुरू कर दी गई है। वहीं अब भारत सरकार ने अमेरिका से एमक्यू-1 प्रीडेटर-बी ड्रोन की 30 यूनिट को खरीदने की हरी झंडी दे दी है। इसकी कीमत करीब 3 अरब अमेरिकी डालर (करीब 22,000 करोड़ रुपये) होगी। दिसंबर महीने में भारत व अमेरिका के बीच होने वाले 2+2

मंत्रिस्तरीय वार्ता से पहले जनरल एटामिक्स से प्रीडेटर-बी ड्रोन को खरीदने का ऑर्डर दिया जा सकता है। भारत सरकार इस सौदे से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को 2021 में ही पूरा करना चाहती है, ताकि जल्द से जल्द इसे खरीदा जाए। इन 30 ड्रोन में से भारतीय थलसेना, वायु सेना और नौसेना को 10-10 ड्रोन देने की योजना है। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ

तनाव और जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद प्रीडेटर-बी ड्रोन की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

जून महीने में जम्मू वायुसेना स्टेशन पर हमले को अंजाम देने के लिए विस्फोटकों से लदे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। भारत में महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की मानव रहित हवाई वाहनों के इस्तेमाल की ऐसी पहली घटना थी। 2019 में अमेरिका ने भारत को सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी थी। यहां तक कि एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की भी पेशकश की थी।

भारत को खतरनाक ड्रोन की जरूरत

घातक मिसाइलों से लैस ये ड्रोन लंबे समय तक हवा में निगरानी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसमें लगी मिसाइलें दुश्मनों के जहाजों या ठिकानों को निशाना भी बना सकती हैं। इस ड्रोन को प्रीडेटर सी एवेंजर या आरक्यू-1 के नाम से भी जाना जाता है। चीन के विंग लांग ड्रोन-2 के हमला करने की ताकत को देखते हुए नौसेना को ऐसे खतरनाक ड्रोन की जरूरत महसूस हो रही है। यह ड्रोन मॉडिलने के बाद

पाक और चीन के मुकाबले भारतीय सेना काफी मजबूत हो जाएगी।

दो मिसाइलों से दुश्मन को कर सकता है बर्बाद

इस ड्रोन की कई खासियतें हैं, जो दुनिया के अन्य ड्रोन से अलग करती हैं। यह ड्रोन 204 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। 25 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाते। इस ड्रोन में दो लेजर गाइडेड एजीएम-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसे आपरेट करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, जिसमें से एक पायलट और दूसरा सेंसर आपरेट है। वर्तमान में अमेरिका के पास यह 150 ड्रोन उपलब्ध हैं।

हवा में 35 घंटे तक मंडराने में है सक्षम है प्रीडेटर

इस ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जनरल एटामिक्स एयरोनाटिकल सिस्टम ने बनाया है। इस ड्रोन में 115 हर्सपावर की ताकत प्रदान करने वाला टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। 8.22 मीटर लंबे और 2.1 मीटर ऊंचे इस ड्रोन के पंखों की चौड़ाई 16.8 मीटर है। 100 गैलन तक की तेल की क्षमता होने के कारण इस ड्रोन का फ्लाइट इंज्यूरेंस भी काफी ज्यादा है।

तीन हजार किमी तक भर सकता है उड़ान

नया प्रीडेटर अपने बेस से उड़ान भरने के बाद 1800 मील (करीब 2,900 किलोमीटर) उड़ भर सकता है। इसके मायने यह है कि अगर उसे मध्य भारत के किसी एयरबेस से आपरेट किया जाए तो वह जम्मू-कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सीमा तक नजर रख सकता है। यह ड्रोन 50 हजार फीट की ऊंचाई पर 35 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा यह ड्रोन 6500 पाउंड का पेलोड लेकर उड़ सकता है।

प्रीडेटर सटीक निशाना लगाने में माहिर

प्रीडेटर सी एवेंजर में टर्बोफैन इंजन और स्टील्थ एयरक्राफ्ट के तमाम फीचर हैं। ये अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने के जाना जाता है। भारतीय सेना वर्तमान में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए इजराइल से खरीदे गए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन फाइटर जेट की रफ्तार से उड़ते हैं। अमेरिका से इन ड्रोन्स के मिलने के बाद भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन पर भी नजर रख सकेगा। सर्विलांस सिस्टम के मामले में भारत इन दोनों पड़ोसी देशों से काफी आगे निकल जाएगा।





आतंकी समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के प्रति शून्य-सहिष्णुता का रुख, अफगानिस्तान से मादक पदार्थों एवं हथियारों की तस्करी रोकने की रणनीति और अफगानिस्तान में तेजी से मानवीय संकट को संबोधित करना शामिल था। मोदी का बयान उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है, जो अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करने और उनके साथ खड़े होने के भारत के प्रयासों को विफल करना चाहते हैं।

भारत ने पिछले 20 वर्षों के दौरान शिक्षा,

स्वास्थ्य आदि जैसे विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में पहले ही 2,300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, और इस देश के लोगों की सद्भावना अर्जित की है, जो सबसे भीषण भूख के संकट का सामना कर रहे हैं। भारत ने एक महीने पहले ही पाकिस्तान से भूमि मार्ग से खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा देने का अनुरोध किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था।

लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान से कहा है कि

पाकिस्तान अफगान लोगों के अनुरोध पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा, जिससे वहां के लोग भारत से गेहूं प्राप्त कर सकेंगे। इससे कूटनीतिक रूप से भारत को मदद मिलेगी और पाकिस्तान के बुरे इरादे उजागर होंगे। चीन, तुर्की जैसे कुछ देशों ने पहले ही अफगानिस्तान के भूखे लोगों को भोजन वितरित करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान अब काबुल तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से ट्रकों की आवाजाही पर काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और चीन द्वारा वार्ता में भाग लेने से इन्कार करना भारत के प्रति उनकी शत्रुता को दर्शाता है, जिसने दुनिया को दिखाया है कि मध्य एशिया में कुछ देशों की दुश्मनी के बावजूद भारत अब भी अफगानिस्तान के मामलों में धैर्य के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

शीर्ष अधिकारी स्वीकार करते हैं कि एनएसए अजित डोभाल के कुशल प्रबंधन ने भी सुरक्षा बैठक की सफलता में योगदान दिया, जिसे कूटनीति में एक मील का पत्थर माना जा रहा है, क्योंकि भारत की भूमिका अफगानिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे पाकिस्तान और चीन द्वारा कमजोर किया जा रहा है। अंत में, यही कहा जा सकता है कि भारत को तालिबान शासन के प्रति तीखे मतभेदों के बावजूद अफगानिस्तान में अपनी स्पष्ट भूमिका को परिभाषित करने की आवश्यकता है, जो अब भी अंतरराष्ट्रीय मान्यता पाने के लिए जूझ रहा है। ■

मौलिक भारत और डाइलॉग इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के करीबी श्री अरविंद कुमार शर्मा (सदस्य विधानपरिषद, उत्तर प्रदेश) का स्वागत करते विशिष्ट संपादक अमित त्यागी



एफडीआई की तेज आवक बदलेगी भारत की तस्वीर

इकबाल का एक शेर है 'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-जमाँ हमारा.' कोरोना जैसी भीषण वैश्विक महामारी से जूझते हुए भारत को लेकर दुनिया भर के निवेशकों का रुख सकारात्मक बना हुआ है। उन्हें भारत में अपना पैसा निवेश करने पर बेहतर रिटर्न की उम्मीद बंधी रहती है। यह गवाही है कि हमारी अर्थव्यवस्था चट्टान की तरह मजबूत हो चुकी है। अगर यह बात सच न होती तो अप्रैल से दिसंबर, 2020 के दौरान, 67.54 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष पूंजी निवेश (एफडीआई) देश में ना आया होता। यह किसी वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में आया सबसे अधिक एफडीआई है। वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीनों के दौरान, एफडीआई में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जो कि इस अवधि में 51.47 अरब अमेरिकी डॉलर था। बहुत ज्यादा आंकड़ों के सहारे बात नहीं करेंगे।

दरअसल भारत में एफडीआई सरकार की नीतियों और कुछ सेक्टरों के बेहतर प्रदर्शन करने के कारण आ रहा है। यह बात निर्विवाद है। पहले जान लेते हैं कि एफडीआई क्या है? इसका मतलब क्या होता है? भारत की अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश कैसे लाभ पहुंचाता है? दर असल किसी विदेशी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किसी भारतीय कंपनी में लगने वाले पैसे को विदेशी निवेश कहा जाता है। विदेशी निवेशक उस कंपनी के शेयर या बांड खरीद सकता है या अपना कोई उद्योग लगा सकता है।

याद रखें कि विदेशी निवेशक अपने पैसे को स्वदेश वापस ले जाने के लिए आजाद है। मतलब किसी भी दूसरे देश की परियोजना या कंपनी में किया जाने वाला निवेश एफडीआई है। यह सीधा निवेश होता है और लंबी अवधि के लिए होता है। भारत के चौतरफा विकास में एफडीआई का अहम रोल रहता है। इसके आने से देश का चौतरफा विकास होता है। यह बिना कर्ज लिए पूंजी जुटाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। यह भी जान लें कि एफडीआई 'ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड' होती है। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश कर अपना नया उद्योग लगाती है तो उसे 'ग्रीनफील्ड' एफडीआई कहते हैं, लेकिन जब विदेशी कंपनी भारत में पहले से ही चल रहे कारखाने या ब्रांड में हिस्सेदारी खरीदकर या अधिग्रहण

कर उसके मैनेजमेंट पर अपना नियंत्रण हासिल कर लेती है तो उसे 'ब्राउनफील्ड' एफडीआई कहा जाता है।

दरअसल सरकार का प्रयास रहा है कि वह एक सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू करे। अगर बात साल 2014 से करें तो इस दिशा में उठाए गए कदमों का परिणाम है कि देश में एफडीआई प्रवाह लगातार, रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ता जा रहा है। भारत में सबसे अधिक एफडीआई आ रही है इंफोरमेशन टेक्नालॉजी (आईटी) सेक्टर में। सबको पता है कि इस सेक्टर ने भारत की किस्मत बदल दी है। देश के करोड़ों नौजवान आईटी सेक्टर से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ये सब बेहतर सैलरी लेकर अपने परिवारों का जीवन भी सुधार रहे हैं। भारत चाहे तो कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, आटो वगैरह

बन भी जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में कोविड की दूसरी लहर के बावजूद भारत में एफडीआई की आवक साबित करती है कि निवेशक हमें पसंद करने लगे हैं।

अब यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक एफडीआई पहुंची है। इस लिहाज से कर्नाटक सबसे आगे है। वित्त वर्ष 2021-22 (जुलाई, 2021 तक) के दौरान कुल एफडीआई 45 प्रतिशत हिस्से के साथ कर्नाटक में सबसे ज्यादा आया। इसके बाद महाराष्ट्र (23 प्रतिशत) और दिल्ली (12 प्रतिशत) का स्थान रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र भारत की अर्थव्यवस्था की आत्मा हैं। कर्नाटक तो भारत की आईटी राजधानी है। इसका एफडीआई हासिल करने में पहला स्थान हासिल करना हैरान नहीं करता। वहां पर ही हैं देश की चोटी की आईटी कंपनियां। यह सब जानते हैं। बेशक

महाराष्ट्र आजादी के बाद से ही देश का सबसे प्रमुख औद्योगिक राज्य रहा है। समय के साथ हुई इनकी आर्थिक प्रगति ने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान की है। नब्बे के दशक में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण का लाभ उठाते हुए इसने अपनी जीडीपी को मजबूत बनाया और वर्तमान में जीडीपी के हिसाब से महाराष्ट्र देश का सबसे अग्रणी राज्य है। आज पाकिस्तान से बड़ी है महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था। महाराष्ट्र की जीडीपी का आकार पाकिस्तान की जीडीपी से अधिक है। ना केवल पाकिस्तान बल्कि मिस्र और दुनिया के 38 अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था बड़ी है। टैक्स संग्रहण के मामले में भी महाराष्ट्र सबसे अग्रणी है। देश के अन्य राज्यों को भी इन सबों के हिसाब से चलना होगा। वे केन्द्र के रहमों करम पर नहीं रह सकते। देश के बाकी राज्यों को ठोस प्रयास करने होंगे कि उनके राज्यों में भी भारी एफडीआई आए। यह जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आती है। उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। हमें एफडीआई की ताजा आवक से खुश नहीं होना। अभी संतोष करने का वक्त नहीं है। अभी तो मंजिल बहुत दूर है।

आर.के. सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तम्भकार और पूर्व सांसद हैं।)



सेक्टरों में मोटा एफडीआई आकर्षित कर सकता है। इस तरफ गौर करना होगा। हाथ धर करके नहीं बैठा सकता।

सरकार को पता है कि बिना मोटा एफडीआई देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए सरकार अनेक कदम उठाती रही है। भारत में जिस गति से एफडीआई आ रही है, उससे साफ है कि वैश्विक निवेशकों के बीच भारत एक पसंदीदा निवेश की जगह के तौर पर स्थापित हो चुका है। यह बात संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से सामने आई है। हमें अब कोशिश करनी होगी कि हम दुनिया के पहले उन तीन देशों में आ जाएं जिन्हें सबसे ज्यादा एफडीआई मिलती है। अभी हमारा स्थान पांचवां है। हमें पहले तीसरे स्थान पर और फिर पहले स्थान के लिए कोशिश करनी होगी। कोशिश करेंगे तो बात

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी)

एक ओर जहां आम आदमी पहले से महंगाई की मार झेल रहा है, वहीं पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों ने उसका घुमना-फिरना भी मुहाल कर दिया है। ऐसे में लोग अपने पेट्रोल और डीजल के वाहनों को घर से बाहर निकालने से पहले कई बार सोचते हैं। इसके साथ ही लोग इलेक्ट्रिक वाहनों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) की बढ़ती मांग को देखते हुए कई नई विदेशी कंपनियां भी भारत में एंट्री कर रही हैं।

देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स का कहना है कि साल 2025 तक उसकी कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 25 फीसदी तक पहुंच जाएगी। हालांकि मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक कार खरीदना अभी भी काफी महंगा सौदा है। देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सन ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14 लाख रुपये है।

पुरानी पेट्रोल और डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार बनाने

एसे में अगर एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना आपके बजट में फिट नहीं बैठती है, तो आप अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलवा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट्स बनाने वाली कई कंपनियां पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही वे कन्वर्ट की गई इलेक्ट्रिक कार पर वारंटी भी देती हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं इस काम में कितना खर्च होगा और इलेक्ट्रिक कार में कितनी इजॉइविंग रेंज मिलेगी। इसके साथ पेट्रोल कार की तुलना में इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करने पर रोजाना कितना खर्च आएगा और कितने समय में यह पैसा वसूल हो जाएगा।


कौन-कौन सी कार हो जाएगी कन्वर्ट

पुरानी पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलने का काम करने वाली अधिकतर कंपनियां हैदराबाद में हैं। इनमें श्वेडिश (ईट्रायो) और ह्यूंडैक (नॉर्थवेस्ट) दो मशहूर कंपनियां हैं। यह दोनों कंपनियां किसी भी पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदल देती हैं। आप वैनआर, ऑल्टो, डिजायर, टु10, स्पाक या अन्य किसी भी पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलवा सकते हैं। कारों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक किट लगभग एक

जैसी होती हैं। हालांकि रेंज और पावर बढ़ाने के लिए बैटरी और मोटर में अंतर आ सकता है। इन कंपनियों से आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए संपर्क कर सकते हैं। यह कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बेचती भी हैं।

कितना होगा खर्च

किसी भी कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए मोटर, कंट्रोलर, रोलर और बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी कार को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराने का खर्च इस पर निर्भर करता है कि उसमें कितने किलोवाट (किलोवाट) की बैटरी और कितने किलोवाट का मोटर लगवाना है। क्योंकि इन दोनों पार्ट्स पर



कार की पावर और इजॉइविंग रेंज निर्भर होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कार में लगभग 20 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर और 12 किलोवाट की लिथियम आयन (स्कू-टूथ) बैटरी लगवाएंगे तो इसका खर्च करीब 4 लाख रुपये तक होता है। वहीं, अगर 22 किलोवाट की बैटरी लगवाएंगे, तो इसका खर्च करीब 5 लाख रुपये होगा।

कितनी मिलेगी इजॉइविंग रेंज

किसी इलेक्ट्रिक कार की इजॉइविंग रेंज कितनी होगी यह इस पर निर्भर होती है कि उसमें कितने किलोवाट की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कार में 12 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है तो ये फुल चार्ज होने पर करीब 70 किमी तक चलेगी। वहीं, अगर 22 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है कार की इजॉइविंग रेंज बढ़कर 150 किमी तक हो जाएगी। हालांकि, रेंज कम या ज्यादा होने में मोटर की भूमिका भी होती है। अगर मोटर ज्यादा पावरफुल होगी तो कार की इजॉइविंग रेंज कम हो जाएगी।

कैसे कन्वर्ट होती है कार

जब किसी पेट्रोल-डीजल की कार को इलेक्ट्रिक कार में बदला जाता है तो सभी पुराने मैकेनिकल पार्ट्स को बदला जाता है। यानी कार के इंजन, पयूल टैंक, इंजन तक पावर पहुंचाने वाली कंबल और दूसरे पार्ट्स के साथ एयरकंडीशन के कनेक्शन को भी बदला जाता है। इन सभी पार्ट्स को इलेक्ट्रिक पार्ट्स जैसे मोटर, कंट्रोलर, रोलर, बैटरी और चार्जर से बदला जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्य को करने में कम से कम सात दिनों का समय लग जाता है। सभी पार्ट्स कार के बोनट के नीचे ही लगाए जाते हैं। वहीं, बैटरी की लेयर कार की चैसिस पर फिक्स की जाती है। बूट स्पेस पूरी तरह खाली रहता है। इसी तरह पयूल टैंक को हटाकर उसकी कैप पर चार्जिंग पोइंट लगाया जाता है। कार के मॉडल में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाता है।

कार चलाने का खर्च

आपको अपनी पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कराने के लिए 5 लाख रुपये खर्च करने होंगे। मगर ये पैसा आप 5 साल से कम समय में वसूल कर लेंगे। इलेक्ट्रिक कार 75 किमी तक की रेंज देती है। इस तरह चार्जिंग पर आपको सिर्फ 1120 रुपये हर महीने खर्च करने होंगे। जबकि पेट्रोल पर मासिक खर्च 10090 रुपये होता है।

एक किमी पर खर्च

इलेक्ट्रिक कार में एक किमी पर सिर्फ 74 पैसे खर्च होते हैं। इस तरह आप 74 रुपये में 100 किमी का सफर कर सकते हैं। जबकि आज के समय में प्रति लीटर पेट्रोल 74 रुपये से कहीं ज्यादा महंगा है।

कंपनी देती है वारंटी

पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियां 5 साल की वारंटी भी देती हैं। यानी कार में इस्तेमाल की गई किट पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। इसके साथ ही कंपनी बैटरी पर भी 5 साल की वारंटी देती है। बता दें कि पेट्रोल और डीजल कार चलाने पर सालाना सर्विसिंग का खर्च भी होता है। कंपनी किट और सभी पार्ट्स का वारंटी सर्टिफिकेट भी देती है। इसे सरकार और फर्ह से मंजूरी मिली हुई है।

भईया जी का दाल-भात परिवार

मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं – शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती।

भईया जी का दाल-भात परिवार का तृतीय भव्य वार्षिकोत्सव सम्पन्न।

प्रयागराज में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने की पहले नही थी कोई व्यवस्था शंकराचार्य।

‘भईया जी के दाल-भात’ परिवार के तीसरे स्थापना दिवस पर गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट लेटे हुए हनुमान मन्दिर बंधवा संगम छेत्र में उमड़ा हुजूम।

प्रयागराज। मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। उसमें भी किसी भूखे और जरूरतमंद को भोजन कराना सबसे बड़ा तप और दान है। ‘भईया जी का दाल-





“भय्या जी का दाल- भात” एक बड़ा सेवा कार्य संगम तट पर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पास हर दिन शाम को 1000 से 1200 तक लोगों को निशुल्क “दाल- भात का वितरण कई वर्ष से अनवरत चल रहा है। कार्यक्रम के संचालक किसी से इस कार्य के लिए दान नहीं माँगते, हॉ जानने वाले स्वयं अपनी इच्छा से जो दे देते हैं उसी से कार्य को गति दी जाती है। भाई यशवंत जी के माध्यम से इस कार्यक्रम की पूरी समिति से सपरिवार भेंट हुई।

भात ‘ परिवार ने प्रयागराज में यह कार्यक्रम शुरू करके बहुत बड़ा काम किया है।

उक्त बातें शंकराचार्य वासुदेवानन्द सरस्वती ने शनिवार को ‘भय्या जी का दाल-भात’ परिवार की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कहीं। संगम तट पर बांध के नीचे आयोजित कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ देख शंकराचार्य जी चकित रह गए। उन्होंने कहा कि माघ मेले के दौरान इधर से गुजरते हुए भोजन के लिए लोगों की लंबी कतार अक्सर देखते थे। मगर यह नहीं जानते थे कि यह कार्यक्रम इतने व्यापक स्तर पर चल रहा है। निश्चित रूप से यह सबसे बड़ी सेवा है। सभी को इस संस्था से जुड़े लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। क्योंकि मानव सेवा ही सच्ची पूजा और

यज्ञ है। इस अवसर पर उन्हें संस्था की ओर से जो भी समर्पित किया गया उसको उन्होंने संस्था को यह कहते हुए वापस कर दिया कि इसे भी मानव सेवा में उपयोग कर लिया जाए।

कथावाचक शान्तनु महाराज ने शंकराचार्य जी का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक ऐसा परिवार है जिसके लोग नाम की चाह नहीं रखते बल्कि उनके मन मष्तिष्क में प्रत्येक पल सिर्फ यही रहता है कि भारत को कैसे भूख मुक्त किया जाए। इन्होंने भी अपनी दक्षिणा संस्था को वापस कर दी।

बता दें कि तीन साल पहले नवम्बर 2019 में इस संस्था से जुड़े लोगों ने भारत को भूखमुक्त बनाने के संकल्प के साथ ‘ भय्या जी का दाल-भात’ परिवार नामक संस्था का गठन किया। तब से यह संस्था लगातार भूखों और जरूरतमंदों को

भोजन उपलब्ध कराने में पूरी सेवा और तन्मयता के साथ जुटी है। संस्था के लोगों की सेवा और संकल्प को देखकर तमाम लोग स्वतः अब इस परिवार से जुड़ने लगे हैं। यह लोग अपने यहां होने वाले जन्मदिन, सादी की साल गिरह, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि, या कोई भी खुशी या गम के मौके पर आयोजनों के कार्यक्रम अब यहीं जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराना बेहतर समझने लगे हैं।

इस समारोह का शुभारंभ जगद्गुरु शंकराचार्य के पहुंचने पर मंगलाचरण और स्वस्तिवाचन से हुआ। इसके बाद लोगों ने स्वामी जी को पुष्पमाला अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संस्था की ओर से विशिष्ट अतिथि के रूप में संत प्रवर आचार्य शान्तनु जी महाराज रहें स्वामी जी सहित अतिथियों को अंगवस्त्रम और फल भेंट किये गए। इसके बाद संस्था के सदस्य अनिल पांडेय जी ने बहुत ही संक्षिप्त रूप में उद्देश्यों और कार्यों की जानकारी दी।

समारोह में हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस न्यायमूर्ति शेखर यादव जी, सांसद केशरी देवी पटेल जी, राज्यसभा सांसद रेवती रमण सिंह जी, पूर्व मंत्री विधायक विक्रमाजीत मौर्य, विधायक हर्षवर्धन बाजपेई, हाई कोर्ट बार एशोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्रनाथ सिंह, सीनियर अधिवक्ता राधाकान्त ओझा, आर के पाण्डेय एडवोकेट, संजीव कुमार यादव (भदोही), विसम्भर द्विवेदी आदि विशिष्टजन मौजूद रहे।

जय दाल भात ओरिवर,
जय प्रयागराज महाराज ॥



मीना
जी

जागो भारत जागो : प्रणाम का आह्वान

प्रणाम अभियान विगत कई वर्षों से इसी उद्देश्य के लिए कर्मरत है और निरंतर आह्वान कर रहा है कि कलियुग में केवल जागरूकता ध्यान व कर्म, आंतरिक व बाह्य दोनों ही, पार लगाएंगे। जागरूक होना है व चैतन्य रहना है उन सभी घटनाओं और विधाओं के प्रति जो प्रकृति विश्व देश व मानव के स्तर पर घटित हो रही हैं।

सब कुछ परम बोधि-सुप्रीम इंटेलेजेंस की सुनियोजित और सुनिश्चित व्यवस्था व अटूट कड़ी के परिणाम स्वरूप ही मूर्तरूप लेता है। तो यह प्रश्न करना कि ऐसा क्यों हुआ ? या हो रहा है... सर्वथा व्यर्थ ही है। कलियुग में सत्य को केवल अपने सत्य पर पूरी निष्ठा व कर्मठता से टिके रहना होगा। जहां कहीं भी सत्ययोग व कर्मयोग का महायज्ञ चल रहा है वहां पूर्ण सहयोग की आहुति देनी ही होगी अन्यथा तटस्थता भी भयावह कष्ट का कारण बनेगी। सबसे सकारात्मक तथ्य यह है कि सत्य को झूठ से लड़ने उसके सम्मुख होकर सामना करने, वाद विवाद करने की और ना ही आलोचना या व्याख्या करके व्यर्थ में उसकी ऊर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है। केवल पूर्णतया शान्तचित्त होकर ध्यान लगाना है तथा जो भी उचित व समयानुसार सबके लिए कल्याणकारी और मंगलमय है उस परिदृश्य का मानसिक चित्रण करके अपनी सम्पूर्ण एकाग्रता से प्रार्थना करना भी अनुपम योगदान होगा। ध्यान अत्यंत आवश्यक है इसी से सभी परिस्थितियों का कारण निदान व उनके लिए व्यक्तिगत कर्म स्पष्टता से समझ आने लगेगा। प्रत्येक उचित अनुचित व अवांछनीय घटनाओं के औचित्य का भी भान होगा। उत्तर प्रत्युत्तर व शब्दों की भरमार से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। "होइहि सोइ जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै साखा" -रामायण। यह समझ में आना अनिवार्य है कि सभी परिस्थितियां हमारे कर्म धुलवाने और हमें जागृत कर उन्नत होने को ही घटित होती है। यदि हम इनसे शिक्षा लेकर कर्मरत नहीं होते तो बार-बार दुहराई जाती है। पर अब गलतियां दुहराने का समय कलियुग नहीं देने वाला।

एक बात भारतीयों से- सनातनी हिन्दू स्पष्टता से माने और कहें, हमें अपने सत्य सनातनी होने पर गर्व है। कभी सोचा अन्य धर्मों के अनुयायी कभी भी अपने धर्म व स्वजाति वालों की बुराईयां नहीं करते



चाहे कितनी ही घृणित आतंकी गतिविधियों या जघन्य अपराधों में लिप्त क्यों न हों। ना जाने किस व्यक्तिगत लाभ हेतु हिन्दू ही क्यों प्रसार माध्यमों में भी दूसरों की कपटता की भरपूर वकालत करते हैं। हमारी इसी स्वार्थी मानसिकता ने हमें सदियों पराधीन रखा अब तो एकजुट होओ। शाश्वत सनातन सत्य धर्म का ज्ञान विज्ञान और महत्व जानकर अपनी मातृभूमि भारत के गौरव की पुनर्स्थापना करो।

स्वाभिमानी स्वावलम्बी और राष्ट्रप्रेमी बनो, किसी स्वार्थ लोभ या सत्तासुख की भूल भुल्लैया में राष्ट्र को दुर्बल करने वाली विपरीत शक्तियों के हाथ का खिलौना ना बनो अन्यथा समय की जो धारा बह रही है वह तुम्हें तिनके की भांति किनारे लगा ही देगी। श्री विवेकानन्द श्री अरविन्द आदि महान आत्माओं के स्वप्नों का भारत केवल दूरदृष्टि ही न रह जाए। इसलिए सही भाव सही सोच व एकता का महत्व जानो। अनिष्टकारी शक्तियों को हावी न होने दो।

समय सभी संकेत दे रहा है जब एक जैसी धारणा वाले एकजुट हो जाएंगे तो झूठ ही झूठ को मार लेगा सत्य को केवल अपनी सत्यता पर स्थित-दृढ़ रहकर असत्य से असहयोग व सत्यता से सहयोग करना है। तो समय की मांग व पुकार पर उठो कर्मरत होओ ताकि भारत का गौरव पुनःस्थापित हो तथा भारत जगद्गुरु प्रतिष्ठित हो।

जय सत्येश्वर!!

- प्रणाम मीना ऊँ

grin
GRAPHICS

designing
printing
colour print

All types of advt. booking

(Newspapers, Magazines, Unipole Sign, Metro Display)



Office : B-2, 3-4, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi, Contact : 011-43572907, 9968748460, 7503951103/06
Press : G-123, Near MCD Office, Gazipur, Delhi - 110096, Contact : 9968748460, 8700235930

Consistent Journey of Rating ...

Career Portal : www.dialogueindiaacademia.com

राष्ट्रवादी पत्रकारिता की सतत् यात्रा ...

News Portal : www.dialogueindia.in

***** प्रतिबन्ध को चाह - संवाद को राह

INDIA DIALOGUE INDIA UAE
Career Dialogue...
DIALOGUEINDIA
India's BEST INSTITUTIONS
National Ranking
101
NCA
Academia Conclave

Governmental Institutions
Private Institutions
Primary Schools
Un Colleges
Mass Communication
Medical Institutions
Sports
Specialized Top 100 Colleges

Group Institutions
Private Institutions
Public Institutions
Private Institutions
Public Institutions

For more information visit : www.dialogueindiaacademia.com

12 Year of Success

GET RANKED AMONGST THE TOP COLLEGES IN INDIA

Participate in the Dialogue India National Ranking & Awards for India's Best Colleges / Universities - 2020

INDIA'S BEST INSTITUTIONS
National Ranking

DIALOGUEINDIA
Academia Conclave

संख्या 304
अप्रैल में जारी है मासिक का पत्र
संख्या 305
संख्या 306
संख्या 307

डायलॉग इंडिया
बाजी पलटने की जिद
विपक्षी नेतृत्व का हठ
राहुल का ममता

Our Other Initiative

GLOBAL CHAMBER OF SIEG

Dream
A Leading Institute for
Bank / SSC / Railways / LIC / BIC / IBA /
CIS / CPE & Other Competitive Exams

Career Plus
A Leading Institute for IAS / IFS
After English Language
Subject : G.S. / ESSY / P.A. / HISTORY
/ GEOGRAPHY / SUBSBOT LIT. / HINDI LIT.

Career Plus SKILLS
INSTITUTE OF SKILL DEVELOPMENT
MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT
and Entrepreneurship Dev. of India

Career Plus
EDUCATIONAL SOCIETY

मल्लिकभारत
एक ही परिवार में समाज परिवर्तन की एक सशक्त संस्था

Amul Agrawal
Group Editor
DIALOGUEINDIA
National President
CAREER PLUS EDUCATIONAL SOCIETY
National President
MALLIK BHARAT
Founder Director
GLOBAL CHAMBER OF SPORTS
EDUCATION & CULTURE FOUNDATION

Head Office : 307/A, 37-38-39, Ansal Building, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-9
dialogueindia.in@gmail.com • dialogueindiaacademia@gmail.com,
Phone/Fax : 011-27654588, Mob. : 9811424443

Career Plus People - Born to Lead

2
0
2
2

IAS/PCS

2
0
2
3

PRELIMS • MAINS • PRELIMS CUM MAINS

New ONLINE/OFFLINE Batches in English/Hindi Medium

Starts from 12th Nov. 2021 & 26th Nov. 2021

SUBJECTS AVAILABLE

GENERAL STUDIES (for Prelims/Mains), **CSAT & ESSAY**

HISTORY | **GEOGRAPHY** | **SOCIOLOGY** | **PUB. ADMIN.**

POL. SCIENCE | **SANSKRIT "LITT"** | **HINDI "LITT"**



By Most Renowned & Competent Facilities
under the Leadership & Direction of
Mr Anuj Agarwal & Niraj Kushwaha

Silver Jubilee Year
(Since 1997)



English / हिन्दी
Medium
Hostel Facility

EDUCATIONAL SOCIETY

A Legacy of 25 Years

Study
Material &
Test Series

■■■■ **44 SELECTIONS IN IAS 2020** ■■■■

H.O. : 301/A,37,38,39, Ansal Building, Behind Safal Dairy, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-9

Contact : 9891186435, 9811069629, 9015912244, 011-27654588

Website : www.careerpluseonline.com / www.careerplusgroup.com